महानगर नई दिल्ली रविवार 29 सितंबर, 2024, रु. 6.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

चुनावी बांड के जरिए जबरन उगाही का आरोप

वित्त मंत्री सीतारमण पर एफआइआर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

अब समाप्त हो चुकी चुनावी बांड योजना से संबंधित एक शिकायत के बाद यहां की एक अदालत के निर्देश पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया गया है। उधर, इस खबर के सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।

पुलिस के अनुसार, बंगलुरु की एक विशेष अदालत के आदेश के आधार पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 384 (जबरन वसूली के लिए सजा), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

यह शिकायत जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने चुनावी बांड की आड़ में जबरन वसूली की और 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा उठाया।
बंगलुरु की विशेष अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ मामला, वहीं यह मामला सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।

जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने चुनावी बांड की आड़ में जबरन वसूली की और 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा उठाया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सीतारमण ने ईडी अधिकारियों की गुप्त सहायता और समर्थन के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के फायदे के लिए हजारों करोड़ रुपये की जबरन वसूली की। शिकायत में कहा गया है कि चुनावी बांडकी आड़ में जबरन वसूली का काम विभिन्न स्तरों पर भाजपा के पदाधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में चुनावी बांड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इससे संविधान के तहत सूचना के अधिकार और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है।

उधर, इस खबर के सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कर्नाटक भाजपा पर निशाना साधा और सवाल किया कि वे कथित 'घोटाले' के सिलसिले में सीतारमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कब शुरू करेंगे और उनसे इस्तीफा मांगेंगे।

वहीं, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि निर्मला सीतारमण को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? क्या चुनावी बांड का पैसा निर्मला सीतारमण के निजी खाते में गया है? क्या उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है और आप (सिद्धरमैया) की तरह खुद को लाभ पहुंचाया है? विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि कांग्रेस को केंद्रीय वित्त मंत्री पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुद्दा खत्म हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हिसार के नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन हवाईअड्डे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। – खबर पेज 10

पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए कश्मीर को खाली करे : जयशंकर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को दो टूक कहा कि पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जाए गए कश्मीर (पीओके) को जल्द खाली कर देना चाहिए। दोनों देशों के बीच अब केवल यही एक मुद्दा सुलझाया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की आम बहस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि कई देश अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं। लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं, जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से उसकी नापाक हरकतों का असर दूसरों पर भी पड़ता है, खास तौर पर पड़ोसी देशों पर। जब ऐसे देश अपने लोगों में कट्टरता भरते हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था को केवल कट्टरता बाकी पेज 8 पर

इजराइली हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह

घटना के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

दक्षिणी बेरूत पर शुक्रवार को इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरल्लाह मारा गया। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को देश के ही भीतर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। इजराइली सेना ने कहा कि उसका हवाई हमला सटीक था और दहियाह में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को तब निशाना बनाया गया, जब वहां इस संगठन के शीर्ष नेता बैठक कर रहे थे।

हमले को लेकर इजराइली सेना ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा।' इजराइल के दावों के कुछ घंटों के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने अपने नेता और समूह के संस्थापकों में से एक हसन नसरल्ला के इजराइली हवाई हमले में मारे जाने की शनिवार को पुष्टि की।

इजराइली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कार्की और उसके अन्य कमांडर भी हमले में मार गिराए गए। हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक अपना अमेरिका दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौट गए। हमलों के कुछ ही घंटे पहले उन्होंने बाकी पेज 8 पर

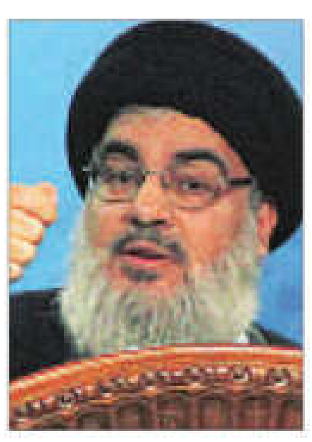

हसन नसरल्लाह

हमले को लेकर इजराइली सेना ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा।'
इजराइल के दावों के कुछ घंटों के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने अपने नेता के मारे जाने की शनिवार को पुष्टि की।

दक्षिण बेरूत में इजराइली हमले के बाद उठतीं लपटें।

ईरान के रिवाल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल अब्बास की भी मौत

ईरान ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित उसके अर्धसैनिक बल रिवाल्यूशनरी गार्ड के एक प्रमुख जनरल की भी बेरूत में हुए उस हवाई हमले में मौत हो गई, जिसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्ला मारा गया। ईरानी मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। जनरल अब्बास निलफोरुशान की हत्या ईरान के लिए नवीनतम क्षति है।

कठुआ में पुलिसकर्मी शहीद, कुलगाम में चार जवान घायल

मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर, एक अधिकारी भी जख्मी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर हो गए जबकि एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया और चार जवान व एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। पहली मुठभेड़ कुलगाम में हुई। जिसमें दो आतंकी ढेर हो गए जबकि एक अधिकारी और चार सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। वहीं, कठुआ जिले के एक सुदूर गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान शनिवार शाम जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया और एक सहायक उपनिरीक्षक घायल हो गया।

पुलिस ने बताया कि देवसर क्षेत्र के आदिगाम गांव में सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था और इसी दौरान उनके एवं आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ स्थल के निकट गोली लगने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) मुमताज अली मामूली रूप से घायल हो गए हैं। आतंकवाद रोधी अभियान में शामिल चार सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। दो आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर सुरक्षाबलों को खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बल जैसे ही संदिग्ध स्थान पर पहुंचे, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलीबारी में दो आतंकी ढेर हो गए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान और उनके समूह का पता लगाया जा रहा है। जबकि एक पुलिस अधिकारी समेत चार सुरक्षा बल के जवान घायल हो गए। वहीं, कठुआ जिले के एक सुदूर गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान शनिवार शाम जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया और एक सहायक उपनिरीक्षक घायल हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि बिलावर तहसील के कोग-मंडली गांव में मुठभेड़ शाम लगभग साढ़े पांच बाकी पेज 8 पर

कुलगाम में मुठभेड़ स्थल पर सैन्यकर्मी।

पुलिस ने बताया कि देवसर क्षेत्र के आदिगाम गांव में सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था और इसी दौरान उनके एवं आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलीबारी में दो आतंकी ढेर हो गए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान और उनके समूह का पता लगाया जा रहा है।

दिल्ली में पिता व चार बेटियां मृत मिलीं, आत्महत्या की आशंका

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में वसंत कुंज के रंगपुरी पहाड़ी इलाके में शुक्रवार सुबह एक किराए के कमरे में चार दिव्यांग बेटियों के साथ एक शख्स मृत अवस्था में मिला। चारों बेटियों के गले और कमर पर कलावा धागा लिपटा हुआ था। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस इसे सामूहिक आत्महत्या का मामला मान रही है। हालांकि, अन्य कोण से भी इस मामले की तफ्तीश की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान 46 वर्षीय हीरालाल शर्मा और 26 वर्षीय नीतू, 24 वर्षीय निक्की, 23 वर्षीय नीरू व 20 वर्षीय निधि के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए शवगृह में रखवा दिया है और इसके लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने की बात बाकी पेज 8 पर

वसंत कुंज के रंगपुरी इलाके की घटना, बेटियों के गले में लिपटा मिला कलावा धागा।
पुलिस मामले की जांच में जुटी, शवों के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड गठित।

पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल में डाक्टरों-नर्सों पर हुआ हमला

कल से फिर काम बंद कर देंगे कनिष्ठ चिकित्सक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

पश्चिम बंगाल के कनिष्ठ चिकित्सकों ने सोमवार को आरजी कर मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फिर से काम बंद कर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। कनिष्ठ चिकित्सकों ने शनिवार रात को यह एलान करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है।

कोलकाता के पास तीन डाक्टरों और तीन नर्सों पर हुए हमले की घटना इसका ताजा उदाहरण है। वहीं, इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बंगाल के कनिष्ठ चिकित्सकों के संगठन ने कहा कि वे राज्य भर के मेडिकल कालेजों व अस्पतालों में पूरी तरह से काम बंद कर देंगे। चिकित्सकों ने यह फैसला शुक्रवार रात कोलकाता के पास कालेज आफ मेडिसिन और सागर दत्त अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद तीन डाक्टरों और तीन नर्सों पर हमले के बाद लिया है। चिकित्सकों ने आरोप लगाया कि सागर दत्त अस्पताल में हुए हमले से पता चलता है कि राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के अपने वादे को निभाने में पूरी तरह से विफल रही है।

कनिष्ठ चिकित्सकों ने कहा कि वे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आरजी कर अस्पताल मामले में स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में दलीलें सुनना चाहते हैं। उसके बाद शाम पांच बजे से वे पूरे बंगाल के सभी अस्पतालों में काम बंद कर देंगे।

गौरतलब है कि कनिष्ठ चिकित्सक 42 दिनों के अंतराल के बाद 21 सितंबर को पश्चिम बंगाल के विभिन्न बाकी पेज 8 पर

जूनियर डाक्टरों ने दावा किया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है।
पुलिस ने हमले के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

जनसत्ता प्रश्नकाल

राजनीति में धर्म और जाति के अतिरेक को रोकने का समय

मेरठ से भाजपा के सांसद अरुण गोविल ने कहा कि राम की भूमिका में लोकप्रिय होने के बाद उन्हें इस बात का पूर्ण अहसास था कि जनता उन्हें नहीं, अपनी आस्था को प्रणाम करती है। राम-मंदिर का निर्माण किसी भी तरह राजनीति का मसला नहीं होना चाहिए। पेज 7

पाक को सीमा पार आतंक के परिणाम अनिवार्य रूप से भुगतने होंगे : भारत

नई दिल्ली, 28 सितंबर (ब्यूरो)।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि दुनियाभर में आतंकवादी घटनाओं में उसका 'हाथ रहा' है और पड़ोसी देश को यह पता होना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के 'परिणाम अनिवार्य रूप से भुगतने पड़ेंगे।'

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की आम बहस में अपने संबोधन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने जाने की प्रतिक्रिया में अपने 'जवाब देने के अधिकार' का शुक्रवार को इस्तेमाल किया।

–पूरी खबर पेज 15

इस साल 15 से 25 सितंबर के बीच का आकलन | **प्रदूषण की चिंता** | पिछले साल पंजाब में आठ मामले सामने आए थे, इस बार 93

हरियाणा-पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं पांच से 11 गुना बढ़ीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में इस बार सर्दियों में लोगों को वायु प्रदूषण से ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि, पंजाब व हरियाणा में इस माह पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 15 से 25 सितंबर तक पंजाब में धान की पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल की समान 10 दिनों की अवधि की तुलना में 11 गुना अधिक दर्ज की गई हैं। वहीं, हरियाणा में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पांच गुना अधिक पराली जलाने के मामले सामने आए हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में इन दस दिनों में पराली जलाने की कुल 93 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि इस अवधि में पिछले साल केवल आठ घटनाएं ही हुई थीं। वहीं, हरियाणा में पिछले साल पराली जलाने की मात्र 13 घटनाएं हुई थीं, जो इस साल बढ़कर 70 तक पहुंच गई हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में हुई बेतहाशा वृद्धि की वजह से आयोग को आपात बैठक बुलानी पड़ी है।

फाइल फोटो

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने गत शुक्रवार को आयोग की रपट पर गौर करने के बाद कहा कि आयोग ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन इसमें और अधिक सक्रियता से काम करने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके प्रयास और जारी किए गए निर्देश वास्तविकता में प्रदूषण की समस्या को कम करने में कारगर साबित हों। आयोग ने दोनों राज्यों में सबसे अधिक पराली जलाने वाले तीन जिलों की पहचान की है। इनमें पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारण हैं, जबकि हरियाणा में करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिले में धान की पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं।

आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में पराली जलाने की कुल 93 घटनाओं में से 58 घटनाएं अकेले अमृतसर में दर्ज की गई हैं। सात मामलों के साथ जिला गुरदासपुर दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा तरनतारण व कपूरथला से छह-छह, एसएएस नगर से पांच, फिरोजपुर व जलंधर से चार-चार, संगरूर से तीन और एसबीएस नगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला व रूपनगर में एक-एक मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। इसी तरह हरियाणा की कुल 70 घटनाओं में से पराली जलाने की 31 घटनाएं केवल करनाल में सामने आई हैं। आपात समीक्षा बैठक में राज्य सरकारों और सबसे अधिक पराली जलाने की घटनाओं वाले जिलों के उपायुक्तों को सतर्क किया गया है।

आयोग के अनुसार, इस बात पर जोर दिया गया कि विभिन्न गांवों या खंडों के लिए नोडल और पर्यवेक्षी अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। मामलों में वृद्धि के मद्देनजर आयोग ने एक पत्र लिखकर पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को एक विस्तृत कार्रवाई रपट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसमें पंजाब के अमृतसर और हरियाणा के करनाल जिला के विवरण का विशेष उल्लेख करने को कहा गया है।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I Manju Rani Hora D/o Hari Ram Hora and W/o Krishan Kumar Arora R/o 60, Sector-8, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001, have changed my name to Manju Rani Arora 0070926731-1

I Km.Seema D/o Chetram R/o Main Market, Aabkari Chhata Mathura U.P- 281401 have changed my name to Seema. 0040751846-6

It is for general information that I,Devender Kumar,S/o-OM Prakash,R/o-33 KILOKARI-VILLAGE,Jungpura S.O South-Delhi,Delhi-110014, declare that name of mine has been wrongly-written as Davender Kumar in my-minor son Vaibhav Chhokar aged-14-years in his school-records.The actual-name of mine is Devender Kumar which may be amended accordingly. 0040751868-8

I,sunita Devi,W/o Ashok Kumar,R/o,Kh.No.39/4,Ground floor,Gali.No.6,B-Block,Near-Tyagi Farm House,Amrit-Vihar,Burari,Delhi-110084,have changed the name of my-minor daughter,from Varsh Kaur to Buds Preet Kaur. 0040751857-10

I,hitherto known as NARENDER SINGH,S/O-SHRI GOPAL SINGH ALIAS AS NARENDER SINGH NEGI,S/O,SHRI GOPAL SINGH NEGI,employed as Chief Booking Supervisor working under Station Director, Hazrat -Nizamuddin,Northern-Railway, residing at,H.No.SE-560,Duplex,Shastri Nagar, Ghaziabad, Kavi-Nagar,Uttar Pradesh-201002,have changed my & my father's surname and shall hereinafter be known as NARENDER SINGH NEGI,S/O-SHRI GOPAL SINGH NEGI. 0040751868-6

I,YOGESH BIDHURI,S/o-BABU SINGH,R/o-4B,CHURIYA MOHALLA,MADANPUR KHADAR,SARITA-VIHAR,NEW DELHI-110076,inform that in my,son's DISHANT BIDHURI school,records my name wrongly-written as YOGESH KUMAR.My correct-name is YOGESH BIDHURI,amendment accordingly in his-school. 0040751846-10

I,Vinod Kumar S/o Satpal Bansal R/o-A-20, 3rd Floor Prashant Vihar Rohini Sector-14 Delhi-110085,have changed my name to Vinod Bansal 0040751853-8

I,Vimala W/o Jai Nand R/o-N-116/518 J. J Camp Badli Village, Tehri Daulatpur Samaipur Narela,Delhi-110042, have changed my name to Sarita Devi 0040751857-11

I,Vijay Prakash Agrawal,S/o-Cheda Lal Gupta,R/o-1201A,13TH Floor,D-Tower,Puri-Diplomatic Greens,Ph-1,Sector-110 and 111,Gurgaon,Haryana,have changed my name to Vijai Prakash Agrawal,for all purposes. 0040751846-2

I,VINOD AHUJA,S/O-KISHAN CHAND AHUJA,R/O-26-B, PKT-A,MAYUR VIHAR PHASE-2, DELHI-110091,Have Changed My Name To VINOD KUMAR AHUJA,For All Future Purposes. 0040751846-5

My Actual/Correct name is Kamlesh instead-of Renu,is wrongly written in my Daughter Kirtika School Record W/o-Laxman Dass,D-295,Madipur J.J.Colony Delhi-63. 0040751853-10

I,VINAY SINGH NEGI,S/O HUKUM SINGH.R/O.PLOT.NO-314,UPPER GROUND-FLOOR-01 SECTOR-3 VASUNDHARA GHAZIABAD-201012,U.P.HAVE CHANGED MY NAME TO VINAY NEGI,FOR ALL,FUTURE PURPOSES. 0040751868-4

I,Sumit Kaur,W/O Baljit Singh,R/O,Flat.No-317 Tower no-3,Nirala-Estate Greater-Noida Gautam Budh Nagar,Uttar Pradesh-201036,Have Changed My Name To Sumeet Kaur Permanently 0040751846-9

I,Sangita,W/O-Shri Sudesh Kumar,R/O-3023,Ranjeet Nagar,Patel Nagar, Delhi-110008,inform that Sangita and Sangeeta both names are same person. 0040751873-3

I,Rakesh Kumar Karwal,S/o-Gyan Chand,R/o-RZ-G-25,G-Block, Mahavir Enclave,Palam Road Delhi-110045,have changed my name to Rakesh Kumar. 0040751865-2

I,RITA KUMARI,W/o RAMESH CHANDER R/o 17/3,3RD, Floor,Ashok nagar, Tilak-Nagar, S.O.West Delhi Delhi-110018,have changed my name TO RITA MEHRA. 0040751872-6

I,RISHI JAIN S/O TULSIRAM JAIN R/O 73 K-BLOCK,BAL UDHAYAN ROAD,UTTAM NAGAR,DELHI-110059.HAVE CHANGED MY NAME TO RISHI KUMAR JAIN. 0040751853-5

I,RAMESH KHADKA alias TIKENDRA KHADKA,S/O KHAMBA SINGH,R/O 2725,25 Feet Road,SGM-Nagar Faridabad, Faridabad Haryana-121001, have changed my name TO TIKENDRA KHADKA. 0040751872-7

I,RAMESH CHANDER S/o KISHAN LAL R/o 17/3,3 RD, Floor, Ashok nagar, Tilak Nagar, West Delhi Delhi – 110018, have changed my name TO RAMESH MEHRA. 0040751872-5

I,RAJINDER PARSHAD S/O DAYA NAND R/O HNO.124,SECTOR-13,SONIPAT,HARYANA-131001. HAVE CHANGED MY NAME TO RAJINDER GARG. 0040751853-1

I,Prem,W/O-Late Shri Ghamshyam (Army No.2752971) R/o-B-389/C,Station Block,Prem Nagar-1,Kirari Suleman Nagar, Sultanpuri,Delhi-110086,have changed my name to Prembati. 0040751873-2

I,Preeti Sharma,W/o-Amit Gaur, R/o-303A,Arjun Apartment, Plot No.8-C, Sector-7,Dwarka Delhi-110075,have changed my name to Preeti Gaur. 0040751865-3

I,PANKAJ KUMAR GUPTA,S/O R N GUPTA,FLAT.NO.B42/201, BRAHMAPUTRA ENCLAVE,SECTOR-10, SIDDARTH-VIHAR, GHAIZABAD,UTTAR PRADESH-201009,HAVE CHANGE MY NAME TO PANKAJ GUPTA,FOR ALL,FUTURE PURPOSE. 0040751868-2

I,Neeru Bala W/o Anil Manocha R/o H.No-1F/110,NIT Faridabad Haryana-121001,Have Changed My Name To Neeru Manocha For Future. 0040751846-3

I,Madhu,W/o Sh.Raj Kamal,D/o Sh.Satish Manchanda,R/o,D-II-326,Madangir,New Delhi-110062,have changed my name,from Madhu to Madhu Manchanda for all future purposes. 0040751857-4

I,MOHAMMAD-HAMZA S/o SHAFIQ AHMED,R/0-913,GALI-CHAH SHEERIN FARASH KHANA,DELHI-6,HAVE TO STATE THAT MY-FATHER'S CORRECT & ACTUAL NAME IS SHAFIQ AHMED. 0040751868-1

I,Gursharan Kaur,W/o Balbir Singh Jaggi,R/o-A-14 Krishna Nagar Extension,Krishna-Nagar,Delhi-110051,have changed my name to Gursharan Kaur Jaggi for all purposes. 0040751868-5

I,MOHAMMAD SHAMSHAD,S/O NISAR AHAMD,R/O 44,KIDWAI NAGAR-3,MUZAFFARNAGAR, U.P-251002 HAVE CHANGE MY NAME TO MOHD SHAMSHAD, FOR ALL PURPOSE. 0040751873-6

I,MILI JAIN W/o KAPIL JAIN,R/o-H.No.2079,Gali Pagri Wali Mali Wara Chandni,Chowk Delhi-110006,inform that name of,mine has been wrongly, written MILLI in my son school record but my correct name is MILI JAIN,for all, future purposes. 0040751857-3

I,MEENAKSHI W/O-MANWER SINGH, H.NO-267,TYPE-3,VTC-SADIQ NAGAR,PO-ANDREWS-GANJ,DEFENCE COLONY, DELHI-110049,have changed my name to MEENAKSHI SINGH permanently. 0040751857-5

I,Km Anuradha Gupta,W/o-Bhanu Pratap,R/o-327,Block-B, Karan Vihar,Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086,have changed my name to Anuradha. 0040751865-4

I,KIRANPAL SINGH,S/O,Ganga Prasad Singh,R/o,H.No-C-191,Gali.No-22,Khajoori Khas, Dayalpur,North East,Delhi-110094,have changed my-Minor daughter name RISHITA PAL to RISHITA PAL.For all,future purposes. 0040751857-1

I,KANWARMEET SINGH SEHGAL alias KANWAR MEET SEHGAL,S/O-SARUP SINGH SEHGAL,R/O,FLAT.NO-82A, GROUND-FLOOR,AYODHYA-ENCLAVE, SECTOR-13,ROHINI,DELHI-110085,HAVE CHANGED MY NAME TO KANWAR MEET SEHGAL. 0040751853-7

I,JITENDRA GULATI/JITENDER GULATI S/O RAJ KUMAR GULATI R/O B-84,2ND-FLOOR,PUSHPANJALI-ENCLAVE,PITAMPURA,DELHI-110034.HAVE CHANGED MY NAME TO JITENDER KUMAR GULATI. 0040751853-2

I,ISHWAR SINGH BHARDWAJ S/O ATTAR SINGH R/0 HNO.70,NAI BASTI,ARYA SAMAJ ROAD,PANA MAMURPUR,NARELA,DELHI-110040.HAVE CHANGED MY NAME TO ISHWAR SINGH. 0040751853-4

I,Hitherto known as Anjali Gupta,W/o-Rajat Gupta,R/o-69,Ram Nagar-Extn.,Chander Nagar,East-Delhi-110051,have changed my name and shall hereafter be known as Anjali Aggarwal. 0040751853-6

I,Ghazala Saifi,W/o-Imran Saifi,R/O-16/5,Second floor,Okhla Vihar,Jamia Nagar,New Delhi-110025,Have changed My name Ghazala to Ghazala Saifi for All Future Purposes. 0040751873-5

I,Enaya Goyal,D/o-Sachin Kaka,R/o-2A-021,GC Grand,Vaibhav Khand, Indirapuram,Ghaziabad,Uttar Pradesh, 201014 have changed my name to Enaya Goel for all purposes. 0040751873-4

I,Charuvi Singhal,W/o Aditya Singhal,R/o Plot No.-C-3,Udyog Vihar-V,Gurgaon, Haryana, have changed my name to Charuvi P Singhal, for all purposes. 0040751846-1

I,Bunty S/o Bishan Lal R/o Khasra No.829 Tara-Chand Colony near-Neel Kanth Mandir Mahipal Pur,Delhi-110037,have changed my name to Bunty Kumar. 0040751853-9

I,Bijender s/o shri Ganga Prased,R/O,H.No.C-191-A.C-Block.G.No.2Khajuri Khas,Delhi-94,have changed my-minor daughter's name HARSHITA pal to Harshita,for all,future purposes. 0040751857-2

I,BHOOP SINGH KUSHWAHA S/o RAMJI R/o Kh.No-13/14, 1st-Floor,Gali,No-5,Main Road, Radha Krishan Mandir,Jagat Purilaqa,Burari, Delhi-110084 ,have changed my name to BHAGWAN DASS. 0040751857-9

I,Asha W/o Amit Drall, House.No-50,Near Old Chopal, Kalan Pana,Tikri kalan,Delhi-110041,have changed my name to Asha Drall permanently. 0040751872-2

I,Ayutes S/o Ajit Kumar R/o CA91/2 Tagore Garden, New Delhi-110027,have change my name to Ayutes Kumar. 0040751846-7

I,Anuj Kumar Lamba,S/o-Pratap Singh Lamba,R/o-209, Pocket-24,Sector-24 Rohini, Delhi-110085,have changed my minor daughter's aged-15,years name from Shreya,to Shreya Lamba. 0040751865-1

I,Amit S/o Mehander Singh, House.No-50,Near Old Chopal, Kalan Pana,Tikri kalan,Delhi-110041,have changed my minor son name NISHANT CHAUDHARY to NISHANT DRALL permanently. 0040751872-1

I,Amit S/o Mehander Singh,House No-50,Near Old Chopal, Kalan Pana,Tikri kalan,Delhi-110041 have changed my name to Amit Drall permanently. 0040751872-3

I,Amit Kumar Sharma,S/o-Sh Subhash Chand Sharma,R/o-H.no.G-17,Gali no-2,Ganga Vihar,Gokal Puri,North East Delhi-110094,I have Changed my son name from GATANK SHARMA to GATANK VASHISHT in future. 0040751873-1

I,Amar Singh,S/o-Puran Singh Chauhan,R/o,T-64 ,Nangli-Razapur,Sarai-Kale Khan,Hazrat-Nizamuddin, South-Delhi,Delhi-110013,have changed my name to Amar Singh Chauhan,for all,purposes. 0040751868-7

I,ASHOK MITTAL S/O PREM CHAND MITTAL R/O WZ-283/300,GALI NO.10,MADDI WALI GALI,VISHNU GARDEN,DELHI-110018.HAVE CHANGED MY NAME TO ASHOK KUMAR MITTAL. 0040751853-3

I,ANURAG KUMAR S/O RAMESH KUMAR R/O 672/2,A-BLOCK, BHALASWA DAIRY, LIBASPUR, DELHI-110042.HAVE CHANGED MY NAME TO ANURAG RAJ. 0040751872-4

I,ANANYA SEMWAL,D/o Vijay Prasad,R/o,H.No.B-231,Plot NO.930,Mahawar Nagar,Arjun-Nagar,Kotla Mubarak Pur,New Delhi-110003,have changed my name to ANANYA,for all,future purposes. 0040751868-3

I, hitherto known as Arvinder Singh S/O Karam Singh Minhas , R/o GD Block 143, First Floor, Near First Cry, Intelutots Pre School, Pitampura, New Delhi, Saraswati Vihar, North West Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be Known as Arvinder Singh Minhas . 0040751755-4

I, Shailesh Kumar S/o Janardhan Bhagat R/o B-1/319- 320 Main Road New Kondli , Mayur Vihar, Phase-3, Delhi-110096 Want to Change My son name in School Record as Suyash to Suyash Kushwaha. 0070926791-1

I, Rohit Khatnawalia S/o Sh. Hira Lal R/o 5a/11004, WEA Karol Bagh New Delhi-110005 have changed the name of my minor son aged 14 years from Pranav Kumar Khatnawalia to Pranav Kumar. 0070926685-1

I, Rekha Rani d/o Shri Kishan Gupta / w/o Rajeev Gupta r/o R116, VVIP Addresses, Rajnagar Extension, Ghaziabad, UP-201017 have changed my name as Rekha Gupta. 0040751842-1

I, Rakhi D/o Ved Prakash R/o H.No.13/362, 13-Block, Trilokpuri, Delhi-110091, have changed my name to Rakhhi Kushwahaa. 0040751857-8

I, RITU BALA W/o Late Dheeraj Singh, R/o 397A, T.F, Gali No. 5, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019, have changed my name to RITU for all purposes. 0040751823-1

I, Kanta Chawla Alias Chander Kanta Chawla D/o Lachman Dass Dhawan W/o OM Prakash Chawla R/o C- 202, Sukhsagar Apartment, Plot No.52 Patparganj, I.P. Extension, Shakarpur, Gandhi Nagar, Delhi-110092 have changed my name to Chander Kanta Chawla for all purposes. 0070926790-1

I,Anita w/o Himanshu Ratra,r/o Nil-24A, Second Floor,Malviya Nagar,delhi-110017,have changed my name Anita to Anita Arora,for all purpose. 0040751846-4

I, K.C. Chandola S/o Durga Dutt Chandola, R/o 12/480, Macrobert Ganj, Near Society Motors, Gwaltoli, Kanpur, UP-208001, K C Chandola and Kailash Chandra Chandola both are the one and the same person i.e. me. 0040751823-2

I, Deverakonda Diptivilasa S/o Devarakonda Satyanarayana declare that Diptivilasa Deverakonda and D. Diptivilasa are the same person,i.e, myself, and these names shall be used interchangeably in the future. 0040751779-1

I, DHRUV S/o SUMIT KUMAR, R/o A-84 Raghubir Nagar, Delhi 110027 have change my name to DHRUV MEHRA for all purposes 0040751846-8

I, Amarjeet Kaur D/o S.Gurcharan Singh R/o B-51, 2nd-Floor, Gali-No.9, Shashi-Garden,Mayur Vihar-Phase-1, Delhi-110091, have changed my minor daughter's name Jagmeet Malhotra to Jagmeet Singh. Aged-13-years. 0040751857-7

I Sangeeta Ramawat W/o Bhanwar Das R/o-9/75, SF, Ramesh Nagar, New Delhi-110015 have changed my name to Sangeeta For all-purposes. 0040751857-6

I Meena Devi W/o Ramesh Chndra Yadav R/o Newdiya, Dakhiya, Nighua Mau, Sitapur, Nighuwamau, Uttar Pradesh-261404, have changed my name to Mamta Yadav 0070926707-1

CHANGE OF NAME

मैं अमन कुमार पुत्र श्री संजय कुमार ग्राम एवं पत्रालय नैनी जिला चमोली (उत्तराखंड) पिन-246487 का स्थायी निवासी हूं। मेरे पिताजी 597 TPT PL (GREF) में कार्यरत है। मेरे पिताजी के सेवा दस्तावेज में मेरा नाम अमन कुमार गैरोला गलत अंकित है। जबकि मेरे आधार-कार्ड, पैन-कार्ड, व शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम अमन कुमार है। जो कि सत्य है। 0070926688-1

CHANGE OF NAME

मैं शकुन्तला देवी पत्नी श्री संजय कुमार ग्राम एवं पत्रालय नैनी जिला चमोली (उत्तराखंड) पिन-246487 की स्थायी निवासी हूं। मेरे पति 597 TPT PL (GREF) में कार्यरत है। मेरे पति के सेवा दस्तावेज में मेरा नाम व मेरी जन्म तिथि गलत अंकित है। जबकि आधार-कार्ड, पैन-कार्ड, वोटर-कार्ड, व शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम अंग्रेजी में SHAKUNTALA DEVI एवं जन्मतिथि 03/06/1981 है जो कि सत्य है। 0070926686-1

PUBLIC NOTICE

NOTIFIED TO GENERAL PUBLIC UNDER INSTRUCTIONS FROM SUDAMA RAM S/O LATE JINDU RAM ARORA R/O E 2359 PALAM VIHAR GURUGRAM HARYANA I HEREBY STATES THAT I HAD EARLIER EXECUTED REGISTERED WILL IN FAVOUR OF MY THREE CHILDREN NAMELY VANEET ARORA, MANOJ ARORA AND POONAM BATRA IN THE RATIO OF 40%, 40% & 20 % RESPECTIVELY. BUT NOW DUE TO CHANGE IN CIRCUMSTANCES SPECIALLY BECAUSE OF BEHAVIOUR, CONDUCT AND EVIL INTENTIONS OF MY ELDER SON AND HIS FAMILY I HAVE DECIDED TO REVOKE / CANCELLED MY EARLIER REGD WILL DATED 13/9/2024 EXECUTED BY ME WITHOUT ANY PRESSURE, MISREPRESENTATION OR UNDUE INFLUENCE. I AM EXECUTING MY NEW WILL WHEREBY I AM BEQUEATHING BOTH MOVEABLE AND IMMOVEABLE ASSETS TO MY YOUNGER SON NAMELY MANOJ ARORA ABSOLTULEY AND FOREVER. MY PRESENT NOTICE BE ALSO TREATED AS DEBARRING MY ELDER SON NAMELY SHRI VANEET ARORA AND HIS FAMILY. I HAVE SEVERE ALL RELATIONS, CONNECTIONS AND DISINHERIT , DISOWN , DEBAR HIM AND HIS FAMILY AND FOR THEIR MISDEEDS, MISCONDUCTS THEY SHALL HAVE NO CLAIM / RIGHT , TITLE OR INTEREST TO INHERIT / ACQUIRE AND POSSESS MY PROPERTIES BOTH MOVEABLE AND IMMOVEABLE.

SAMEER DEWAN (Advocate)
5/10, Punjabi Bagh, East, New Delhi 110026
Mob.: 9810134864

PUBLIC NOTICE

This is toinform the General Public that I Shyam Lal Gupta have lost my certificates of **Colgate-Palmolive India Limited** Folio No S46064certificate nos are 2070217 Distinctive Numbers 139539948-139539997& 2074664, 40709481 - 40709530. The public are hereby cautioned gainst purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates. any person who has any claim in respect of the said Share Certificates should lodge such claim with the company or its registrar and transfer agents **Link Intime India Private Limited 247 Park, C-101, 1st Floor, L.B.S.marg, Vikroll(W) Mumbai-400083 TEL: 022 49186270** within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the company shall proceed to issue Duplicate Share Certificates.

Legal Claiment
Shyam Lal Gupta

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client, Shri Praveen Nayyar S/o Late Shri J.K. Nayyar R/o Farm No. 47, Western Green, Shivaji Marg, Mahipalpur, Delhi-110037 is the owner of property bearing Plot No. 69, measuring area 225 Sq Yds, Sheesh Mahal Colony, Near Sheesh Mahal PTA, Near Dakala Road Mahal, Patiala, Punjab having purchased the same from Shri Sukhvinder Singh S/o Shri Rajinder Pal Singh vide Sale Deed registered as Doc. No. 14076 dated 09.02.2010 with Sub-Registrar-Patiala. Original documents of aforesaid property i.e. Payment Receipts, Sale Deed etc. have been reported lost/ misplaced by Shri Praveen Nayyar for which a police complaint has been lodged vide LR No.2123091/2024 dated 16.09.2024. Any one in receipt of aforesaid lost documents or any other document having any claim in respect of above said property, may return/report to the undersigned within 21 days of this notice.

Rajendra Gupta, Advocate
Ch. No. E-516, Karkardooma Court,
Delhi-32.Mob-9811417690, 9311417690

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my client Mr. Davinder Singh Gahlot son of Late Ch. Ishwar Singh Gahlot resident of C-72, Vikas Puri, New Delhi-110018, has disowned his daughter namely Ms. Megha Gahlot & his wife namely Mrs. Priti Gahlot from his all movable and immovable properties due to their disrespectful and out of control behavior. He has severed his relations with them for all intents and purposes with immediate effect. My client will not be liable for their acts, whatsoever done by them to anybody in future.

Sd/-
ASHOK KUMAR TYAGI
(Advocate)
Enrl. No. D-1473/2-K

हिंदू धर्म का अपमान कर रहे राहुल : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इस साल 22 जनवरी को अयोध्या में संपन्न राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर 'नाच गाना' की टिप्पणी किए जाने पर शनिवार को आड़े हाथ लिया। सत्तारूढ़ दल ने उन्हें 'अव्वल दर्जे का झूठा करार' दिया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता की टिप्पणी गांधी परिवार की वास्तविक रुख और हिंदू धर्म के प्रति तिरस्कार को दर्शाता है।

भाजपा की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद आई है। वीडियो में राहुल गांधी को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अमिताभ बच्चन, अंबानी और अडाणी को आमंत्रित किया गया लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी गरीब, मजदूर या किसान को नहीं बुलाया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने गुरुवार को हरियाणा के बरवाला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वहां नाच-गाना हो रहा था। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि संसदीय चुनाव में भाजपा अयोध्या लोकसभा सीट सपा के अवधेश सिंह से हार गई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राम मंदिर का बार-बार अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण में शामिल श्रमिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया और उन पुष्पवर्षा की। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि यह बहुत दुखद और गंभीर बात है कि राहुल गांधी, जिन्होंने भगवान के नाम पर (लोकसभा में) शपथ नहीं ली, वे धार्मिक मामलों पर तरह-तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं।

> **भाजपा** की यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद आई है।

भाजपा नेता ने मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के संदर्भ में राहुल गांधी द्वारा 'नाच-गाना' जैसे शब्दों के प्रयोग पर भी आपत्ति जताई। त्रिवेदी ने कहा कि गांधी परिवार की तीन पीढ़ियां अफगानिस्तान में मुगल बादशाह बाबर की कब्र पर श्रद्धांजलि देने गई थीं।

खोया+पाया

I Sourav Maity S/o Late Debabrata Maity have Lost/Misplaced my propertyAllotment Letter/BBA of C2 - 1103, Amrapali Golf Homes, Gh 02, Sec 4, GreaterNoida West, G.B. Nagar, U.P. -201308. If found please contact on 8951796981 0040751841-2

सार्वजनिक सूचना

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed that my client. Sh. Subash Chander Bhat S/o Sh. N. N. Bhat R/o Flat No. C-7, Third Floor, Kashmiri Sahayak Samiti CGHS Ltd., Pitampura, Delhi - 110034, has lost/misplaced original possession letter in Respect of Society Flat No. C-7, third floor, situated at kashmiri sahayak samiti CGHS Ltd., pitampura, delhi-110034, issued by the said society in the name of original allottee "Sh. Rajinder Kachroo" & he has lodged a fir/NCR vide Lr No. 804755/2023 dated 21.08.2023, with police station, crime branch, delhi, if any body find the said documents, inform him at the above said address or ph. no.: -9810260354.
If any other claiment has any right in the aforesaid property, he/she should file an fir & give intimation to dy/asst. Director (GH), DDA Vikas Sadan, ina, new delhi with in 15 days from The date of issue of this notice.

SACHIN KUMAR (Advocate)
Enrl. No. D/2092/08

सार्वजनिक सूचना

मैं, किरण पाल पुत्र अजब सिंह, निवासी मकान नंबर सी–1/5, निकट पंचायत घर, मौजपुर गांव, दिल्ली उत्तर पूर्व, दिल्ली–110053, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे आधार कार्ड के अनुसार मेरा नाम किरण पाल सिंह अधाना के स्थान पर **किरण पाल** पढ़ा जाए। मैंने भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम **किरण पाल सिंह अधाना से किरण पाल** में बदल लिया है।

के माध्यम से,
दीपक वर्मा (एडवोकेट)
(D/3284/2011)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given on behalf of my Client Mr. G. S. Oberoi that he had shown an intent to buy the property more particularly described in the schedule hereunder bearing no. 6/1, (First Floor, Second Floor and Third Floor with Terrace thereupon), Double Storey, Jangpura Extension, New Delhi, measuring 254 sq. feet charged 50:50 to GF & FF, with Two Toilets in common lavatory block, with undivided 1/32 share in the brick built staircase and undivided 2/32 share in the brick built lavatory block as also in the land under the superstructure of staircase and lavatory block measuring 2116 sq. feet. which is free from all encumbrances, as claimed by the Seller. Any person having any right, title, interest, claim or demand of any nature whatsoever in respect of the said property, is hereby required to make the same known in writing along with the documentary proof thereof, to the undersigned at C-53/54, GF, Lajpat Nagar-I, New Delhi within fourteen days from the date of publication hereof, failing which the negotiations shall be completed, without any reference to such claims and the claims, if any, shall be deemed to have been given up of waived.

Sd/-
ANKUR SHARMA
Advocate
Chamber No. 100 & 177,
Patiala House Court,
New Delhi - 110001

PUBLIC NOTICE

It is for your information that my clients S/Shri Trilchoan Kumar Malhotra son of Shri Triloki Nath Malhotra resident of G-2, Plot No. 113, Sagar Sadan, I.P. Ext. Delhi & Pradeep Kumar Pahuja son of Late Nihal Chand Pahuja F-102, Plot No. 113, Sagar Sadan, I.P. Ext. Delhi are interested to purchase property/plot bearing No.433, measuring about 68 Sq. Yards, out of Khasra No. 1609/624, alongwith its whole of the structure, in the area of village Chandrawali alias Shahdara in the abadi of H.S. Block, Gali No.3, Bhola Nath Nagar, Shahdara-Delhi 110032 from Shri Brij Lal Aggarwal son of Shri Gig Raj Aggarwal, resident of 433, Gali No.3, Bhola Nath Nagar, Shahdara Delhi and Shri Rajendra Kumar Aggarwal son of Shri Bajrang Lal Aggarwal resident of 448, Gali No.3, Bhola Nath Nagar, Shahdara Delhi being the General power of attorney of the original owner of the aforesaid property who are claiming as owners and right in the property to sell the same and have represented that the said property is free from all encumbrances like sale, loan, mortgage, etc. If any person claims any ownership, title or right in the said property, he may inform, object and communicate my clients at the above addresses/ WhatsApp numbers 9212737388 and 9810137631 or to the undersigned in writing so as to avoid any complication within fifteen days. Thereafter it shall be presumed and treated that the above person have legal right to sell the said property and my clients shall be free to purchase the same.

Sd/-
K.K. MALHOTRA
Advocate
D-421, Lawyers Chambers,
Karkardooma Courts, Delhi

विकास के नाम पर मुंबई में खत्म किया जा रहा है हरित क्षेत्र : शीर्ष न्यायालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई जैसे शहरों में कुछ ही हरित क्षेत्र बचे हैं जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी सिडको द्वारा बंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई के दौरान की।

पीठ ने कहा कि मुंबई में विकास के नाम पर हरित क्षेत्र को ही खत्म कर दिया जा रहा है। पीठ ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई व नवी मुंबई जैसे शहरों में सिर्फ ऊर्ध्वाधर विकास हो रहा है। ऐसे शहरों में कुछ ही हरित क्षेत्र बचे हैं, जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। यह टिप्पणी शहर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको), नवी मुंबई द्वारा बंबई हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध दाखिल अपील पर सुनवाई के दौरान की।

हाई कोर्ट ने नवी मुंबई में एक सरकारी खेल परिसर के लिए 20 एकड़ जमीन छोड़ने और फिर इसे मौजूदा स्थल से 115 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले के मानगांव में एक दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित करने के महाराष्ट्र सरकार के 2021 के फैसले को रद कर दिया था।

भाजपा ने पूछा, क्या राहुल भ्रष्टाचार में आरोपी सिद्धरमैया के साथ हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कई आपराधिक आरोपों पर एक मामला दर्ज होने से कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया है। उसने कहा कि प्राथमिकी अदालत के एक आदेश के बाद दर्ज की गई और केंद्रीय एजंसियों की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों से कहा कि यह विरला मामला है, जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के किसी मामले में आरोपी बनाया गया है और इसने कांग्रेस के 'भ्रष्ट चेहरे' को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया मामले में आरोपी नंबर एक हैं और उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या वह भ्रष्टाचार में आरोपी मुख्यमंत्री के साथ हैं। कर्नाटक लोकायुक्त ने अदालत के आदेश के बाद मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आबंटन मामले में सिद्धरमैया तथा अन्य के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की। बंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बुधवार को लोकायुक्त पुलिस को मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ जांच का आदेश दिया, जिससे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। कांग्रेस नेतृत्व भाजपा पर राजनीतिक कारणों से मुख्यमंत्री को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है।

वहीं, त्रिवेदी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजंसियों की इस प्राथमिकी में कोई भूमिका नही है। भाजपा नेता ने दावा किया कि यह मामला सिद्धरमैया के अपने कर्मों का नतीजा है क्योंकि उन्होंने तथा उनके परिवार ने गैरकानूनी रूप से संपत्ति हड़पने के लिए सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी के नेता सत्ता का इस्तेमाल खुद को और अपने रिश्तेदारों को अमीर बनाने के लिए करेंगे। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता जहां हजारों करोड़ रुपए अपनी जेब में डालते हैं, वहीं लोगों को कुछ हजार रुपए का 'लालीपाप' देते हैं। संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के एक अधिकारी की पत्नी से बलात्कार के मामले को लेकर अपराधियों से गठजोड़ को लेकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने तृणमूल पर निशाना साधते हुए मामले में पुलिस की जांच में कलकत्ता उच्च न्यायालय की आलोचनात्मक टिप्पणी का भी उल्लेख किया।

कर्नाटक भूस्खलन में मारे गए वाहन चालक अर्जुन को अंतिम विदाई देने उमड़े लोग

कोझीकोड, 28 सितंबर (भाषा)।

केरल में कोझीकोड जिले के कन्नादिक्कल गांव में जब लारी चालक अर्जुन का शव शनिवार सुबह लाया गया तो सैकड़ों लोग उसे अंतिम विदाई देने के लिए घंटों कतारों में खड़े रहे। अर्जुन अपने वाहन समेत जुलाई में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के शिरुर गांव में आए भूस्खलन की चपेट में आकर लापता हो गया था।

इस घटना के दो महीने से भी अधिक समय बाद बुधवार को गहन तलाश अभियान के बाद अर्जुन का शव और उसका वाहन एक नदी से बरामद किया गया। जब एम्बुलेंस कन्नादिक्कल गांव में उसका शव लेकर पहुंची तो वहां भावुक दृश्य देखे गए और उसके मित्र, पड़ोसी तथा साथी चालक रो पड़े। एम्बुलेंस के गुजरने पर सड़क के दोनों ओर इंतजार कर रहे लोगों की आंखें नम दिखाई दी। सभी वर्ग के लोग अर्जुन के घर पर एकत्रित हो गए जहां श्रद्धांजलि के लिए उसका शव रखा गया।

अर्जुन के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने नम आंखों से कहा कि कुछ दिन पहले तक हमें लगता था कि अर्जुन जिंदा है और उसका कहीं इलाज हो रहा होगा और वह लौटेगा...कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह लौटेगा। वन मंत्री ए के शशिंद्रन, लोकसभा सदस्य एम के राघवन, विधायक के के रीमा समेत अन्य अधिकारी अर्जुन को अंतिम विदाई देने उसके घर पहुंचे। इस मौके पर भावुक दिखे शशिंद्रन ने कहा कि उन्होंने हाल-फिलहाल में किसी व्यक्ति को अंतिम विदाई देने के लिए आए इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं देखे। राघवन ने कहा कि पूरा राज्य और उसके लोग अर्जुन का पता लगाने के लिए एकजुट रहे और देश के इतिहास में 71 दिन लंबा बचाव अभियान अपने आप में दुर्लभ है।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

प्रधानमंत्री आज करेंगे महाराष्ट्र के लिए 11,200 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की शुरुआत

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र के लिए 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शनिवार को कहा कि मोदी जिला न्यायालय से स्वर्गेट तक पुणे मेट्रो खंड का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही पुणे मेट्रो रेल परियोजना (चरण-1) पूरा हो जाएगा।

जिला न्यायालय से स्वर्गेट के बीच भूमिगत खंड की लागत लगभग 1,810 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पुणे मेट्रो फेज-1 के स्वर्गेट से कटराज एक्सटेंशन की आधारशिला रखेंगे। इस पर लगभग 2,955 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लगभग 5.46 किलोमीटर का यह दक्षिणी भाग मार्केट यार्ड, पद्मावती और कटराज नामक तीन स्टेशनों के साथ पूरी तरह से भूमिगत है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 7,855 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाली एक परिवर्तनकारी परियोजना, बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित यह परियोजना मराठवाड़ा क्षेत्र में एक जीवंत आर्थिक केंद्र के रूप में अपार संभावनाएं रखती है। केंद्र सरकार ने 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की कुल परियोजना लागत के साथ तीन चरणों में विकास के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी है।

खबर कोना

नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बालीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी।

अब रात में भी होगी चांदनी चौक की सफाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

महापौर शैली ओबेराय ने अगले सप्ताह से चांदनी चौक मार्केट में रात में भी सफाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहली बार चांदनी चौक में ऐसी पहल की जा रही है। महापौर शैली ओबेराय ने शनिवार को चांदनी चौक क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर क्षेत्र के पार्षद पुनरदीप सिंह साहनी और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारी भी थे। निरीक्षण का उद्देश्य चांदनी चौक में सफाई और स्वच्छता से संबंधित चिंताओं का समाधान करना था। निरीक्षण के क्रम में महापौर को लाल किला और फतेहपुरी मस्जिद रोड के बीच असंतोषजनक सफाई की स्थिति के बारे में निवासियों और विक्रेताओं से कई शिकायतें मिलीं। जवाब में महापौर ने एमसीडी अधिकारियों को सुबह और दोपहर की शिफ्ट के अलावा रात की शिफ्ट की सफाई के लिए एक समर्पित टीम तैनात करने का निर्देश दिया।

अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

संगम विहार थाना में एक अपार्टमेंट के पांचवीं मंजिल से गिर कर एक छात्रा की मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को शनिवार दोपहर करीब 12:35 बजे मिली थी। पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी बत्रा अस्पताल से मिली थी। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि 19 साल की छात्रा, जो कि बीडीएस की पढ़ाई कर रही थी। बत्रा अस्पताल से मजेदिया अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि छात्रा अपने परिवार के साथ रतिया मार्ग, संगम विहार में रहती थी। वह बीडीएस की प्रथम वर्ष की छात्रा थी। उसके पिता एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। छानबीन के दौरान पता चला कि ओम अपार्टमेंट पांचवी मंजिल से छात्रा नीचे गिर गई थी। घटना के बाद परिजन उसे पास के बत्रा अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां से उसे मजेदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि छात्रा के शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है और मौके से क्राइम और एफएसएल की टीमों ने सबूत जुटाए हैं और आगे की जांच की जा रही है।

डीडीए आवास योजना : अब तक 1200 से अधिक एलआइजी घरों की हुई बिक्री

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के सस्ता घर और मध्यम आवास योजना के तहत अब तक 1200 से अधिक एलआइजी और 440 ईडब्ल्यूएस घरों की बिक्री हुई है। एक आधिकारिक बयान के जरिए शनिवार को यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि रामगढ़ में स्थित 183 घरों में 153 की ब्रिकी हो चुकी है। वहीं, रोहिणी में 708 और नरेला के 250 घरों की बुकिंग हुई है। बयान के मुताबिक ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नरेला में लगभग 300 घर बिक चुके हैं और लोकनायकपुरम में सभी 139 घर बुक हो चुके हैं। इसमें कहा गया है कि 10 सितंबर को बुकिंग के पहले दिन से ही इस योजना को शानदार प्रतिक्रिया मिली है और जसोला में पेश सभी एचआइजी घर पहले दिन ही बिक गए।

चौदह घंटे में तीन प्रतिष्ठानों के बाहर गोलीबारी, व्यापारी सहमे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

हमलावरों ने घटना स्थल पर फेंकी पर्ची, व्यापारियों से रंगदारी मांगी। वसंत कुंज स्थित एक होटल पर की गोलीबारी, टूटे होटल के कांच।

नारायणा स्थित पुरानी लग्जरी कारों के एक शोरूम पर शुक्रवार शाम को गोलीबारी किए जाने के कुछ घंटों बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी की दो और घटनाएं राजधानी में घटीं। अज्ञात हमलावरों ने शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे कार शोरूम पर ताबड़तोड़ दस गोलियां बरसा कर दहशत फैलाई थी। वहीं, शुक्रवार देर रात करीब 03:28 बजे बजे अज्ञात हमलावरों ने महिपालपुर इलाके में एक होटल को निशाना बनाया।

वहीं, मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात हमलावरों ने नांगलोई के सुल्तानपुर मोड़ पर एक मिठाई की दुकान पर शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे गोलीबारी कर राजधानी में 14 घंटे के भीतर तीसरी बार दहशत फैलाई। गनीमत रही कि गोलीबारी की तीनों घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस मान कर चल रही है कि इन घटनाओं के पीछे का कारण जबरन वसूली हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने कई टीमें गठित की गई हैं, जो हमलावरों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर छापामारी कर तलाश की जा रही है।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने शनिवार को बताया कि सूर्य प्रताप सिंह महिपालपुर स्थित एक होटल में प्रबंधक के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को देर रात करीब 03:28 बजे फोन कर गोलीबारी की जानकारी दी। सूचना मिलने पर वसंत कुंज उत्तरी थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां टीम ने पाया कि होटल के मुख्य प्रवेश द्वार पर पांच-छह गोलियों के निशाने हैं। गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि, होटल के कुछ शीशे क्षतिग्रस्त हो गए थे। घटना के वक्त होटल में कर्मचारी और कुछ मेहमान मौजूद थे।

दिल्ली के गृह विभाग के नए प्रधान सचिव बने ए अनबरासु

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

वह प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग का पदभार भी संभालते रहेंगे। उनको दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त करने के बाद से उनके सभी 10 विभागों की जिम्मेदारी लिंक अधिकारी के तौर पर अन्य आइएएस अधिकारियों को सौंपी गई थी। अब इन सभी विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति करने का सिलसिला शुरू हो गया है।

इस कड़ी में उप-राज्यपाल के आदेशों पर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1996 बैच के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी ए अनबरासु को दिल्ली के गृह विभाग का प्रधान सचिव नियुक्ति किया गया है। दिल्ली सरकार के सेवाएं विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, आइएएस अधिकारी ए अनबरासु को प्रधान सचिव (गृह) नियुक्त किया गया है।

इसके साथ वह प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग का पदभार भी संभालते रहेंगे। उनको दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अतिरिक्त सेवाएं विभाग की ओर से 14 मार्च, 2024 को जो आदेश निकाला गया था, उसमें उनको लिंक अधिकारी नियुक्त किया था, उनकी भी वह बराबर जिम्मेदारी यथापत संभालते रहेंगे।

आइएसबीटी पर समान पार्किंग दरों, फास्ट टैग के कारण बसों का ठहराव समय घटा

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

राज निवास के अधिकारियों ने एक बयान में कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद 15 सितंबर को आइएसबीटी पर लागू की गई नई दरें।

सरकारी और निजी बसों के लिए पार्किंग दरें समान कर दिए जाने तथा पार्किंग एवं शुल्क संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए फास्टैग आधारित प्रणाली शुरू किए जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के सभी तीन अंतरराज्यीय बस अड्डों (आइएसबीटी) पर बसों के ठहराव में लगने वाल अनावश्यक समय काफी कम हो गया है। राज निवास के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

राज निवास के अधिकारियों ने एक बयान में कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद 15 सितंबर को आइएसबीटी पर लागू की गई नई दरें और मानदंडों ने अधिसूचना के तुरंत बाद से वांछित परिणाम प्राप्त किए हैं। बयान में कहा गया है कि आनंद विहार आइएसबीटी पर बस अड्डे में प्रवेश करने और बाहर निकलने में लगने वाला समय-अगस्त में 208 मिनट से नाटकीय रूप से घटकर औसतन 23 मिनट रह गया।

इसमें कहा गया है कि बदलावों के लागू होने के बाद बस यातायात अगस्त में प्रतिदिन 852 से बढ़कर 870 हो गया है। इसी तरह, कश्मीरी गेट आइएसबीटी पर बसों का यह समय 45 मिनट से घटकर 19 मिनट रह गया है, जबकि प्रतिदिन बसों की संख्या 1373 से बढ़कर 1644 हो गई है। बयान के अनुसार, सराय काले खां आइएसबीटी पर भी बस ठहराव में लगन वाला अनावश्यक समय 216 मिनट से घटकर 18 मिनट रह गया है, हालांकि वहां बस यातायात स्थिर बना हुआ है।

स्थायी समिति सदस्य के चुनाव पर गरमाई राजनीति, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 76 में साफ है कि जब भी सदन की बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता उसकी पीठासीन अधिकारी के तौर पर महापौर ही होंगी। अगर महापौर उपस्थित नहीं होती हैं तो उसकी जगह पर उप-महापौर यह जिम्मेवारी संभालेंगे।

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के एक सदस्य के चुनाव को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है। भाजपा के पार्षद सुंदर सिंह तंवर ने इस चुनाव में जीत हासिल की है लेकिन आम आदमी पार्टी इसे पूरी तरह से असंवैधानिक, गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक करार दे रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार पांडेय ने इस मामले को लेकर शनिवार को अलग-अलग प्रेस वार्ता कर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की बात कही।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम इस संबंध में शीर्ष अदालत में याचिका दायर करेंगे जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने निगम सदन में कराया, वह गैरकानूनी है।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम में बिल्कुल स्पष्ट है कि बैठक बुलाने की शक्तियां केवल और केवल महापौर के पास हैं। बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल महापौर और उप-महापौर के पास है। इस गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे और आज ही इस गैरकानूनी, गैर संवैधानिक चुनाव के खिलाफ आवेदन दाखिल करेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने यह भी कहा कि स्थायी समिति के चुनाव के बारे में नियम स्पष्ट है कि उनके सदस्यों का चुनाव सदन की बैठक में होगा। इसके अलावा इसी नियम में यह भी है कि सदन की बैठक का समय, स्थान और तारीख निर्धारित करने की शक्ति भी केवल महापौर के पास है। वहीं, दिल्ली नगर निगम अधिनियम अधिनियम की धारा 76 में साफ है कि जब भी सदन की बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता उसकी पीठासीन अधिकारी के तौर पर महापौर ही होंगी।

सफाई नई दिल्ली में शनिवार को उत्तरी परिसर में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के बाद बैनर और पोस्टर हटाते सफाईकर्मी।

एबीवीपी ने डूसू चुनाव परिणामों की शीघ्र घोषणा की मांग की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

शुक्ल ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव संबंधी उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान जो विभिन्न अन्य हितधारक थे, उनको पक्ष रखने के लिए न्यायालय द्वारा बुलाया नहीं गया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के परिणाम तुरंत घोषित करने का आग्रह किया।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (डूसू) चुनाव का परिणाम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोके जाने के संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने संबोधित करते हुए कहा कि डूसू के परिणाम शीघ्र घोषित किए जाने चाहिए, छात्रों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। छात्रसंघ, शिक्षा क्षेत्र तथा युवाओं के मुद्दों को उठाने का सशक्त माध्यम रहे हैं। शुक्ल ने आगे कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव संबंधी उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान जो विभिन्न अन्य हितधारक थे, उनको पक्ष रखने के लिए न्यायालय द्वारा बुलाया नहीं गया।

छात्रसंघ चुनाव संबंधी विषय में विभिन्न पक्षों में वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव होने चाहिए, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विशाल छात्रसंघ चुनाव में जहां लगभग डेढ़ लाख मतदाता हैं, वहां पांच हजार रुपए में चुनाव लड़ने का नियम बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है।

महापौर ने निगम आयुक्त से सड़कों के रखरखाव पर वस्तु स्थिति रपट मांगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

महापौर ने इस बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है कि अब तक पैसे का उपयोग कैसे किया गया। देरी के कारण व उनके विवेकाधीन कोष के तहत सड़क परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है।

महापौर शैली ओबेराय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त अश्विनी कुमार को दो दिनों के भीतर सड़क के रखरखाव और निर्माण पर वस्तु स्थिति रपट पेश करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शहर भर में सड़कों की खराब स्थिति पर चिंता जताई है।

निगम आयुक्त को लिखे पत्र में ओबेराय ने शनिवार को बताया कि क्षतिग्रस्त सड़कें की धूल को रोककर शहर में वायु प्रदूषण में योगदान देती हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि दिल्ली की कालोनियों में एमसीडी की अधिकांश सड़कें गंभीर रूप से जर्जर हैं। इससे न केवल दिल्ली के सभी निवासियों के लिए यात्रा करना मुश्किल हो रहा है, बल्कि इससे गड्ढों के कारण दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। ओबेराय ने लिखा कि यह अस्वीकार्य है कि राष्ट्रीय राजधानी में एमसीडी की सड़कों के रखरखाव और निर्माण का ऐसा नियमित काम समय पर नहीं किया जा रहा है। इसमें और देरी से दिल्ली के प्रदूषण के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

महापौर ने उल्लेख किया कि एमसीडी ने चालू वित्त वर्ष के लिए सड़क रखरखाव के लिए 1,000 करोड़ रुपए और अपने विवेकाधीन कोष से 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में जल शक्ति मंत्रालय ने पेश की बदलते यूपी की तस्वीर

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 28 सितंबर।

विभाग की ओर से सत्र आयोजित किए गए, जहां कालेज विद्यार्थियों को बांध और नहर प्रणाली से वाकिफ कराया गया। उत्तर प्रदेश में कुल 132 बांध बनाए गए है।

यूपी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में जल शक्ति मंत्रालय, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का स्टाल निवेशकों, कारोबारियों और देश- विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। बदलते यूपी की नई तस्वीर पेश करते इस मंत्रालय ने अपने कार्यों को फोटो प्रदर्शनी के जरिए दिखाया।

यहां आने वाले आंगतुको को मंत्रालय के सभी कार्यों से वाकिफ कराया जा रहा है। उनको यहां लगी दीर्घा (गैलरी) से वर्तमान और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। कालेज के विद्यार्थियों को भी इन तकनीकों के बारे में बताया गया। विभाग की ओर से सत्र आयोजित किए गए, जहां कालेज विद्यार्थियों को बांध और नहर प्रणाली से वाकिफ कराया गया।

प्रदेश में बनाए गए 132 बांध : स्टाल पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश में कुल 132 बांध बनाए गए है। यह बांध बाढ़ आने से रोकथाम, जमा किए गए पानी का सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जन विद्युत आदि के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में 20 बैराज, जिससे नहरों में सिचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

तटबंध बनाकर 22.94 लाख हेक्टेयर जमीन की सुरक्षित : विभाग से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हैक्टेयर है। जिसमें बाढ़ प्रभावित होने वाला अधिकतम क्षेत्रफल 72.50 लाख हेक्टेयर है। 58.72 लाख हेक्टेयर इलाके को बाढ़ से सुरक्षित किया जा सकता है। करीब 3869 किमी के 523 तटबंध बनाकर 22.94 लाख हेक्टेयर को सुरक्षित किया गया। शेष पर काम किया जा रहा है।

बनाई गई 75090 किमी नहर : प्रदेश में कृषि योग्य क्षेत्रफल करीब 188.40 लाख हेक्टेयर है, जिसमें फसल बोए जाने वाला इलाका 268.16 लाख हेक्टेयर है। करीब 101 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का साधान नहर है।

अध्ययन दिल्ली-एनसीआर से 2,000 से अधिक रोगियों के नमूनों के विश्लेषण से हुआ खुलासा

हर चार मधुमेह रोगियों में से एक को दिल के दौरे का खतरा

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

मधुमेह और दिल का दौरा पड़ने के बीच के मूक संबंध के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम रोगी के परिणामों को बदलने और गंभीर जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।

जोशी ने कहा, मधुमेह से पीड़ित लोग, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, हृदय गति रुकने को लेकर अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। जोशी ने कहा कि नियमित मधुमेह देखभाल में हृदय संबंधी जांच को शामिल करना आवश्यक है।

मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में दो प्रयोगशालाओं में किए गए अध्ययनों से से पता चला है कि हर चार मधुमेह रोगी में से एक व्यक्ति को हृदय गति रुकने का गंभीर खतरा होता है।

दिल्ली-एनसीआर से 2,000 से अधिक रोगियों के नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि 6.5 फीसद से अधिक एचबीए1सी अंक वाले 15 फीसद रोगियों में एनटी-प्रोबीएनपी का उच्च-स्तर पाया गया। 'एनटी-प्रोबीएनपी' हृदय गति थमने की प्रारंभिक जानकारी हासिल करने का एक महत्त्वपूर्ण बायोमार्कर है।

मुंबई के भक्तिवेदांत अस्पताल में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अमया जोशी द्वारा 1,054 रोगियों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि टाइप-2 मधुमेह (टी2डीएम) के 34 फीसद रोगियों में हृदय रोग संबंधी जटिलताओं का जोखिम अधिक है। जोशी ने कहा, मधुमेह से पीड़ित लोग, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, हृदय गति रुकने को लेकर अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। जोशी ने कहा कि नियमित मधुमेह देखभाल में हृदय संबंधी जांच को शामिल करना आवश्यक है। दोनों अध्ययनों पर जारी एक बयान में कहा गया है कि हृदय गति थमना टाइप-2 मधुमेह रोगियों द्वारा सामना की जाने वाली सबसे गंभीर जटिलताओं में से एक है, जिनमें पहले से ही हृदय रोग का काफी अधिक जोखिम है।

डा डैंग्स लैब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डा अर्जुन डैंग ने कहा, यह अध्ययन एक चेतावनी है। हृदय गति थमने का जोखिम झेलने वाले मधुमेह रोगियों की संख्या समय पर जांच और हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता की ओर इशारा करती है।

दिल्ली में आज भी छाए रह सकते हैं बादल

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत से एक डिग्री कम है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा इस मौसम के औसत से एक डिग्री अधिक है। आर्द्रता 83 फीसद से 65 फीसद के बीच रही।

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	31.6	30.6	32.0	31.0
न्यूनतम	24.0	23.7	26.4	26.0

वायु प्रदूषण रोकने को चलेगा अभियान, 523 टीमें उतरेंगी

निर्माण स्थलों पर दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

आगामी सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण की समस्या से लोगों को राहत दिलाने की दिशा में दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम व धूल पर नियंत्रण के लिए राजधानी में सात अक्तूबर से 7 नवंबर तक एक माह के लिए धूल विरोधी अभियान चलाया जाएगा।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए धूल प्रदूषण की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए 13 विभागों की 523 टीम भी तैनात की जा रही है। यह सभी टीमें सुनिश्चित करेंगी कि स्थल पर निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। निर्माण स्थल पर 14 सूत्रीय नियमों को लागू किया जा रहा है जिसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सरकार की ओर से धूल रोधी अभियान को 7 नवंबर तक चलाया जाएगा।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि निर्माण स्थल पर नियमों की अनदेखी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। निर्माण स्थलों पर नियम के उल्लंघन करने वालों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इतना ही नहीं अगर इस तरह के उल्लंघन बार किए जाते हैं तो निर्माण स्थल को बंद तक किया जा सकेगा।

मंत्री ने भी बताया कि सभी निजी व सरकारी क्षेत्रों में जारी निर्माण कार्यों के बारे में सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। इसका पालन नहीं करने की स्थिति में निर्माण परियोजना के क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग जुर्माना राशि का प्रावधान है। 20,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाली निर्माण परियोजना पर 1 लाख का और 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा धूल शमन उपाय (एंटी स्मॉग गन) नहीं लगाने पर 7,500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाल निर्माण परियोजना पर 7,500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से और उससे ज्यादा क्षेत्र वाली परियोजना पर 15 हजार प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा। निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ढंककर ले जाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने वालों पर 7,500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

निर्माण स्थल पर लागू किया जा रहा है 14 सूत्रीय नियम

1. सभी निर्माण साइटों पर चारों तरफ धूल रोकने को ऊंची टिन की दीवार खड़ी करना जरूरी।
2. पांच हजार से 10 हजार वर्ग मीटर के निर्माण स्थल पर 1 एंटी स्माग गन, 10 हजार से 15 हजार वर्ग मीटर साइट पर दो, 15 हजार से 20 हजार वर्ग मीटर के निर्माण स्थल पर 3 और 20 हजार वर्ग मीटर से ऊपर के स्थल पर कम से कम 4 एंटी स्माग गन लगाना अनिवार्य।

3. निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य के लिए निर्माणाधीन क्षेत्र और भवन को तिरपाल या नेट से ढकना जरूरी।
4. निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री को लाने, ले जाने वाले वाहनों की सफाई एवं पहिए साफ करना जरूरी।
5. निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढंकना जरूरी।
6. निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण का मलबा चिह्नित जगह पर ही डालना जरूरी है।
7. किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री, अपशिष्ट, मिट्टी-बालू को बिना ढके नहीं रख जाएगा।
8. निर्माण कार्य में पत्थर की कटिंग का काम खुले में नहीं होनी चाहिए. पत्थर काटने में वेट जेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
9. निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए कच्ची सतह और मिट्टी वाले क्षेत्र में लगातार पानी का छिड़काव करना जरूरी।
10. 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थल जाने वाली सड़क पक्की होनी चाहिए।
11. निर्माण और ध्वस्तीकरण से उत्पन्न अपशिष्ट का स्थल पर ही पुर्नचक्रीकरण किया जाना चाहिए।
12. निर्माण स्थल पर लोडिंग-अनलोडिंग एवं निर्माण सामग्री या मलबे की ढुलाई करने वाले कर्मचारी को धूल मास्क देना पड़ेगा।
13. निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करनी होगी।
14. निर्माण स्थल पर धूल कम करने के उपाय के दिशा-निर्देशों के संकेतक प्रमुखता से लगाने होंगे।

बच्चे की पीटकर हत्या के आरोप में पिता व सौतेली मां गिरफ्तार

गाजियाबाद , 28 सितंबर (भाषा)।

यूपी के गाजियाबाद जिले के ट्योडी बिस्वा गांव में शनिवार को पिता और सौतेली मां ने चोरी के संदेह में 10 वर्षीय लड़के की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि 45 वर्षीय नौशाद ने अपने बेटे अहाद की पांच सौ रुपये चोरी करने के संदेह में डंडे से इतना पीटा की उसकी मौत हो गई। अहाद की सौतेली मां रजिया (40) ने भी इस क्रूर कृत्य में उसका साथ दिया। पांच साल से शादीशुदा इस जोड़े की एक बेटी भी है।

> **पांच सौ रुपए चुराने के संदेह में की हत्या, दादी ने की थी पुलिस में शिकायत।**

मोदीनगर के सहायक पुलिस आयुक्त ज्ञान प्रकाश राय ने कहा, अहाद की सौतेली मां उसके साथ क्रूरता से पेश आती थी। शनिवार की सुबह जब नौशाद ने देखा कि उसकी जेब से पांच सौ रुपए गायब हैं, तो रजिया ने अहाद पर चोरी का आरोप लगाया, जिससे पिता भड़क गया। नौशाद अपने बेटे को घसीट कर कमरे में ले गया और डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई की जिससे वह बेहोश हो गया।

राय ने बताया कि खून से लथपथ बच्चे को अचेत देख दंपत्ति मौके से भाग गया। उन्होंने बताया कि पड़ोसियों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अधिकारी ने बताया कि अहाद की दादी की शिकायत के आधार पर नौशाद और रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया।

डाटा चोरी कर 20 करोड़ की ठगी के आरोप में प्रबंधक गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 28 सितंबर।

थाना सेक्टर 58 पुलिस ने कंपनी का डाटा चोरी कर 20 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में विपणन (मार्केटिंग) विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। सेक्टर-62 स्थित कंपनी में आरोपी पिछले दस साल से नौकरी कर रहा था।

इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से मुशीर अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। कंपनी अधिकारी मोहम्मद अखलाक ने मामले को लेकर एफआइआर दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी सर्वोकन सिस्टम लिमिटेड कंपनी इलेक्ट्रानिक उत्पाद बनाती और उनका निर्यात करती है। मुशीर अहमद सिद्दीकी पिछले दस साल से कंपनी के बिक्री एवं विपणन (सेल्स एंड मार्केटिंग) विभाग में वरिष्ठ प्रबंधक हैं। कंपनी के आडिट में पता चला है कि मुशीर पिछले साल जुलाई से कंपनी का संवेदनशील डेटा अज्ञात लोगों को भेज रहा था। आरोप है कि मुशीर की हरकतों से कंपनी को करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आरोपी ने जानबूझकर कंपनी का डाटा चुराया और उसका गलत इस्तेमाल किया। आरोपी ने अज्ञात लोगों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलीभगत कर कई कंपनियां खोली हैं। मुशीर ने अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम से बैंक खाते खोलकर उनमें रुपए भी स्थानांतरित किए। इस मामले में सेक्टर-58 थाना पुलिस और साइबर हेल्प टीम ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।

कोरोना में मरने वाले पांच योद्धाओं के परिजनों को मिलेंगे एक-एक करोड़

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले पांच कोरोना योद्धाओं के परिवारों को दिल्ली सरकार ने एक-एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के कोरोना योद्धाओं ने महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता और समाज की रक्षा करने का काम किया और अपने जीवन का बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री आतिशी ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार उनके इस जज्बे को सलाम करती है। इस राशि से दिवंगत कोरोना योद्धाओं के परिवार के नुकसान की पूर्ति तो नहीं की जा सकती लेकिन उनके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने में थोड़ी मदद जरूर मिल सकेगी। इस संकट ने सभी के मन में डर और भय पैदा कर दिया था लेकिन हमारे कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस संकट से दिल्ली को उबारने का काम किया। आतिशी ने आगे कहा कि चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, सहायक और सफाई कर्मचारियों समेत हजारों कोरोना योद्धाओं ने दिन-रात काम करते हुए महामारी से लड़ने का काम किया। कई कोरोना योद्धा लोगों की सेवा करते हुए शहीद हो गए। उन सभी के साथ दिल्ली सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। दिल्ली सरकार अब तक 92 योद्धाओं के परिजनों को सम्मान राशि दे चुकी है।

कार्यक्रम

नई दिल्ली में शनिवार को विकलांग बच्चों के अधिकारों की रक्षा और विकलांगता के अंतर्विरोध पर 9वें राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़

केजरीवाल सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं : कांग्रेस

नई दिल्ली, 28 सितंबर (संवाददाता)।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि भले ही आदम आदमी पार्टी मान रही हो कि दिल्ली में कोई शराब घोटला नहीं हुआ है। पर दिल्ली की जनता यह जानती है कि कथित भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण ही केजरीवाल जेल गए थे और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियां निभाने में सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों के कारण उन्होंने पिछले 17 सितंबर को पद इस्तीफा दिया था। कांग्रेस मांग करती है कि जब पूरी दिल्ली उन्हें घर देने की पेशकश कर रही है तो अभी तक निर्णय क्यों नही लिया? केजरीवाल का सहानुभूति बटोरने का पाखंड अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है।

केजरीवाल के लिए आवास ढूंढने की कवायद तेज

जल्द छोड़ेंगे सिविल लाइन का बंगला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब सरकारी आवास को खाली करने की तैयारी तेज कर दी है।

इस्तीफा देने की घोषणा के बाद उनकी तरफ से श्राद्ध के बाद नवरात्रों में नए घर में जाने की बात कही थी। अब उनकी तरफ से इसकी तलाश जोर शोर से शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि वह अपना आवास नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ही रखेंगे जिससे वह अपने इलाके के लोगों से संपर्क बराबर रख सकें। आप पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसको लेकर पार्टी जल्द से जल्द उनके आवास का इंतजाम करने की कोशिश में जुटी है। इस पर पूरी गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि उनके लिए नया आवास ऐसी जगह पर ढूंढा जा रहा है जिससे कि उनके समय और संसाधनों के इस्तेमाल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पैदा हो।

सड़क पर लड़ते सांडों से टकराई मोटरसाइकिल, युवक की मौत

ग्रेटर नोएडा, 28 सितंबर (संवाददाता)।

थाना बिसरख क्षेत्र में स्थित पंचशील हाईनेस सोसाइटी के पास एक मोटरसाइकिल सड़क पर लड़ रहे दो सांडों से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर गया। इसी बीच एक सांड लड़ता हुआ उसके ऊपर जा गिरा। जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने उसे एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ग्राम पतवाड़ी निवासी महेश (45) थाना बिसरख क्षेत्र स्थित पंचशील हाईनेस सोसाइटी के पास से मोटरसाइकिल लेकर गुजर रहे थे। इसी दौरान सड़क पर दो सांड लड़ रहे थे। इस बीच लड़ रहे दो सांडों से महेश की मोटरसाइकिल टकरा गई। इसके बाद एक सांड उनके ऊपर गिर गया। जिससे महेश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत नजदीक के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

इमारत से गिरकर युवती की गई जान

सेक्टर-107 में स्थित एक निर्माणाधीन सोसाइटी में काम कर रही 18 वर्षीय युवती की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हो गई। मृतका प्रीति निवासी सलारपुर गांव सोसाइटी के निर्माण कार्य के दौरान लिफ्ट शाफ्ट के पास काम कर रही थी। इस दौरान वह अचानक असंतुलित होकर वह शाफ्ट में गिर गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची थाना सेक्टर-39 पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रीति काम के दौरान लिफ्ट की शाफ्ट में गिर गई थी।

हथियारों की आपूर्ति करने वाले दो तस्कर समेत तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने दिल्ली-एनसीआर के बदमाशों को मांग के हिसाब (आन डिमांड) हथियारों की आपूर्ति करने वाले दो तस्कर और हथियार खरीदने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान जाफराबाद निवासी समीर अहमद (19), साहिल (20) और करावल नगर निवासी शोएब (24) के तौर पर की गई है। इनकी निशानदेही पर तीन पिस्तौल, दो मैगजीन और 55 कारतूस बरामद किए हैं।

> **दिल्ली-एनसीआर के बदमाशों को मांग के हिसाब से पिछले छह महीने से कर रहे थे आपूर्ति।**

अपराध शाखा के उपायुक्त संजय कुमार सैन ने शनिवार को बताया कि समीर अहमद और साहिल रिजवान से पूछताछ में पता चला कि दोनों पिछले छह महीनों से हथियारों की तस्करी में संलिप्त थे। टीम ने दोनों आरोपियों को जाफराबाद इलाके से दबोचा। यह गिरोह उत्तरी-पूर्वी जिले में बदमाशों को मांग के हिसाब (आन डिमांड) से आपूर्ति करते थे। दोनों से की गई पूछताछ के बाद टीम ने करावल नगर निवासी शौएब को दबोचा, जो इनसे हथियार खरीदता था। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक पिस्तौल और 55 जिंदा कारतूस बरामद किए।

पहल | प्रचार-प्रसार में रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य हुआ

भवन निर्माता-खरीदार में 'क्यूआर कोड' से रुकेगा विवाद

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 28 सितंबर।

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माता और प्रापर्टी डीलरों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यूपी रेरा ने सभी प्रकार की विज्ञापन सामग्री और प्रचार-प्रसार में रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करने को अनिवार्य किया है।

रेरा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी परियोजना के प्रचार में परियोजना की रेरा पंजीकरण संख्या, विशिष्ट क्यूआर कोड, रेरा पोर्टल का लिंक, प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट नंबर को स्पष्ट और बड़े अक्षरों में उल्लेखित करना जरूरी है, ताकि वह आसानी से पठनीय हो। साथ ही भवन निर्माता यह भी सुनिश्चित करें कि केवल पंजीकृत डीलर (एजंट) ही उनकी परियोजनाओं को बेच रहे हैं। इन डीलरों का रेरा पंजीकरण संख्या भी विज्ञापनों में प्रदर्शित हो। रेरा ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी परियोजनाओं के विकासकर्ता को अपने कार्यालय, स्थल कार्यालय और निर्माण स्थल पर फार्म सी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रदर्शित करनी होगी। जो स्पष्ट होऔर दूर से भी पढ़ी जा सके। इसके अतिरिक्त जो भी प्रचार सामग्री जारी की जाएगी, उसमें परियोजना की रेरा पंजीकरण संख्या और क्यूआर कोड प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए।

बताया गया है कि यूपी रेरा का यह कदम भावी घर खरीदारों के हित में उठाया गया है। जिससे वह विज्ञापित परियोजनाओं की प्रामाणिकता को आसानी से सत्यापित कर सकें। खरीदार अपने मोबाइल फोन से विज्ञापित क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे रेरा पोर्टल पर परियोजना से संबंधित सभी विवरणों जैसे भूलेख, स्वीकृत नक्शा, टावर और तल की जानकारी, अन्य सुविधाएं, प्रस्तावित पूर्णता तिथि और निर्माण की स्थिति को देख सकते हैं।

खबर कोना

चोरी की सात महंगी गाड़ियों समेत चार दबोचे गए

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 28 सितंबर।

थाना सेक्टर 63 थाना पुलिस ने कार चोरी करने के बाद आनलाइन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के चार आरोपियों को चोरी की सात महंगी कारों सहित गिरफ्तार किया है। बरामद की गई गाड़ियों की कीमत करीब एक करोड़ 20 लाख बताई जा रही है। आरोपियों ने एक एप पर लोगों की चोरी की कारों की ब्रिकी की थी। पुलिस पकड़े गए आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश करने में लगी है। पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर को एक युवक ने थाने में शिकायत की थी, कि उसकी सफेद ब्रेजा का गाजियाबाद और अलवर में दो चालान हुए हैं। जबकि वह उन जगहों पर कभी नहीं गया। इसके बाद वह तकनीकी समस्या के चलते गाड़ी की सर्विस कराने के लिए मेरठ स्थित सर्विस सेंटर पर पहुंचे, तो पता चला कि उसकी गाड़ी की सर्विस पहले ही की जा चुकी थी। सर्विस सेंटर ने बताया कि गाड़ी की सर्विस शाहबेरी, बिसरख निवासी निखिल खत्री द्वारा कराई गई थी। जब पीड़ित ने निखिल से संपर्क किया, तो बताया कि उसने यह गाड़ी मई 2024 में खरीदी थी।

बेरोजगार युवाओं ने उपराज्यपाल कार्यालय पर किया प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

शहीद भगत सिंह की जयंती पर 'नौकरी दो या बेरोजगारी भत्ता दो' के नारे के साथ सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के युवा डीवाईएफआइ के बैनर तले शनिवार को उपराज्यपाल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद डीवाईएफआई प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने 'नौकरी दो या बेरोजगारी भत्ता दो', 'शहीद भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे', और 'बेरोजगारी बढ़ाने वाली भाजपा सरकार पर हल्ला बोल' के नारे लगाते हुए उपराज्यपाल कार्यालय की ओर कूच किया, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भारत की जनवादी नौजवान सभा के केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुरेश, राज्य अध्यक्ष रिक्ता कृष्णस्वामी, और राज्य सचिव अमन सैनी ने कहा कि मोदी सरकार युवा-विरोधी और रोजगार-विरोधी है, जिसके चलते आज देश और दिल्ली में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। पूरे देश में सरकारी विभागों में लाखों पद खाली होने के बावजूद भर्ती नहीं हो रही है।

महिला की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 28 सितंबर।

ग्रेनो वेस्ट में थाना ईकोटेक थ्री क्षेत्र के खेड़ा चौगानपुर गांव में पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने पहले पत्नी को जमकर पीटा। फिर लोहे के पाइप से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति वहां से भाग निकला था। जब बेटी घर पहुंची, तो वारदात का पता चला। आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठित की गई थी। एक सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को बालक इंटर कालेज के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से आलाकत्ल भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मूलरूप से जनपद लखीमपुर खीरी निवासी पुतान सिंह अपने परिवार के साथ खेड़ा चौगानपुर गांव में एक मकान में किराए पर रह रहे थे।

फोन पर बात करते नाले में गिरे युवक की डूबने से मौत

नोएडा, 28 सितंबर (संवाददाता)।

सेक्टर-52 के नाले में एक युवक गिर गया। उसे बचाया नहीं जा सका और डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि नोएडा प्राधिकरण ने शहर के नालों को खुला छोड़ दिया है, जिस वजह से युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान रोहित (35) के रूप हुई है। थाना सेक्टर- 24 पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रोहित की शादी हो चुकी थी और वह सेक्टर-52 के पास ही परिवार के साथ रहता था। शनिवार सुबह वह टहलने गया था। इस दौरान उसे किसी का फोन आया। फोन पर बात करते-करते पैर फिसलने से वह अचानक नाले में गिर गया।

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

माँग सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 6ठवां तल, प्लॉट–15, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव, हरियाणा–122002,
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, एससीएफ 12 मुख्य बाजार, सेक्टर 14, सोनीपत – 131001

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणकर्ता जिन्होंने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (आईएसएफसीएल) से ऋण प्राप्त किया और आईएसएफसीएल को अपने ऋण की इक्वेटेड मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में असफल रहे और यह कि नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उनके ऋण खाते को अनार्जनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। ऋणकर्ता(ओं) ने आईएसएफसीएल के पास अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूति प्रावधानित की है जिसके विवरण यहां इसमें नीचे उल्लिखित हैं। ऋण तथा ऋणकर्ता/ओं द्वारा आईएसएफसीएल को यथातिथि देय बकाया व भुगतानयोग्य राशियों का विवरण भी यहां नीचे उल्लिखित है। ऋणकर्ता(ओं) तथा साथ ही जनसामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईएसएफसीएल के अधिकृत प्राधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं) के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और निम्नलिखित विवरणों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना निर्गत की है। यदि निम्नलिखित ऋणकर्ता(गण) अपने नामों के सम्मुख अंकित बकाया देयताओं का प्रतिभुगतान सूचना की तिथि के 60 (साठ) दिनों के भीतर करने में असफल रहते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता संपत्ति का अधिग्रहण करने तथा उसकी बिक्री करने की शक्तियों सहित सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जनसामान्य को यहां इसमें नीचे वर्णित संपत्तियों के साथ संव्यवहार न करने का परामर्श दिया जाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि के नाम, ऋण खाता सं.	एनपीए तिथि / माँग सूचना	राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) (अचल संपत्तियों) का विवरण
1.	श्री/श्रीमती सुमन पत्नी पवन / श्री/श्रीमती पवन के विधिक उत्तराधिकारी, ऋण खाता संख्या / ए.पी. सं. **LA11CLLONS000005008600/ AP-10013951**	10 सितंबर 2024 / 25–सितंबर–2024	मांग सूचना राशि : रु. 4,50,336/– (रुपये चार लाख पचास हजार तीन सौ छत्तीस मात्र) 24 सितंबर 2024 को देय, 25 सितंबर 2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत के साथ।	1 किता के समस्त भाग तथा अंश, प्लॉट क्षेत्रफल 340 वर्ग गज अर्थात 11 मरले (11/2059 का भाग) अरजी मवाजी 102 कनाल 19 मरले मंदरजा खेवट नंबर 381//354 खाता नंबर 413, वाका मौजा पंछी जट्टंते गनौर जिला सोनीपत हरियाणा 131101 में स्थित। सीमा :– पूर्व– रोड, पश्चिम– दरिया सिंह का प्लॉट, उत्तर– प्लॉट सुरता सिंह का, दक्षिण– स्ट्रीट।

(प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान : हरियाणा, दिनाँक : 29–09–2024 इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SBFC

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

(तत्कालीन एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालयः– यूनिट नंबर 103, प्रथम तल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी– कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400059

मांग सूचना

जबकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं ने एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हम बताते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद, उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं ने देय तिथियों के अनुसार ब्याज और मूल राशि के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार, एसबीएफसी की पुस्तकों में नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर खाते को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर डिमांड नोटिस जारी किए गए, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं से नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस में उल्लिखित राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया।
उनके अंतिम ज्ञात पतों पर जारी किए गए नोटिस बिना तामील के वापस आ गए हैं, इसलिए उन्हें इसके बारे में सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्र. सं	उधारकर्ता का नाम /पता	एनपीए और मांग सूचना की तारीख	ऋण और बकाया राशि	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण
1	1. राजकुमार, 2. पूनम, 3. आदित्य, 4. हिमांशु, 889/ए/281, गली नंबर 5, वार्ड नंबर 28, रामसिंहपुरा, रेवाड़ी, हरियाणा– 123401	सूचना की तारीख 12 अगस्त 2024 एनपीए तिथि: 5 अगस्त 2024	ऋण खाता संख्या SBFCLAP0000026900 (PR01478795) ऋण राशि: रु. 21,00,000/– बकाया राशि: रु.22,10,996/– (रुपये बाईस लाख दस हजार नौ सौ छियानवे मात्र) 6 अगस्त 2024 तक	भूमि/प्लॉट संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जो (संपत्ति आईडी 3Q8PUUR5 पुराना था RW28U00408AA) 161 वर्ग गज माप का है, रामसिंहपुरा रेवाड़ी, तहसील और जिला रेवाड़ी में स्थित है।
2	1. ब्रिजा देवी स्टील फैब्रिकेटर्स, 2. रामनाथ सिंह, 3. ब्रिजा देवी, मकान नंबर 337, गली नंबर 22, संजय कॉलोनी सेक्टर 23, फरीदाबाद, हरियाणा– 121005।	सूचना की तारीख 22 अगस्त 2024 एनपीए तिथि: 5 अगस्त 2024	ऋण खाता संख्या 772-7959781 (PR00737189) ऋण राशि: रु. 10,65,979/– बकाया राशि: रु.9,81,445/– (रुपये नौ लाख इक्यासी हजार चार सौ पैंतालीस मात्र) 20 अगस्त 2024 तक	संपत्ति संख्या 337 का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 87 वर्ग गज है, मुस्तैद नंबर 31/9 में से, वाका मौजा गोंची, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है।

उपरोक्त परिस्थितियों में, उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज और लागू शुल्कों के साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करें। इस नोटिस की तारीख के 60 दिनों की समाप्ति के बाद सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और उसके तहत लागू नियमों के तहत उधारकर्ताओं और बंधककर्ताओं की सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करने सहित सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत, कोई भी उधारकर्ता, सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना, नोटिस में निर्दिष्ट अपनी किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित नहीं करेगा।

दिनांक: 29 सितम्बर 2024 हस्ता/–
स्थानः हरियाणा (प्राधिकृत अधिकारी) एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड।

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated September 03, 2024, the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE" or "Stock Exchange"), and the Securities and the Exchange Board of India ('SEBI').

GANESHA ECOVERSE

GANESHA ECOVERSE LIMITED

(Formerly Known as SVP Housing Limited)

Our Company was originally constituted as a Private Limited Company having CINU25209DL2003PTC118413 by the name of Apollo Fittings Private Limited under the provisions of the Companies Act, 1956, on January 10, 2003, in New Delhi. Subsequently, the name of the Company was changed to Mahabir Metallex Private Limited vide a fresh Certificate of Incorporation dated January 13, 2014. Further, the Company was converted into a public limited company vide a fresh Certificate of Incorporation dated February 7, 2014, and consequently the name of the company was changed to Mahabir Metallex Limited. Thereafter, the name of the Company was changed to SVP Housing Limited, on March 14, 2017. Further, the name of the Company has been changed to "Ganesha Ecoverse Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated August 21, 2023. Further the Certificate of Registration dated August 22,2023, was issued upon change in object clause of the Company. The CIN of the Company is L13114DL2003PLC118413. For further details of changes in name and changes in registered office, see "General Information" on page no. 37 of the Letter of Offer.

Registered Office: P3-211, Second Floor, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi – 110006
Telephone No.: +91-7054308130 | Email : ganeshaecoverse@gmail.com | Website : www.ganeshaecoverse.com
Contact Person: Ms. Neha Gajwani, Company Secretary and Compliance Officer
Corporate Identification Number: L13114DL2003PLC118413

PROMOTERS OF THE COMPANY: 1) SANDEEP KHANDELWAL, 2) VISHNU DUTT KHANDELWAL

ISSUE OF UP TO 1,34,15,280 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF THE FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 35/- PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO ₹ 4,695.35 LAKH ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 (FIVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON MONDAY, SEPTEMBER 09, 2024 (THE "ISSUE"). FOR DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 119 OF THE LETTER OF OFFER.

ATTENTION INVESTORS

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

With reference to the ongoing Rights Issue of the Company and the Letter of Offer filed by the Company with the Stock Exchange and SEBI and the Abridged Letter of Offer and Application form that have been sent to the eligible equity shareholders of the Company, the eligible equity shareholders are requested to please note the following:
The date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday, September 20, 2024, and was schedule to close on Monday, September 30, 2024, **has now been extended to Friday, October 04, 2024**, by the Capital Raising Committee in its meeting held on Thursday, September 26, 2024.
Accordingly, the last date of submission of duly filled in Application form (along with the amount payable on application) is Friday, October 04, 2024. Equity shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as **Friday, October 04, 2024.**

REVISED SCHEDULE	
Issue Opening Date:	Friday, September 20, 2024
Issue Closing Date*	Friday, October 04, 2024
Finalization of Basis of Allotment (on or about):	Thursday, October 10, 2024
Date of Allotment (on or about):	Friday, October 11, 2024
Date of credit (on or about):	Tuesday, October 15, 2024
Date of listing (on or about):	Friday, October 18, 2024

**Our Board may, however, decide to further extend the issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the issue Opening Date (inclusive of the issue Opening Date).*
**Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the issue Closing Date.*
**Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the issue Closing Date.*
This Notice shall be available on the respective websites of our Company at www.ganeshaecoverse.com: the Registrar to the issue at www.skylinerta.com; and the Stock Exchange at www.bseindia.com.
There is no other change in the Letter of Offer and Abridged Letter of Offer dated September 03, 2024, and Application Form except for modification in the issue Closing date and consequent change in indicative timelines of post issue activities.

On behalf of the Board of Directors
For Ganesha Ecoverse Limited
(Formerly Known as SVP Housing Limited)
Date: September 29, 2024 Sd/-
(Neha Gajwani)
Company Secretary and Compliance Officer

SMFG Grihashakti

एसएमएफजी इण्डिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

(पूर्व की फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड)
■ कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी–ब्लॉक, इंस्पायर बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई–400 051
■ पंजीकृत कार्यालय : मेघ टॉवर्स, तीसरा तल, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पूनमल्ली हाई रोड, मदुरावॉयल, चेन्नई–600095, तमिलनाडु

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम ९(1) के प्रावधान साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्ति(यों) की बिक्री हेतु 15 दिन की ई–नीलामी विक्रय सूचना

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों, जिस पर एसएमएफजी इण्डिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (पूर्व की फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड) (इसके पश्चात एसएमएचएफसी सन्दर्भित) ("प्रतिभूत लेनदार") के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की बिक्री निम्नलिखित कर्जदारों तथा जमानती(यों) से एसएमएचएफसी, प्रतिभूत लेनदार के भावी ब्याज तथा वसूली की तिथि तक अन्य व्ययों सहित निम्नलिखित बकायों की वसूली के लिए निम्नलिखित तिथि एवं समय पर "**जहाँ है जैसे है**", "**जो है यही है**", तथा "**जो कुछ भी है वहीं है**" आधार पर की जायेगी।

क्र. स.	कर्जदार(रों)/ जमानती(यों) के नाम लैन	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रू. में) / जमा धरोहर राशि (रू. में)	ई–नीलामी की तिथि	ईएमडी जमा करने की तिथि
01.	लैनः 605439511205800 1. रवि कुमार पुत्र अनंगपाल सिंह 2. गुंजन देवी	❖ संपत्ति संख्या 1: निर्मित द्वितीय तल, छत के अधिकार के बिना, माप क्षेत्र 108 वर्ग गज, यानि 90.29 वर्ग मीटर, संपत्ति संख्या 1/1759/ए, खसरा संख्या 124 में से, साइट पर निर्मित इसकी पूरी संरचना सहित, इसके सभी फिक्सचर और फिटिंग्स उस पर लगे हुए हैं, अलग मीटर के साथ बिजली और पानी के मीटर कनेक्शन के साथ, सभी सामान्य सुविधाओं जैसे सामान्य सीढ़ी / सीवर लाइन और अलग पानी की लाइन, कॉमन गैलरी, कॉमन पैसेज, सामान्य प्रवेश के साथ, स्टिल्ट फ्लोर पर 1/4 पार्किंग की जगह, केवल टीवी एंटीना और पानी की टंकी इत्यादि की स्थापना और रखरखाव के लिए शीर्ष मंजिल की छत पर, सभी आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वामित्व अधिकारों के साथ नीचे की जमीन, गांवः चंद्रावली उर्फ शाहदरा, बगीची हरदेव मिस्सर की आबादी में, जी. टी. रोड, शाहदरा, माली राम रोड, राम नगर, जी.टी. रोड के पास, शाहदरा दिल्ली–110032 के क्षेत्र में स्थित। ❖ संपत्ति संख्या 2: निर्मित तीसरी मंजिल, छत के अधिकार के बिना, माप क्षेत्र 108 वर्ग गज, यानी 90.29 वर्ग मीटर, संपत्ति संख्या 1/1759/ए, खसरा संख्या 124 में से, साइट पर निर्मित इसकी संपूर्ण संरचना सहित, इसके सभी फिक्सचर और फिटिंग्स उस पर लगे हुए हैं, अलग मीटर के साथ बिजली और पानी के मीटर कनेक्शन के साथ, सभी सामान्य सुविधाओं जैसे सामान्य सीढ़ी / सीवर लाइन और अलग पानी की लाइन, कॉमन गैलरी, कॉमन पैसेज, कंपनी जैसी सभी सामान्य सुविधाओं के साथ सामान्य प्रवेश द्वार के साथ, स्टिल्ट फ्लोर पर 1/4 पार्किंग की जगह, केवल टीवी एंटीना की स्थापना और रखरखाव के लिए शीर्ष मंजिल की छत पर एक पानी की टंकी इत्यादि, सभी आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वामित्व अधिकारों के साथ नीचे की जमीन, गांव चंद्रावली उर्फ शाहदरा के क्षेत्र में, बगीची हरदेव मिसर की आबादी में रोड, शाहदरा, माली राम रोड, राम नगर, जी.टी. रोड के पास, शाहदरा दिल्ली–110032 के क्षेत्र में स्थित।	59,20,000/- / 5,92000/-	15.10.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप.	14.10.2024
02.	लैनः 695439211218557 1. रितू गुप्ता 2. लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता	संपत्ति संख्या 63 क्षेत्र माप 95 वर्ग गज, खसरा नंबर 60/13 में से, गांव हस्तसाल दिल्ली कॉलोनी के राजस्व संपदा में स्थित है, ब्लॉक आर –2 मोहन गार्डन उत्तम नगर नई दिल्ली–110059, निम्नानुसार सीमाएंः – पूर्वः – प्लॉट नंबर 63 का हिस्साः पश्चिमः गली 10 फीट; उत्तरः प्लॉट नंबर 64; दक्षिणः सड़क 20 फीट।	19,60,000/- / 1,96,000/-	15.10.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप.	14.10.2024
03.	लैनः 613739211287729 1. सुरेन्दर कुमार 2. शोभा कुमारी	पहली मंजिल के पीछे के हिस्से की संपत्ति का समस्त भाग, बिना छत/टेरेस के अधिकार के, फ्री होल्ड के अधिकार वाली निर्मित संपत्ति नंबर 53–ए, जिसका माप 45 वर्ग गज यानी 37.82 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 543 में से, गांव बिंदापुर, दिल्ली राज्य, दिल्ली क्षेत्र, आबादी के राजस्व संपदा में स्थित, कॉलोनी कुशो राम पार्क उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059	14,90,000/- / 1,49,000/-	15.10.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप.	14.10.2024
04.	लैनः 609139211353329 1. सोनिया बीर सिंह 2. देविन्दर कुमार	संपत्ति की दूसरी मंजिल का समस्त भाग, बिना छत / टेरेस अधिकारों के, 58.5 वर्ग गज का क्षेत्रफल, यानि 489115 वर्ग मीटर, संपत्ति संख्या डब्ल्यूजेड–94/1 में से, साथ में 58.5 वर्ग गज यानि 489115 वर्ग मीटर की नीचे की जमीन का आनुपातिक अविभाजित अविभाज्य और निष्पक्ष स्वामित्व अधिकार। स्टिट फ्लोर पर एक छोटी कार पार्किंग के साथ, खसरा नंबर 65/2/1 में से, पालम कॉलोनी गांव के क्षेत्र में स्थित, साध नगर पालम कॉलोनी, दिल्ली–110045	18,50,000/- / 1,85,000/-	15.10.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप.	14.10.2024

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं तथा विवरण हमारे प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट लिंक पता (**https://disposalhub.com and https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf**) में भी प्रावधानित हैं। इच्छुक संविदाकार श्री आशीष कौशल, अधिकृत व्यक्ति का नाम, मोबाइल नं. 8527134222, ई–मेल : **Ashish.Kaushal@grihashakti.com** तथा श्री निलोय डे, मोबाइल नं. 9320697801, ई–मेल : **Niloy.Dey@grlhashakti.com** से सम्पर्क कर सकते हैं।

हस्ता./–
स्थान : दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
तिथि : 27.09.2024 (पूर्व की फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड)

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IT IS A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.
INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED ("**BSE**") AND ("NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("**NSE**", AND TOGETHER WITH BSE, THE "**STOCK EXCHANGES**") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("**SEBI ICDR REGULATIONS**")

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

ECHON®

KUMAR ARCH TECH LIMITED

Our Company was originally incorporated as "*Kumar Arch Tech Private Limited*" under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated February 23, 1998, issued by Registrar of Companies, Gujarat at Dadra & Nagar Haveli. The name of our Company was subsequently changed to "*Kumar Arch Tech Limited*", upon conversion of our Company from a private limited to a public limited company, pursuant to a board resolution dated August 2, 2024, and a shareholders' resolution dated August 6, 2024. A fresh certificate of incorporation dated September 4, 2024, was issued by the Registrar of Companies, Gujarat at Ahmedabad ("**RoC**").

Registered Office: 302, Parshwnath Business Park, Survey No. 836, F P No. 1/2, Prahladnagar Vejalpur, Ahmedabad City – 380051, Ahmedabad, Gujarat, India
Corporate Office: F1B, 11A, Shubham Complex, New Fatehpura, Udaipur, Rajasthan – 313 001. **Telephone**: 0294 2941577
Contact Person: Rahul Ranka, Company Secretary and Compliance Officer; **E-mail**: cs@echon.co; **Website**: www.echon.co; **Corporate Identity Number**: U36999GJ1998PLC033735

OUR PROMOTERS: JITENDRA KUMAR TAYLIA, SHUBHAM TAYLIA, SHAKUN TAYLIA, MADHU AGRAWAL AND M.M. THERMOPLAST PRIVATE LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH ("EQUITY SHARES") OF KUMAR ARCH TECH LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 7,400.00 MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF ₹ 2 EACH BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 2,400.00 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF ₹ 2 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 5,000.00 MILLION (THE "OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO [●] EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF ₹ 2 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 2,270.00 MILLION BY JITENDRA KUMAR TAYLIA, UP TO [●] EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF ₹ 2 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 1,050.00 MILLION BY SHUBHAM TAYLIA, UP TO [●] EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF ₹ 2 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 90.00 MILLION BY SHAKUN TAYLIA, UP TO [●] EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF ₹ 2 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 175.00 MILLION BY MADHU AGRAWAL, UP TO [●] EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF ₹ 2 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 70.00 MILLION BY M.M. THERMOPLAST PRIVATE LIMITED, UP TO [●] EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF ₹ 2 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 600.00 MILLION BY SURBHI JITENDRAKUMAR TAYLIA, UP TO [●] EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF ₹ 2 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 60.00 MILLION BY J.S. CONSTRUCTION, UP TO [●] EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF ₹ 2 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 70.00 MILLION BY RITURAJ PIPES AND PLASTICS PRIVATE LIMITED, AND UP TO [●] EQUITY SHARES HAVING FACE VALUE OF ₹ 2 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 615.00 MILLION BY TIRUPATIBALAJI BUILD-CON PRIVATE LIMITED (REFERRED TO AS THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFERED SHARES"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [•]%, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹2 EACH AND THE OFFER PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF EQUITY SHARE. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DETERMINED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS (THE "BRLMS") AND WILL BE ADVERTISED IN [●] EDITIONS OF THE [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL NEWSPAPER), [●] EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL NEWSPAPER) AND [●] EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED GUJARATI NATIONAL NEWSPAPER, GUJARATI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF GUJARAT, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED) AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE" AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT, THROUGH A PREFERENTIAL ISSUE OR ANY OTHER METHOD AS MAY BE PERMITTED UNDER THE APPLICABLE LAW, PRIOR TO THE FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS, FOR AN AMOUNT NOT EXCEEDING ₹ 480.00 MILLION. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SCRR. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE. PRIOR TO THE COMPLETION OF THE OFFER, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY, INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER, OR THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT INTO LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE PROSPECTUS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding a total of 10 Working Days. In cases of *force majeure*, banking strike or similar circumstances, our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the Book Running Lead Managers and at the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to the other Designated Intermediaries and the Sponsor Bank(s), as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "**SCRR**"), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (the "**QIB Portion**"), provided that our Company, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis by our Company, in consultation with the BRLMs, in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the "**Anchor Investor Portion**"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("**Anchor Investor Allocation Price**"). In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) (the "**Net QIB Portion**"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders ("**Non-Institutional Portion**"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, of which one-third of the Non-Institutional Portion shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 0.20 million and up to ₹ 1.00 million and two-thirds of the Non- Institutional Portion shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 1.00 million and under-subscription in either of these two sub-categories of the Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other sub-category of the Non-Institutional Portion in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Portion ("**Retail Portion**"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders (except Anchor Investors) shall mandatorily participate in the Offer only through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID in case of UPI Bidders in which the Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") or pursuant to the UPI Mechanism, as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, see "*Offer Procedure*" on page 337 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP with SEBI and the Stock Exchanges on September 27, 2024. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges has been made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.echon.co and on the websites of the Book Running Lead Managers ("**BRLMs**"), i.e. Motilal Oswal Investment Advisors Limited and Equirus Capital Private Limited at www.motilaloswalgroup.com and www.equirus.com, respectively. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of the comments to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs in relation to the Offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investment in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "*Risk Factors*" on page 27 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after the Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on BSE and NSE.

For details of the share capital and capital structure and the names of the signatories to the memorandum and the number of shares subscribed by them of our Company, please see the section titled "*Capital Structure*" on page 74 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled "*History and Certain Corporate Matters*" on page 195 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
MOTILAL OSWAL INVESTMENT BANKING	equirus	KFINTECH
Motilal Oswal Investment Advisors Limited Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India **Telephone**: +91 22 7193 4380 **E-mail**: echon.ipo@motilaloswal.com **Website**: www.motilaloswalgroup.com **Investor grievance e-mail**: moiaplredressal@motilaloswal.com **Contact person**: Subodh Mallya/ Sankita Ajinkya **SEBI registration no.**: INM000011005	**Equirus Capital Private Limited** 1201, C Wing, Marathon Futurex, N.M. Joshi Marg, Lower Parel Mumbai - 400 013, Maharashtra, India **Telephone**: +91 22 4332 0735 **E-mail**: echon.ipo@equirus.com **Website**: www.equirus.com **Investor grievance e-mail**: investorsgrievance@equirus.com **Contact person**: Jenny Bagrecha **SEBI registration no.**: INM000011286	**KFin Technologies Limited** Selenium, Tower B, Plot No- 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy - 500 032, Telangana, India **Telephone**: +91 40 6716 2222/18003094001 **E-mail**: kumararch.ipo@kfintech.com **Investor grievance E-mail**: einward.ris@kfintech.com **Website**: www.kfintech.com **Contact person**: M. Murali Krishna **SEBI registration number**: INR000000221

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **KUMAR ARCH TECH LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Place: Ahmedabad **Rahul Ranka**
Date: September 28, 2024 Company Secretary and Compliance Officer

KUMAR ARCH TECH LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and filed the DRHP with SEBI and the Stock Exchanges on September 27, 2024. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, and is available on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.echon.co and on the website of the BRLMs, i.e. Motilal Oswal Investment Advisors Limited and Equirus Capital Private Limited at www.motilaloswalgroup.com and www.equirus.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see ***"Risk Factors"*** beginning on page 27 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges, and should instead rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved, for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. The Equity Shares offered in the Offer have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("**U.S. Securities Act**") or any state securities law in the United States, and unless so registered and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. applicable state securities laws in the United States. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

Adfactors 402

कल्पमेधा

संयम संस्कृति का मूल है। विलासिता, निर्बलता और अनुकरण के वातावरण में संस्कृति का विकास नहीं होता।

- काका कालेलकर

खोया हुआ पड़ोस

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत का घटता प्रभाव अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मोदी साहब की विदेश नीति भारत को वैश्विक मामलों में 'शांतिप्रिय मध्यस्थ' के रूप में पेश करके शोहरत बटोरने का प्रयास कर रही है। रूस, यूक्रेन, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के नेताओं के साथ उनकी गतिविधियों और बैठकों में तेजी तथा जी-20, संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन और क्वाड में उनका भाग लेना इसके उदाहरण हैं।

भारत अपने पड़ोसी चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, मगर कोई भी चीन को हमारा पड़ोसी नहीं मानता। हैरानी की बात है, कि क्यों? लंबी सीमाओं वाले हमारे दो और पड़ोसी हैं- पाकिस्तान (3,310 किमी) और बांग्लादेश (4,096 किमी)। हमने व्यावहारिक रूप से उनके साथ की पूरी सीमा पर बाड़ लगा दी है। नेपाल और भारत के बीच एक 'खुली सीमा' नीति है और, कुछ अड़चनों को छोड़ दें तो, खुली सीमा ने दोनों देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और आमजन की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया है। भूटान एक छोटा देश है, जो भारत के साथ 578 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, लेकिन वह मूल्यवान और रणनीतिक रूप से स्थित हमारा पड़ोसी है। श्रीलंका संकरे पाक जलडमरूमध्य से अलग है और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से, एक महत्त्वपूर्ण और कभी-कभी समस्याग्रस्त पड़ोसी है। मालदीव कुछ दूरी पर है, लेकिन हमने चीन के बावजूद उस देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। 1988 में, हमने मालदीव को डाकुओं के एक समूह द्वारा कब्जा किए जाने से बचाया था, मगर मुझे शक है कि किसी को भी वह 'आपरेशन कैक्टस' याद होगा। भारत के साथ अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की एक छोटी-सी सीमा है। इसकी अशांत घरेलू राजनीति ने भारत के साथ संबंधों को 'आन-आफ' मोड पर रखा है। भारत और ये देश, चीन को छोड़कर, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) नामक एक क्षेत्रीय समूह के सदस्य हैं।

सार्क कहां है?

भारतीय योजनाओं में इन पड़ोसियों का क्या स्थान है? इंद्र कुमार गुजराल ने 'लुक ईस्ट' नीति की घोषणा की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने चतुराई से उस नीति को 'एक्ट ईस्ट' में बदल दिया।

जैसा कि उनका स्वभाव है, नरेंद्र मोदी ने बड़े शान के साथ अपनी सरकार की नीति में 'पड़ोस प्रथम' की घोषणा कर दी।

पड़ोसी देशों में प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रुचि को लेकर मेरे भीतर जिज्ञासा जागी। मैंने जानने की कोशिश की कि मोदी साहब ने आखिरी बार 'सार्क' के सदस्य देशों का दौरा कब किया था, और मुझे पीएमइंडिया वेबसाइट से निम्नलिखित जानकारी मिली:

भूटानः 2024, मार्च
नेपालः 2022, मई
बांग्लादेशः 2021, मार्च
मालदीवः 2019, जून
श्रीलंकाः 2019, जून
अफगानिस्तानः 2016, जून
पाकिस्तानः 2015, दिसंबर

मैंने यह भी पाया कि पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री ने नेपाल की पांच बार, भूटान की तीन बार, श्रीलंका की तीन बार, बांग्लादेश की दो बार, मालदीव की दो बार, अफगानिस्तान की दो बार और पाकिस्तान की एक बार यात्रा की। ये अठारह यात्राएं मोदी साहब के कार्यकाल में की गई बयासी विदेश यात्राओं में से थीं। मुझे यह देखकर निराशा हुई कि मार्च, 2024 में भूटान की एक दिवसीय यात्रा को छोड़कर, उन्होंने दो वर्ष से अधिक समय तक किसी अन्य पड़ोसी देश का दौरा नहीं किया। अठारहवां 'सार्क' शिखर सम्मेलन नवंबर, 2014 में नेपाल के काठमांडो में आयोजित किया गया था। नवंबर, 2016 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में होने वाले उन्नीसवें शिखर सम्मेलन का भारत ने बहिष्कार किया था, उसके बाद चार अन्य देशों ने भी इसका बहिष्कार कर दिया था। तबसे कोई शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह ने 'सार्क' को 'पूरी तरह विफल' घोषित किया था। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने उस निष्कर्ष को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है।

ड्रैगन और हाथी

अपने कार्यकाल के दौरान, मोदी साहब ने 2015 से जून, 2018 के बीच पांच बार चीन का दौरा किया, जिसके बाद संबंधों में खटास आ गई। उन्होंने दो बार म्यांमा और एक बार मारीशस का भी दौरा किया।

चीन, मोदी को गुस्सा दिलाता है, मगर सभी पहलुओं को देखने से पता चलता है कि वे असहाय हैं। उन्होंने चीन को भारत की नीतियां निर्धारित करने की अनुमति दे दी है। सैन्य वापसी को लेकर बातचीत में, चीन एजंडा तय कर रहा है, और अंतहीन दौरों की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं नजर आ रहा है।

सैन्य उपस्थिति के मामले में, चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और सड़कें, पुल, बस्तियां, शिविर, भूमिगत सुविधाएं और भंडारण स्थल बना रहा है। व्यापार के मामले में, चीन के साथ घाटा 2013-14 के 37 अरब डालर से बढ़कर 2023-24 में 85 अरब डालर हो गया है। मारीशस उन लोगों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनकर खुश है, जो उस देश में पैसा लाना और भारत में निवेश करना चाहते हैं। म्यांमा रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में धकेलता है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इन स्थितियों के बदलने से भारत को क्या हासिल हुआ है? अभी तक तो कुछ भी नहीं।

हमें अपने पड़ोस को नजरअंदाज करने की कीमत चुकानी पड़ी है। हमने नेपाल में मध्यावधि सरकार बदलने की उम्मीद नहीं की थी, पर केपी शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शेख हसीना को सचमुच बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया जाएगा। हमने रनिल विक्रमसिंघे को तो अपने साथ जोड़े रखा, पर अनुरा दिसानायके से बहुत कम संपर्क किया, जिन्हें 42.3 फीसद मतों के साथ श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया है। मालदीव के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, मोहम्मद मुइज्जू ने पहला काम यह किया कि अपने यहां से कुछ भारतीय सैन्य सलाहकारों को बेदखल कर दिया। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मुझे संदेह है कि मोदी सरकार की नीति उसके घरेलू राजनीतिक गणित से तय होती है और उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उस देश के असली शासक कौन हैं।

अपने पांव पर कुल्हाड़ी

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत का घटता प्रभाव अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मोदी साहब की विदेश नीति भारत को वैश्विक मामलों में 'शांतिप्रिय मध्यस्थ' के रूप में पेश करके शोहरत बटोरने का प्रयास कर रही है। रूस, यूक्रेन, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के नेताओं के साथ उनकी गतिविधियों और बैठकों में तेजी तथा जी-20, संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन और क्वाड में उनका भाग लेना इसके उदाहरण हैं।

हालांकि मोदी साहब के साथ हमारी शुभकामनाएं सदा रही हैं, पर हम उन्हें यह भी याद दिला दें कि 'पड़ोस प्रथम' की उनकी नीति को पड़ोस के अंतिम छोर या पड़ोस के खो जाने के रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है।

सपनों की मरीचिका

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

जब खैरात बांटने पर लगाया जाता है मतदाताओं के वोट हासिल करने के लिए तो वह पैसा जो लगना चाहिए सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, शहरों की सफाई, बिजली, पानी पर, वह खर्च होता है वोट हासिल करने पर। भ्रष्टाचार के दौर में होता यह है कि कुछ पैसा आम लोगों की जेबों में भी चला जाए, लेकिन देश की गाड़ी फिर थोड़ा धीरे चलने लगती है विकसित भारत के उस चमकते लक्ष्य की तरफ।

पिछले सप्ताह तक तकरीबन तय था कि महाराष्ट्र में इस बार नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चलने वाला है। मैंने ऐसा देहातों में सुना था और मुंबई शहर में भी। लेकिन इस लेख को लिखने बैठी थी कि मैंने एक जान-पहचान के 'मराठी मानुस' से पूछा कि अब चुनावी हवा किसके पक्ष में चल रही है, तो हैरान रह गई जब उसने कहा 'अब तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी'। यह व्यक्ति मुंबईकर है, लेकिन अपने गांव की खबर रखता है। पत्रकार नहीं, लेकिन राजनीति में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेता है। मैंने जब उससे आगे पूछा कि मोदी का जादू फिर से कैसे चलने लगा है तो उसका जवाब था, 'मेरी पत्नी के बैंक में तीन हजार रुपए जमा हो गए हैं लाडली-बहना योजना के तहत, इससे फर्क पड़ेगा'।

इस योजना के तहत महाराष्ट्र की महिलाओं को पंद्रह सौ रुपए दिए जाएंगे अगर उनकी आय के हिसाब से उनको लायक पाया जाता है। आनलाइन वेबसाइट पर जाकर महिलाएं मालूम कर सकती हैं कि उनको ये पैसे मिल सकते हैं कि नहीं। थोड़ी और पूछताछ के बाद मुझे मालूम हुआ कि देहातों में भी कई महिलाओं को यह पैसा मिलने लगा है और अब उनकी नजरों में महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि दोबारा इसको जिताने के लिए कई महिलाओं ने मन बना लिया है। यहां याद दिलाना चाहती हूं आपको कि कुछ ऐसी ही योजना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी विधानसभा चुनावों से पहले और विश्लेषक मानते हैं कि उनकी जीत का अहम कारण यह योजना बन गई थी।

ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं समाज कल्याण के नाम पर, लेकिन कड़वा सच यह है कि ये वास्तव में मतदाताओं को रिश्वत देकर उनके वोट हासिल करने का काम करती हैं। पांच साल जब आम लोगों के जीवन में शासक कोई ठोस परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, तो अचानक इस तरह की योजनाएं बन जाती हैं। याद कीजिए वह भाषण, जो राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों से पहले दिए थे। इनमें वादा किया महिलाओं से कि 'उनकी सरकार अगर बनती है तो उनके बैंक खातों में हर महीने आठ हजार रुपए जमा किए जाएंगे खटाखट, खटाखट'। सरकार उनकी बेशक न बनी हो, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी को पूर्ण बहुमत न मिलने का कारण थे विपक्ष के ऐसे वादे।

अब अगर आप कहें कि ऐसा करके हर्ज क्या होता है इस गरीब देश का, तो जवाब यह है कि नुकसान इस खैरात से होता है असली विकास की योजनाओं को। जैसे एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था 'पैसा आखिर पेड़ों पर तो नहीं उगता है'। उसको लाया जाता है कहीं न कहीं से। जब खैरात बांटने पर लगाया जाता है मतदाताओं के वोट हासिल करने के लिए तो वह पैसा जो लगना चाहिए सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, शहरों की सफाई, बिजली, पानी पर, वह खर्च होता है वोट हासिल करने पर। भ्रष्टाचार के दौर में होता यह है कि कुछ पैसा आम लोगों की जेबों में भी चला जाए, लेकिन देश की गाड़ी फिर थोड़ा धीरे चलने लगती है विकसित भारत के उस चमकते लक्ष्य की तरफ।

सबूत चाहिए तो दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर के बाहर निकल कर थोड़ी दूर पैदल चलने की तकलीफ करेंगे आप तो आपको दिखेंगी गंदी नालियां, सड़ते कचरे के ढेर या बदहाल स्कूल और अस्पताल। इन चीजों की मरम्मत के लिए अक्सर हमारे शासकों के पास पैसे नहीं होते हैं। कुछ इसलिए कि काफी हद तक पैसा जाता है भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं की जेब में, लेकिन कारण यह भी है कि वास्तव में पैसा इतना है नहीं कि खर्च किया जाए मरम्मत के कार्यों पर। नतीजा यह कि भारत माता के दर्शन करने जब विदेशी पर्यटक आते हैं तो गंदगी और बेहाल बस्तियों को देखकर तय यही करते हैं कि अभी तक भारत की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में ही है।

जबसे मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उनकी कोशिश रही है आम जनता को विकास और समृद्धि के सपने दिखाने की। हाल में जब अपने विदेशी दौरे पर उन्होंने प्रवासी भारतीयों के एक सम्मेलन को न्यूयार्क में संबोधित किया था तो गर्व से उनसे कहा था कि वे दिन दूर नहीं, जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगी- अमेरिका और चीन के बाद। अच्छा लगा इस बात को सुनकर और उस बड़े मजमे में खूब तालियां बजीं। बाद में जब पत्रकारों ने कुछ श्रोताओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि जबसे मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनको भारतीय होने पर गर्व होने लगा है। सवाल यह है कि इतना गर्व है इनको, तो वापस वतन क्यों नहीं लौट आते?

सवाल यह भी है कि लाखों रुपए दलालों को देकर हजारों की तादाद में भारतवासी क्यों 'डंकी' रास्ते से निकल पड़ते हैं विदेशों में हर साल? घर, परिवार, जमीन-जायदाद सब छोड़ कर जाते हैं ये लोग अमेरिका, कनाडा जैसे संपन्न देशों में नया जीवन शुरू करने। वहां पहुंचकर इनमें से मुट्ठी भर ही ऐसे हैं, जो अमीर बन जाते हैं। बाकी बेहाल जीवन ही बिताते हैं, लेकिन खुश हैं इस बात से कि बुनियादी सुविधाएं तो कम से कम उन देशों में होती हैं। बिजली, पानी, इंटरनेट, सफाई का कोई अभाव नहीं होता है। न ही अभाव है अच्छे स्कूलों और अस्पतालों का, तो जैसे-तैसे उनका जीवन बेहतर बन जाता है। इनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं, जो भारत छोड़ने के बाद कभी वापस आते हैं इसलिए कि वहां चाहे दिन-रात मेहनत, मजदूरी करनी पड़े, विकसित देशों में रहने के कई फायदे मिलते हैं जो भारत में नहीं हैं।

सभ्यता विकास के चरण

संस्कृति

विनोद शाही

मिथक के इस पक्ष को ध्यानपूर्वक 'डीकोड' करने पर हमें इसमें अपने समय की क्रांति- चेतना की व्याख्या के लिए उपयोगी आद्य विचार-प्रारूप मिल सकते हैं। सावधानी के साथ देवासुर संग्रामों की व्याख्या करने पर हम अपने समय के लिए उपयोगी इस विचार सूत्र तक पहुंच सकते हैं कि वर्ग संघर्ष के जरिए केवल सत्ता परिवर्तन वाली क्रांतियां कभी स्थायी नहीं रह सकतीं।

भारतीय देवी-देवताओं द्वारा जिन हिंसक पशुओं को अपना वाहन बनाया गया है, वे लोकचित्त की स्मृतियों में अधिक गहराई में उतर गए मालूम पड़ते हैं। उनका संबंध सभ्यता के उस आरण्यक काल से है, जिसमें मनुष्य और पशु के बीच के रिश्ते प्रगाढ़तम थे। ऐसे मिथकों में यम का भैंसा, शिव का नंदी, दुर्गा का सिंह, विष्णु का गरुड़ और इंद्र का ऐरावत हाथी- पाशव हिंसा की अतिशक्तिशाली अभिव्यक्ति करते अक्सर दिखाई देते रहते हैं। मगर इन पर सवारी करने वाले देवता उनकी हिंसा-वृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयास भी करते हैं। इस तरह वे उन्हें सभ्य होते मानव समाजों के लिए हितकारी बनाने की कोशिश करते हैं।

हिंसा के इन मिथकीय रूपों के सामाजिकीकरण और सभ्यताकरण को समझना हो तो यम के मिथक पर निगाह डालें। यम केवल मृत्यु के देवता नहीं हैं, वे धर्मराज भी हैं। भैंसे पर सवारी करने वाला यमराज जिसे चाहता है, मारकर अपने साथ ले जाता है। तथापि उसके हाथों होने वाली हमारी मृत्यु, जैसे उसके द्वारा की गई हिंसा नहीं कहलाती। हिंसा का यह अपरिहार्य अजेय रूप, जैसे एक प्राकृतिक विधान में बदल जाता है। मिथकों के पीछे मौजूद सामाजिक-राजनीतिक अर्थों को 'डीकोड' करें, तो यम, मनुष्यों की दैहिक परिणति और कर्म नियति वाली जरूरत का पर्याय है। इसीलिए वह अनिवार्य है और इसीलिए वहां 'प्रतिहिंसा' की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां एक सच्चा मानवीय या कुदरती न्याय होता है।

पर सभ्यता के विकास के अगले दौर में यह मिथक, कुदरती मौत से संबद्ध कर्मन्याय की आदिम व्यवस्था के बाहर चला जाता है। इस अगले दौर में हम पाते हैं कि स्वर्ग पर देवों का पक्के तौर पर कब्जा हो गया है। साधन और भोग्य पदार्थ, समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के हाथों में, उसके सनातन अधिकार की तरह केंद्रित-स्थित हो गए हैं। इसलिए साधन-च्युत वर्ग के दानव या असुर, उस पर अपने अधिकार के लिए बार-बार चढ़ाई करते हैं। उसे आदिम सभ्यता वाले दौर के एक तरह के वर्ग-संघर्षों की कथा के रूप में देखा जा सकता है।

मिथक के इस पक्ष को ध्यानपूर्वक 'डीकोड' करने पर हमें इसमें अपने समय की क्रांति- चेतना की व्याख्या के लिए उपयोगी आद्य विचार-प्रारूप मिल सकते हैं। सावधानी के साथ देवासुर संग्रामों की व्याख्या करने पर हम अपने समय के लिए उपयोगी इस विचार सूत्र तक पहुंच सकते हैं कि वर्ग संघर्ष के जरिए केवल सत्ता परिवर्तन वाली क्रांतियां कभी स्थायी नहीं रह सकतीं। एक-न-एक दिन और बड़ी जल्दी वे उखड़ जाती हैं।

इसे ब्रह्मा के 'द' शब्द के उपदेश वाले मिथक में पेश किया गया है। असुरों को जो मानवीय मूल्य दिया गया है, वह है दया यानी 'प्रतिहिंसा' की प्रवृत्ति का त्याग। देवों को 'दमन' या आत्मसंयम की सलाह दी गई है, ताकि वे खुद ही सारे भोग्य पदार्थों को चट न कर जाएं। और समाज के शेष वर्गों में उनके न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था के अधिकार की रक्षा की जा सके। मनुष्यों को संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण का यह अधिकार, देवों के आत्म-संयम वाले सुशासन में ही मिल सकता है। पर बदले में उन्हें भी, 'द' यानी 'दान' करना पड़ता है। वह इस अर्थ में कि जो मिला है उसे मिल-बांट कर इस्तेमाल करना चाहिए।

इस विचार-सूत्र को आगे बढ़ाएं तो कह सकते हैं कि मौजूदा दौर के भोगवाद या उपभोक्तावाद की जमीन आसुरी सत्ता के बीजों को अंकुरित होने में अधिक मदद करती है। धरती के अधिकांश संसाधन, भोग्य पदार्थों के मुनाफावादी उत्पादन करने-कराने में खप जाते हैं। पर मुनाफाखोरी, लालच के रूप में, 'आसुरी प्रवृत्ति' में बदल जाती है। इसीलिए भोगवादी मूल्यचेतना वाले सत्ता परिवर्तन से आई क्रांति का कोई बड़ा भविष्य नहीं होता। आत्मसंयमी जीवनशैली वाले देवों का शासक होना एक स्थायी व्यवस्था है। इस तरह मिथक हमें वर्गमूलक विचारधारा को सामाजिक मूल्यों के विमर्श में बदलने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं।

खुद मिथकों का अंतर्विकास इसी रूप में होता है। सभ्यतामूलक इतिहास की कथाओं से, अगले विकास-चरण वाले मिथक, संस्कृति-विमर्श की कथाओं में बदल जाते हैं। जैसे भारत के समाज में जाति के रूप में सामंती काल का श्रम विभाजन और वर्ण के रूप में कबीलाई दौर का कुल-गोत्र वाला विभाजन, आज भी जड़ें जमाए हुए है। वह सामाजिक व्यवहारों को दूर तक प्रभावित भी करता है। इसलिए मिथकीय चेतना के रूप में जब जातीय स्मृति मनुष्य को अपने समय में उपलब्ध होती है, तो उसका उस स्मृति से न सिर्फ तालमेल बैठ जाता है, बल्कि वह उस अतीत-विवेक से कुछ रौशनी भी प्राप्त करती है। उसे अपने समय के अंतर्विरोधों को सुलझाने के लिए, उस स्मृति से मदद भी मिल जाती है।

इन मिथकों की अंतस्संरचना इंद्र बनाम असुर के संघर्षपूर्ण रिश्तों से ताल्लुक रखती है। जंगलों में आग लगाकर, कृषि योग्य जमीन के विकास का एक नया दौर शुरू होता है। पर हम पाते हैं कि इस संघर्ष में जंगलों के रक्षकों का आखिरकार विनाश होता है। विजय तो आर्थिक विकास के अगले दौर से जुड़ी आर्थिकता से निकली सत्ता व्यवस्था की ही होती है। इससे हम अपने आधुनिक-उत्तराधुनिक पूंजीवादी विकास के मौजूदा दौर को जोड़ सकते हैं। हमारे सामने एक अन्य तरह का मोर्चा खुला हुआ है। हम अवैध भूमि अधिग्रहण और आदिवासियों के विस्थापन के संकटों के रूबरू आ खड़े हुए हैं। इस संदर्भ में यह मिथक हमें 'मानवीय' या 'अहिंसक प्रतिरोध' के रास्ते तलाशने की दिशा दिखाता है।

मिलावट और मिलीभगत

बाखबर

सुधीश पचौरी

एक दिन सबको हिला देने वाली खबर आई कि देश में तिरपन दवाएं नकली/ मिलावटी हैं, जैसे कि 'पैरासिटामोल', विटामिनों की गोलियां, जिनके 'दुष्परिणाम' गंभीर हो सकते हैं। इसके बाद चैनल फौरन ले आए बड़े अस्पतालों के कुछ बड़े डाक्टरों को, जो बताते रहे कि इनको कई कंपनियां बनाती हैं।

तीन दिन अमेरिका अमेरिका... मोदी मोदी..! लेकिन सवाल वही कि वे अमेरिका जा सकते हैं, मणिपुर नहीं..! फिर आए कुछ अनमोल वचन कि हमने उनकी 'साइकोलोजी' को तोड़ दिया है... वे कानून लाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, वे वापस ले लेते हैं। कैसा 'फासिज्म' है कि विपक्ष तक से डरा-मरा रहता है!

एक कुर्सी भरी है, दूसरी 'खाली कुर्सी की आत्मा' है। भक्त कहिन कि राम की 'खड़ाऊं' शासन कर रही हैं। एक कहिन कि 'खड़ाऊं मुख्यमंत्री' हैं। सौ वचन तोड़ने वाले राम कैसे हुए? भक्त कहिन कि हमारे राम जी हमारे, खड़ाऊं राम जी के! हम जानें, राम जी जानें... तुम कौन? फिर आई बदलापुर की 'बदला खबर' कि बदलापुर के 'बलात्कार के आरोपी' को पुलिस ने रास्ते में 'मुठभेड़' में मारा। एक 'मुठभेड़' और दसियों मानी कि खुदकुशी की, कि चलती बस में बंदूक छीन पुलिस पर गोली चलाई, दो-तीन पुलिस घायल, फिर आत्मरक्षा में पुलिस की गोली सीधे 'बलात्कार के आरोपी' के माथे के बीच और वह ढेर! एक कहिन कि बदलापुर का 'बदला' हो गया। वह 'उन्मादी' था! कुछ भी कर सकता था। लेकिन विपक्ष के सवाल उठते रहे... आखिर 'मुठभेड़' का संज्ञान लेते हुए अदालत की 'फटकार' आई कि इसे 'मुठभेड़' नहीं माना जा सकता।

फिर एक दिन आया उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश कि 'फूड सेफ्टी' के लिए सभी दुकानदारों, रेस्तरां और रेहड़ी, ठेली के मालिक द्वारा आईडी, पता, मोबाइल नंबर, सब प्रदर्शित करना जरूरी। और शाम होते-होते यह आदेश भी विवाद में फंसा कि यह ध्रुवीकरण की कोशिश है... कि, नहीं यह आदेश सभी के लिए है... कि कुछ लोग नाम पहचान छिपाना क्यों चाहते हैं... ऐसा कानून तो पहले से मौजूद है..!

अब पता नहीं कि यह विचार मिलावटी घी के 'प्रसादम्' से आया या कांवड़ के दौरान के 'रुके हुए फैसले' से आया, लेकिन इस बार इसका असर हिमाचल तक में दिखा। एक दिन वहां के मंत्री जी भी कह दिए कि उत्तर प्रदेश की तरह अपने यहां भी 'आइडी शो' की जाए, लेकिन बुरा हो 'कमान' का कि अगले ही दिन कहने लगे के ये सरकार का आदेश नहीं है।

फिर एक दिन एक सांसद जी ने कह दिया कि किसान कानून फिर से लाए जाएं... झोंक में कुछ नेता भी कह दिए कि कानून लाने चाहिए, लेकिन तभी आधिकारिक प्रवक्ता कहिन कि वे अधिकृत प्रवक्ता नहीं... तो अगले दिन कह दिया गया कि माफी जी! लेकिन हाय कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर 'मुदा जमीन स्केम' का आरोप और अदालत द्वारा मुकदमा चलाने के लिए आदेश दे देना। ये कैसे दिन हैं कि हर बंदे पर मुकदमा है, फिर भी हर बंदे का गर्वीला 'चेहरा' है! ऐसे हर मुकदमे में 'आरोप' होते हैं, 'प्रत्यारोप' होते हैं और दोनों के बीच बेचारा सच 'त्राहि-त्राहि' करता रह जाता है!

लेकिन मिलावटी घी के 'तिरुपति प्रसादम्' यानी 'लड्डू प्रकरण' ने पीछा न छोड़ा और फिर से लौटा! एक दिन एक नेता जी कहिन कि जब लड्डू के प्रबंधन में कोई 'गैर भक्त' नहीं हो सकता तो 'वक्फ बोर्ड' में कोई 'गैर' क्यों हो। एक एंकर देर तक इस तुलना को 'असंभव' कहता रहा, लेकिन 'वक्फ' वालों ने एक न मानी। इन दिनों हर 'बहस' ऐसी ही 'जिच' में फंस जाती है और कभी-कभी तो 'नियंत्रण के बाहर' ही हो जाती है। जैसा कि एक चैनल ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर 'वक्फ' पर विचार करने वाली संसदीय समिति में बहस के दौरान कुछ सदस्यों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। हम तो कहेंगे कि ओम शांतिः शांतिः शांतिः!

फिर एक दिन सबको हिला देने वाली खबर आई कि देश में तिरपन दवाएं नकली/ मिलावटी हैं, जैसे कि 'पैरासिटामोल', विटामिनों की गोलियां, जिनके 'दुष्परिणाम' गंभीर हो सकते हैं। इसके बाद चैनल फौरन ले आए बड़े अस्पतालों के कुछ बड़े डाक्टरों को, जो बताते रहे कि इनको कई कंपनियां बनाती हैं। कई मानकों का खयाल नहीं रखतीं, दाम सस्ते रखती हैं, इसलिए ऐसा होता है। तब एक बहस में एक नागरिक प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि आप अब तक कहां थे? आपकी 'मेडिकल एसोसिएशन' क्या कर रही थी? सबकी मिलीभगत लगती है, लेकिन सरकार क्या सो रही है? जांच कराए, अपराधियों से सख्ती से निपटे, नहीं तो सरकार की 'आयुष्मान योजना' भी गई पानी में।

एक पूर्व मुख्यमंत्री 'तिरुपति दर्शन' की कहे, तो कह दिया गया पहले तिरुपति जी के प्रति आस्था की घोषणा करनी होगी, तभी जा सकते हैं!

और अंत में, एक मंत्री से जब एक एंकर ने बार-बार पूछा कि लोकसभा के चुनाव में आपको हराने की कोशिश की गई, तो मंत्री गुस्से में एंकर को कस के डांट दिए कि आप झूठे हो... आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। और एंकर जी की बोलती बंद!

मेरे पास सिर्फ कृतज्ञता की अनुभूति है। अहसास है कि कोई मुझे नहीं अपनी आस्था को प्रणाम कर रहा है। मैं उसके लिए आस्था का प्रतीक हूं। कोई मेरी आरती उतार रहा है तो वह अपने आराध्य का स्मरण कर रहा है। मैं खुद को एक आम इंसान ही मानता हूं और अपने आराध्य के प्रति लोगों की आस्था की कद्र करता हूं।

राजनीति में धर्म और जाति के अतिरेक को रोकने का समय

मेरठ से भाजपा के सांसद अरुण गोविल ने कहा कि राम की भूमिका में लोकप्रिय होने के बाद उन्हें इस बात का पूर्ण अहसास था कि जनता उन्हें नहीं, अपनी आस्था को प्रणाम करती है। राम-मंदिर का निर्माण होना किसी भी तरह राजनीति का मसला नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में विपक्ष के असत्य के कारण भाजपा हारी। जनता को डराया गया कि भाजपा आई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। भाजपा नेतृत्व ने जिस स्तर का विकास किया वह संदेश जनता तक नहीं पहुंच पाया। उम्मीद जताई कि भाजपा जल्द ही इस स्थिति से निकल कर अपने प्रचंड जनाधार की ओर वापसी करेगी। मेरठ में अरुण गोविल से कार्यकारी संपादक *मुकेश भारद्वाज* की विस्तृत बातचीत के चुनिंदा अंश।

● **पूरे देश में आपकी आध्यात्मिक पहचान भगवान राम के प्रतिनिधि के रूप में हुई। आज आप जनता के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। रामनीति से राजनीति के इस फर्क को कैसा महसूस कर रहे हैं?**

●● दोनों का अलग-अलग अनुभव है। तब जनता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, अब प्रत्यक्ष संबंध है। टेलीविजन या फिल्म करते थे तो बाद में नतीजा आता था कि हमारा काम अच्छा है या नहीं। अभी तो आपको तुरंत नतीजे मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा फर्क है। लोगों की भावनाओं का आमने-सामने तुरंत अंदाजा लग जाता है। यहां आप अभिनय नहीं कर सकते हैं। अगर करना भी चाहते हैं तो थोड़ी ही देर में आपका असली रूप सामने आ जाता है।

● **हिंदू धर्म के वरिष्ठ प्रतीक के रूप में जब आप लोगों के सामने जाते थे तो आपके प्रति आस्था थी। पहले लोग आपको हाथ जोड़ते थे और अब आपको भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। अब सबकी सुननी है। इस बदले रिश्ते को कैसे देखते हैं?**

●● मेरा लोगों के सामने हाथ जोड़ने का मतलब यह नहीं है कि मुझे उनसे कुछ चाहिए या मैं बहुत नम्र दिखना चाहता हूं। मैं अपने बड़ों को हाथ जोड़ता ही हूं। हाथ जोड़ना और नमस्ते करने में फर्क है। यह मेरे अभिवादन का तरीका है।

● **रामायण में आपके दो सह-कलाकार दीपिका चिखलिया और अरविंद त्रिवेदी नब्बे के दशक में भाजपा की तरफ से राजनीति में आ गए थे। आपका आगमन अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद हुआ। राजनीतिक भूमिका में इस देरी की वजह?**

●● हर चीज को करने का अपना समय होता है और अपना ढंग भी होता है कि आप क्या और कैसे करना चाहते हैं। यही मेरा समय और यही मेरा ढंग था।

● **राजनीतिक रूप से क्या भाजपा आपकी पहली पसंद थी? इसके पहले आप कांग्रेस के मंचों पर देखे जाते थे।**

●● सच कहूं तो मेरा उस समय किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ झुकाव था ही नहीं। न किसी से कोई खास लगाव था और न किसी से दुराव। कुछ लोगों से आप मिलते-जुलते रहते हैं तो आपकी पहचान उनके साथ जुड़ जाती है। उस समय इत्तफाकन कांग्रेस के लोग मेरे दोस्त थे।

● **उस दौर को देखें तो सभी सिनेमा कलाकारों की प्राथमिकता कांग्रेस ही होती थी। अमिताभ बच्चन से लेकर सभी मकबूल चेहरे।**

●● उन दिनों कांग्रेस ही प्रमुख राजनीतिक वर्चस्व की पार्टी थी। यह बहुत स्वाभाविक था। उन लोगों का राजनीतिक झुकाव रहा होगा कांग्रेस या किसी और पार्टी के साथ। मेरा किसी के तरफ झुकाव नहीं था।

● **तो अब आपका झुकाव जनता की तरफ रहेगा या पार्टी की तरफ?**

●● अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, कार्यकर्ता और सांसद हूं। जाहिर सी बात है कि पार्टी और उसकी विचारधारा मेरी प्राथमिकता है। पार्टी और उसकी विचारधारा को प्राथमिकता देना, जनता को ही प्राथमिकता देना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनता का प्रतिनिधि होना मेरे लिए गर्व की बात है।

● **आप ऐसे समय में भाजपा के प्रतिनिधि बने जब उसका प्रचंड जनाधार कम हो रहा है।**

●● मैं कोई अब और तब की योजना बना कर भाजपा में नहीं आया था। हां, इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे 2019 जैसे नहीं थे। लेकिन, मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी जल्द ही इस स्थिति से उबर जाएगी।

● **भगवान राम और उनके प्रतीकों से किसी का कोई विरोध नहीं। लेकिन, बीते चुनावों में भाजपा नेताओं को प्रचार के दौरान भी जनता का खूब विरोध झेलना पड़ा? आपका कैसा अनुभव रहा?**

●● सच कहूं तो मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा। अब जब आप जनप्रतिनिधि के रूप में खड़े होंगे तो लोग आपके सामने समस्या लेकर आएंगे ही।

● **मेरठ आपकी पहली पसंद थी या पार्टी ने आपको यहां के लिए चुना?**

●● मेरी तो पसंद कुछ भी नहीं थी। मुझे बाहर से पता चला कि मेरा नाम चल रहा है इस सीट के लिए। फिर मुझे पार्टी की तरफ से पूछा गया कि क्या आप मेरठ सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे और मैंने स्वीकार किया।

गोविल क्यों

नब्बे के दशक में रामानंद सागर रामायण को साप्ताहिक धारावाहिक के रूप में लेकर आए। इसने 'दूरदर्शन' को 'रामदर्शन' का पर्याय बना दिया। राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल की ऐसी दिव्य छवि बनी कि आम लोग उन्हें अपने आराध्य के प्रतिनिधि के रूप में देखने लगे। जनवरी 2024 में उत्तर भारत की राजनीति 'मंदिर वहीं बनाएंगे' से लेकर मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा तक पहुंच गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी की नजरें भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने वाले उत्तर प्रदेश पर थी कि प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिक हासिल क्या? राम-छवि के प्रतीक अरुण गोविल मेरठ से चुनाव जीते। लेकिन, अयोध्या में भाजपा को हार मिली। उत्तर भारत की राजनीति में चुनाव बनाम धार्मिक प्रतीकों को समझने के लिए अरुण गोविल से बेहतर और कौन होता?

● **मेरठ में आपके लिए चुनाव अगर थोड़ा मुश्किल हुआ तो उसकी वजह थी कि आपको टिकट मिलने के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह हुई। आप इसे कैसे देखते हैं?**

●● देखिए, यह मानव स्वभाव है कि आप किसी चीज के लिए प्रयत्नशील रहें और किसी वजह से आपको नहीं मिले तो नाउम्मीदी होती है। एक चुनाव क्षेत्र में कई लोग मेहनत करते हैं, टिकट मिलने की उम्मीद करते हैं। मुझे टिकट मिलने के बाद कितना बड़ा तबका इसके खिलाफ हुआ मुझे इसका अंदाजा नहीं। लेकिन, यह स्वाभाविक है।

● **अपने एक साक्षात्कार में आपने कहा था कि भगवान राम की भूमिका के बाद आपकी व्यावसायिक सिनेमा से दूरी हो गई। आज इसके नफे-नुकसान को कैसे देखते हैं।**

●● व्यावसायिक संदर्भ तो एक अलग मसला है। जिंदगी में नफे-नुकसान के गणित को समझने बैठता हूं तो क्या जमा किया, क्या ऋण है तो अंततः आज जो मिला उसी वजह से मिला। मैं कोई भी फिल्म कर लेता, किरदार निभा लेता लेकिन यह जो सम्मान है, प्यार है, नहीं मिलता।

● **क्या कभी खुद के प्रति दिव्य होने की अनुभूति होती है?**

●● मेरे पास सिर्फ कृतज्ञता की अनुभूति है। मुझे पता है कि कोई मुझे नहीं, अपनी आस्था को प्रणाम कर रहा है। मैं उसके लिए आस्था का प्रतीक हूं। कोई मेरी आरती उतार रहा है तो वह अपने आराध्य का स्मरण कर रहा है। मैं अपने को एक आम इंसान ही मानता हूं और अपने आराध्य के प्रति लोगों की आस्था की कद्र करता हूं।

● **मेरठ के सांसद के रूप में लोगों की आपसे जो उम्मीदें थीं तात्कालिक तौर पर कितनी पूरी हो पाईं?**

●● मेरठ में औद्योगिक क्षेत्र को लेकर काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 250 हेक्टेयर में जो प्रयागराज एक्सप्रेसवे बनना है उसे 500 हेक्टेयर यानी दुगुना करवाया गया। रोजगार का क्षेत्र प्राथमिकता है। 421 महिलाओं को रघुनाथ कालेज में नियुक्ति पत्र मिला। लोन मेले में उद्योगपतियों की समस्या का निस्तारण किया। मेरठ को सौर ऊर्जा से चालित शहर के रूप में विकसित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। यहां के लिए वंदे भारत ट्रेन परियोजना दो साल से लटकी हुई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात के बाद यह भी शुरू हो गई।

● **आज व्यावसायिक सिनेमा का पैमाना सिनेमा घरों में टिकट खिड़की की बिक्री का नहीं रहा। ओटीटी मंचों ने पूरा परिदृश्य बदल दिया है। क्या आपको लगता है इससे सिनेमा को नुकसान पहुंचा?**

● सच कहिए तो इस संदर्भ में फायदा या नुकसान जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह एक उद्योग है जो समय के साथ बदला, जिसके कारण काम और अवसर भी बढ़ गए। समय के साथ विषयवस्तु बदल गए हैं। पहले पारिवारिक मनोरंजन की चीजें बनती थीं अब नहीं बनती हैं। फायदे या नुकसान के बरक्स यह देखने की जरूरत है कि काम के अवसर कितने बढ़ चुके हैं।

● **रामानंद सागर के बाद रामायण पर आधारित बहुत सारे धारावाहिक और सिनेमा बने, लेकिन अरुण गोविल जैसी सफलता किसी को नहीं मिली। अभी एक बड़े बजट की फिल्म आने वाली है जिसमें रणवीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे। आपने उन्हें शुभकामना भी दी है। रणवीर कपूर ने जिस तरह 'एनिमल' जैसी हिंसा प्रधान फिल्म में भूमिका निभाई है तो क्या लोग उन्हें भगवान राम की सौम्य छवि के रूप में स्वीकार पाएंगे?**

●● इसका बेबाक जवाब है, किसी भी फिल्म या किरदार की सफलता की भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता है।

● **कोरोना के समय भी रामानंद सागर के रामायण का पुनर्प्रसारण हुआ। यानी राम की भूमिका के पर्याय के रूप में आप ही रहने वाले हैं?**

●● रामायण और राम आस्था के सवाल हैं और लोगों की आस्था इससे जुड़ चुकी है।

> मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, कार्यकर्ता और सांसद हूं। पार्टी और उसकी विचारधारा मेरी प्राथमिकता है। पार्टी और उसकी विचारधारा को प्राथमिकता देना, जनता को ही प्राथमिकता देना है। भाजपा की ओर से जनता का प्रतिनिधि होना गर्व की बात है।

● **भाजपा पर एजंसियों के उग्र इस्तेमाल के आरोप लगते हैं। विपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ उसे ही लक्षित किया जाता है।**

●● देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं। यहां हर कोई ईमानदार तो नहीं है। गलत चीजों को ठीक करने के लिए कोई तो आगे आएगा ही। बिना कानूनी प्रक्रिया के इस्तेमाल किए एजंसियों का इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता है। अगर पहले भ्रष्टाचार पर बेपरवाही थी, सुस्ती थी तो इसका मतलब यह नहीं कि वही सब सही था और आज गलत हो रहा है।

● **आज की राजनीति में वंशवाद एक बड़ा मुद्दा है। आपका क्या कहना है?**

●● राजनीति में ऐसा माहौल बनना चाहिए कि हर योग्य को मौका मिले। एक ही परिवार का वर्चस्व होने से लोकतंत्र प्रभावित होगा। आपका योग्य होना ही राजनीति में आने की योग्यता होनी चाहिए।

● **2014 में भाजपा के प्रचंड बहुमत में आने के बाद कांग्रेस सहित हर दल के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हें भी पार्टी शामिल कर रही है। आरोप लगे कि भाजपा की धुलाई मशीन में आते ही भ्रष्टाचार के आरोप का दागी बेदाग हो जाता है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं।**

●● देखिए, मैं उस स्तर पर बात नहीं करना चाहता। मैं एक बुनियादी समझ के साथ कहता हूं कि इन मुद्दों को तय करने के लिए पार्टी के शीर्ष पदों पर लोग हैं। आज मैं मेरठ का सांसद क्यों हूं? क्योंकि पार्टी के लोगों ने तय किया। इसके बाद अगर मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं करूंगा तो भला जनता मुझे क्यों रहने देगी? मैं पूरी ईमानदारी से बेदाग रहते हुए काम करना चाहता हूं।

● **मेरठ में आपकी मौजूदगी लगातार रहेगी?**

●● आप देख ही रहे हैं। भविष्य तो नहीं जानता, अगले पांच साल तक यहां के लोग मुझे अपने साथ हमेशा पाएंगे। जो लोग सवाल उठा रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद मैं अदृश्य हो जाऊंगा उन्हें जवाब मिल चुका है।

● **किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा और अभी आपकी समकक्ष सांसद के कारण पार्टी को इसे लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं।**

●● राजनीति में यह बहुत आम है कि कुछ लोग अपने हितों को देख कर एक साथ होते हैं। लेकिन हमें तो किसानों ने भी वोट दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा इस मुद्दे को हल कर लेगी।

● **बेरोजगारी का संकट आज बड़ा सवाल है। इसे लेकर क्या हो सकता है?**

●● बेशक, यह बड़ा सवाल है। हमारी जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हमारे विकास की गति तेज है तो रोजगार की जरूरत वाली जनसंख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इस पर जल्द काबू पाने की रणनीति है और सफलता भी मिलेगी।

● **क्या राजनीति में सेवानिवृत्ति की कोई उम्र होनी चाहिए?**

●● राजनीति या किसी भी क्षेत्र में जब तक कोई इंसान शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम है तब तक उसे मौका मिलना चाहिए।

● **आपने राम की भूमिका अदा की और जनता के बीच एक अलग ही दर्जा पाया। आज राम के नाम पर राजनीति को कैसे देखते हैं?**

●● कहां हो रही है राम के नाम पर राजनीति? अपने आराध्य देव का मंदिर बनाना राजनीति कैसे हो सकती है? मंदिर बनना ही था, अदालत ने फैसला दिया।

● **अयोध्या में जनता ने भाजपा को स्वीकार क्यों नहीं किया?**

●● विपक्ष ने बेसिर-पैर का आरोप लगाया कि भाजपा संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। विपक्ष के असत्य ने अयोध्या में भाजपा की छवि खराब की।

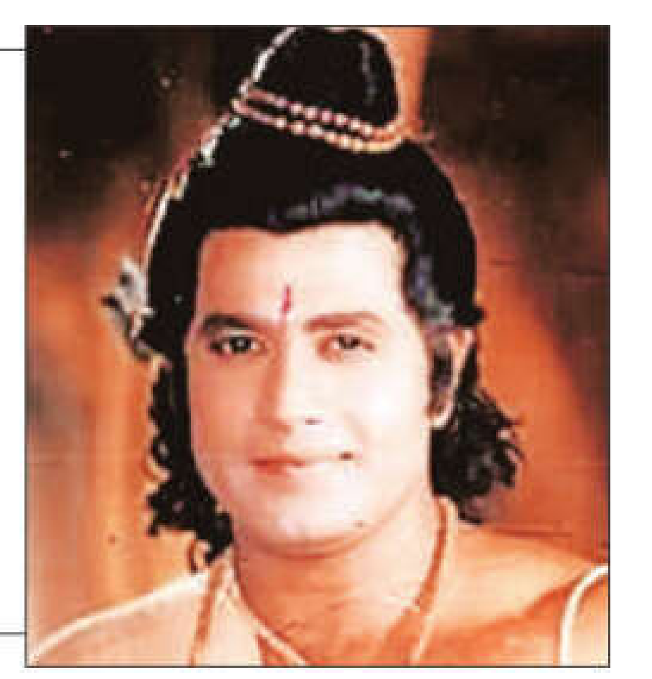

● **आरक्षण के मुद्दे पर आपका क्या मानना है?**

●● आरक्षण वृहत्तर स्तर पर संवैधानिक मुद्दा है। यह एक बड़े राजनीतिक बहस का विषय है, जिस पर सावधानी और सतर्कता से बात करनी होती है। मेरी चिंता यह है कि राजनीति में धर्म का अतिरेक हो रहा है। जातिगत राजनीति बुरी तरह हावी है। ऐसी राजनीति हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण करेगी।

● **तो क्या वक्त आ गया है कि इस तरह की राजनीति पर रोक लगाई जाए।**

●● इस पर रोक तभी लगेगी जब हम विकास के मुद्दे पर जनता की चेतना को जागृत कर सकेंगे। भाजपा के नेतृत्व ने देश का जितना विकास किया वह भी लोगों के पास नहीं पहुंच सका।

● **क्या आपको लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है?**

●● देखिए, इस तरह की किसी बात पर मेरा भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने शब्दों के पक्के हैं। वे जो कहते हैं उसे कर दिखाते हैं। कर्मयोगी हैं।

> आरक्षण वृहत्तर स्तर पर संवैधानिक मुद्दा है। यह एक बड़े राजनीतिक बहस का विषय है, जिस पर सावधानी और सतर्कता से बात करनी होती है। मेरी चिंता यह है कि राजनीति में धर्म का अतिरेक हो रहा है। जातिगत राजनीति बुरी तरह हावी है।

प्रस्तुति : मृणाल वल्लरी
विशेष सहयोगः राजीव रंजन तिवारी

www.readwhere.com

दिव्यांग बच्चों की कमजोरियों पर ध्यान देना जरूरी : प्रधान न्यायाधीश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली को इन बच्चों की बढ़ती हुई कमजोरियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुलिस थानों से लेकर अदालतों तक न्याय प्रणाली दिव्यांग बच्चों की बढ़ती कमजोरियों को समझे और उन पर कार्रवाई करे। ताकि, उन्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक विशेष सहायता की सुविधा प्राप्त हो सके।

बाल संरक्षण पर नौवें राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियां भौतिक पहुंच के मुद्दों से कहीं अधिक हैं। उन्हें उन सामाजिक पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों व गलत धारणाओं से भी निपटना होगा, जो जीवन के लगभग हर पहलू में व्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली को इन बच्चों की बढ़ती हुई कमजोरियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे मामलों में पुनर्स्थापनात्मक न्याय दृष्टिकोण को शामिल करना भी समाधान का एक पहलू हो सकता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जेजे अधिनियम (किशोर न्याय अधिनियम) कानून के साथ जूझते बच्चों के लिए यह परामर्श, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामुदायिक सेवा जैसे विभिन्न पुनर्वास और पुनः एकीकरण उपायों की रूपरेखा तैयार करता है। दिव्यांग बच्चों के लिए इन उपायों को अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक विशेष सहायता प्राप्त हो।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणापत्र पर कहा

हरियाणा में 'दर्द के दशक' का अंत करेंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

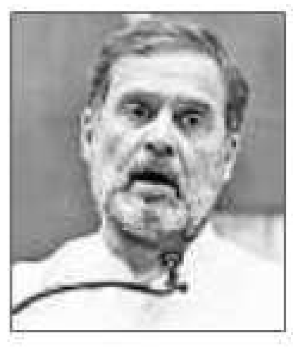

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणापत्र का हवाला देते हुए शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी की सरकार राज्य में 'दर्द के दशक' का अंत करेगी। कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने शनिवार को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए एक आयोग के गठन, शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए दो करोड़ रुपए, रोजगार सृजन समेत कई वादे किए गए हैं।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा ने एक दशक में हरियाणा से उसकी समृद्धि, उसके सपने और शक्ति छीन ली। अग्निवीर से देशभक्त युवाओं की आकांक्षाएं छीन ली, बेरोजगारी से परिवारों की हंसी छीन ली और महंगाई से महिलाओं की आत्मनिर्भरता।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने काले कानून ला कर किसानों का हक तक छीन लेने का प्रयास किया, तो नोटबंदी और गलत जीएसटी से लाखों छोटे व्यापारियों का मुनाफा छीन लिया। अपने चुने हुए मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा का आत्मसम्मान तक छीन लिया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की आने वाली सरकार दर्द के दशक का अंत करेगी हर हरियाणा वासी की उम्मीदों, आकांक्षाओं और ख्वाबों को पूरा करना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि बचत से ले कर सेहत, अधिकारों की रक्षा से सामाजिक सुरक्षा, रोजगार की बहार, हंसता खेलता हर परिवार, ये कांग्रेस की गारंटी है। वहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर हरियाणा के लिए जारी किए गए घोषणापत्र के वादों को गिनवाया। उन्होंने लिखा, हरियाणा के लिए कांग्रेस के पक्के वादे – दो लाख पक्की भर्ती, नशा मुक्त हरियाणा, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, गरीबों को 100 गज का प्लाट, 3.5 लाख की लागत से दो कमरों का मकान, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांग पेंशन 6,000 रुपए, पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को एमएसपी की गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा, जातिगत सर्वे, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए की जाएगी।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा-देश में बेरोजगारी भयावह स्तर पर पहुंच गई है

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने देश में युवाओं में बेरोजगारी के 'भयावह स्तर' को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि क्या 2023-24 में युवा बेरोजगारी दर 10.2 फीसद नहीं रही। उन्होंने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद ये सरकारी डेटा युवाओं की बेबसी को छिपा नहीं पा रहा है। खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया कि बेरोजगारी से बड़ा देश में कोई मुद्दा नहीं है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों को अगर बारीकी से देखें तो लाख कोशिशों के बावजूद भी ये सरकारी डेटा युवाओं की बेबसी को छिपा नहीं पा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि क्या 2023-24 में युवा बेरोजगारी 10.2 फीसद के भयावह स्तर पर नहीं रही? रंगबिरंगे नारे देने और फोटोबाजी करने के बजाय उन्होंने युवाओं को नौकरियां देने के लिए क्या किया?

'बाहरी' लोगों की पहचान जरूरी : प्रतिभा सिंह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

रेहड़ी-फड़ी वालों की पहचान से जुड़े विवाद में बेटे के बचाव में उतरीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने शनिवार को कहा कि वह राज्य की सुरक्षा के लिए 'बाहरी लोगों' की पहचान किए जाने के पक्ष में हैं, लेकिन वह भाजपा की विचारधारा या उसकी कार्यशैली से सहमत नहीं है। प्रतिभा सिंह की यह टिप्पणी कांग्रेस नेतृत्व द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को उनके बयान के लिए दी गई हिदायत के एक दिन बाद आई है।

विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस महासचिव एवं संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। राज्य के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री सिंह ने घोषणा की थी कि रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वाले लोगों के लिए, खासकर खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों के लिए, दुकान पर पहचान पत्र प्रदर्शित करने को अनिवार्य किया जाएगा, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया था। दिल्ली में प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। राज्य की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर बाहरी लोगों की पहचान कर उनके आने का उद्देश्य पता किया जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा ने कहा कि पार्टी आलाकमान लोगों की भावना से वाकिफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि हम नफरत छोड़कर प्यार फैलाना चाहिए और हम हमेशा इसका पालन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों, विशेषकर शिमला में, संजौली में एक मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर कुछ सप्ताह पहले हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है।

पार्टी की नीतियों और विचारधारा के खिलाफ नहीं जाऊंगा : सिंह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को कहा कि उन्होंने विचारधारा से संबंधित कांग्रेस नेतृत्व की चिंताओं को स्वीकारा है और यह विश्वास दिलाया है कि वह पार्टी के समर्पित सिपाही हैं तथा कभी भी पार्टी लाइन से अलग बात नहीं करेंगे। सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित बहुदलीय समिति तीन अक्तूबर को रेहड़ी-पटरी से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी।

उन्होंने कहा कि जमीन पर कोई विवाद नहीं था और यह सब मीडिया द्वारा पैदा किया गया मुद्दा है और इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। सिंह ने कहा, 'मैंने वेणुगोपाल जी को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया और विचारधारा के बारे में उनकी चिंताओं को स्वीकारा। साथ ही, मैंने उन्हें यह भी बताया कि पिछले डेढ़ महीने से हिमाचल में मस्जिद मुद्दा और अन्य विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, साथ ही उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में भी शहरी आजीविका पर 2016 का कानून बना हुआ है, उसके क्रियान्वयन की बात है। इसका क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से होना है।' मंत्री ने बताया कि उन्होंने वेणुगोपाल से कहा कि राज्य सरकार को आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ अच्छा वातावरण भी बनाए रखना होगा। उनका कहना था, 'कोई भी व्यक्ति कहीं से भी राज्य में आ सकता है।

मौसम

उज्जैन में भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट के किनारे एक मंदिर बाढ़ के पानी में आंशिक रूप से डूब गया।

तिरुपति लड्डू मामले में याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

तिरुपति मंदिर के लड्डुओं के घी में कथित रूप से पशुओं की चर्बी मिलाने के मामले पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी सहित तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति भूषण आर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था करने का आदेश देने की गुहार लगाई है। चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात की एक लैब जांच रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया था कि तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर के प्रसाद में प्रयुक्त कथित शुद्ध देसी घी में पशुओं की चर्बी और अन्य सड़े हुए पदार्थों की मिलावट की गई है। वहीं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के अधीन स्वतंत्र जांच समिति (एसआईटी) बनाकर इन आरोपों की जांच कराए जाने की मांग की है। हिन्दू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की मांग की गई है। इससे पहले इसी मसले पर वकील सत्यम सिंह राजपूत ने एक पत्र याचिका प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को भेजा था। इस बीच सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने गुरुवार को दावा किया कि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई है।

शहरी मतदाताओं की उदासीनता चिंता का विषय : राजीव कुमार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान सभी हेलिकाप्टरों की जांच की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को शहरी मतदाताओं की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की और कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि किसी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं। महाराष्ट्र में प्रलोभन मुक्त विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रचार के दौरान सभी हेलिकाप्टरों की जांच की जाएगी।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए मतदान तैयारियों की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग ने प्रतिनिधियों ने राजनीतिक दलों और अधिकारियों सहित सभी हितधारकों से मुलाकात की है। राजनीतिक दलों ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करने से पहले दिवाली, देव दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को ध्यान में रखने की बात कही है।

यह पूछे जाने पर कि क्या महाराष्ट्र में चुनाव एक चरण में होंगे या कई चरणों में, इस पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1,00,186 मतदान केंद्र होंगे। चुनाव आयोग ने राज्य में बसपा, आप, माकपा, कांग्रेस, मनसे, सपा, शिवसेना (उद्धव) व शिवसेना सहित 11 दलों के नेताओं से मुलाकात की है।

उन्होंने मुंबई और उसके आसपास के कोलाबा व कल्याण जैसे क्षेत्रों का जिक्र किया, जहां इस वर्ष हुए लोकसभा चुनावों में सबसे कम मतदान हुआ है। साथ ही कहा कि दैनिक वेतन भोगियों और असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों को प्रशासन द्वारा सूचित किया जाना चाहिए कि मतदान के दिन उन्हें सवैतनिक अवकाश होगा। चुनाव आयोग प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची में अधिकतम नामांकन और मतदान हो। राजीव कुमार ने कहा, हमने महाराष्ट्र सरकार से उन अधिकारियों को स्थानांतरित करने को कहा है, जो तीन साल से अधिक समय से अपने गृह जिले या वर्तमान पदस्थापना की जगह पर कार्यरत हैं। इस संबंध में प्रशासन से अनुपालन रपट मांगी गई है।

उन्होंने कहा कि यह मतदाताओं का अधिकार है कि वे जानें कि किसी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं। राजनीतिक दलों को ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के कारण भी बताने चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर फर्जी सूचनाएं फैलाने वालों और डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

पेज 1 का बाकी

इजराइली हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह

संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का अभियान जारी रहेगा। ताजा घटनाक्रम के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध विराम की कोशिशों पर विराम लग गया है। इसकी उम्मीदें और कम हो गई हैं। नसरल्लाह ने तीस साल से अधिक समय तक हिज्बुल्ला का नेतृत्व किया। नसरल्ला इस चरमपंथी समूह के मारे गए नेताओं में अभी तक का सबसे ताकतवर नेता है। सेना ने कहा कि जब हिजबुल्लाह का नेतृत्व बेरूत के दक्षिण में दहियेह स्थित अपने मुख्यालय में बैठक कर रहा था, तभी एक सटीक हवाई हमला किया गया। इजराइली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कार्की और उसके अन्य कमांडर भी हमले में मार गिराए गए। इजराइल के 'चीफ आफ स्टाफ' लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने शनिवार को कहा कि नसरल्ला का 'खात्मा अंत नहीं' है। हलेवी का बयान दर्शाता है कि अभी और हमले किए जा सकते है। हलेवी ने कहा कि हिजबुल्लाह के नेतृत्व को निशाना बनाकर हमला किए जाने की लंबे समय से योजना बनाई जा रही थी। इससे पहले, सेना ने बताया था कि उसने नसरल्ला को निशाना बनाकर शुक्रवार को बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर हमला किया, जहां एक के बाद एक भीषण विस्फोटों से कई ऊंची इमारतें ध्वस्त हो गईं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 91 अन्य लोग घायल हो गए। नसरल्ला तीन दशक से अधिक समय से हिजबुल्लाह का नेतृत्व कर रहा था। इजराइल ने शनिवार को हिजबुल्लाह के खिलाफ भीषण हवाई हमले जारी रखे और चरमपंथी संगठन ने भी इजराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे। इजराइली सेना ने कहा कि वह लेबनान के साथ तनाव बढ़ने के बीच अतिरिक्त रिजर्व सैनिकों को तैनात कर रही है।

सेना ने शनिवार सुबह कहा कि वह रिजर्व सैनिकों की तीन बटालियन को सक्रिय कर रही है। इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में दो बटालियन को संभावित जमीनी आक्रमण के मद्देनजर प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरी इजराइल भेजा गया था। इजराइली सेना ने शनिवार सुबह दक्षिणी बेरूत और पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में कई हमले किए। हिजबुल्लाह ने शनिवार को उत्तरी और मध्य इजराइल तथा इजराइल के कब्जे वाले 'वेस्ट बैंक' पर दर्जनों रॉकेट दागे। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में रात भर जारी इजराइली हवाई हमलों के बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया। शहर में विस्थापितों के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। अनेक लोग चौराहों, समुद्र तटों या अपनी कारों में सोए। राजधानी के ऊपर पहाड़ों की ओर जाने वाली सड़कों पर सैकड़ों लोगों को पैदल ही पलायन करते देखा गया जिनमें से कई की गोद में शिशु और हाथों में जरूरी सामान था।

दिल्ली में पिता व चार बेटियां मृत मिलीं, आत्महत्या की आशंका

कही है। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त रोहित मीणा ने बताया कि हीरा लाल अपनी चार बेटियों के साथ रंगपुरी पहाड़ी इलाके में रहते थे। वह एक अस्पताल में पिछले 28 साल से बढ़ई के तौर पर काम करते थे। पुलिस को शुक्रवार सुबह करीब 10:18 बजे मकान मालिक नितिन चौहान ने फोन कर बताया कि किराए पर रहने वाले हीरा लाल के कमरे से बदबू आ रही है।

इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस दल को मकान की देखभाल करने वाला मोहन सिंह मिला, जिसने बताया कि सफाई करने के दौरान तीसरी मंजिल के कमरे से बदबू आने पर उसने घटना की जानकारी मकान मालिक को दी। उपायुक्त ने बताया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दमकल कर्मियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर दो कमरों में पांच लोगों के शव पड़े मिले। एक कमरे में पिता तो दूसरे कमरों में बेटियों के शव पड़े थे। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि हीरालाल ने पहले सभी को जहरीला पदार्थ पिलाया और बाद में खुद भी पी लिया।

शवों के पास से पुलिस को ह्यसल्फास्ह्न की गोलियां और कमरे के कूड़ेदान में जूस का अवशेष और तरल पदार्थ से भरे पांच गिलास मिले हैं। सीसीटीवी में दिखाई दिए पिताहीरालाल सीसीटीवी फुटेज में 24 तारीख को देर शाम करीब 7:15 बजे घर के अंदर जाता हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा है। इसके बाद वह घर से बाहर नहीं आए थे।

पड़ोसियों का कहना है कि वह घर आने के बाद हमेशा गेट बंद कर लेते थे और किसी से मतलब नहीं रखते थे। उनके घर कोई आता-जाता भी नहीं था। वह वर्ष 2018 से यहां पर रह रहे थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हीरालाल अपनी एक बेटी को वाहन से अस्पताल लेकर गए थे। इसके बाद दोपहर को वापस घर आए। शाम को वह एक दुकान से मिठाई का डिब्बा लेकर आए थे। उनकी सभी बेटियां दिव्यांग थीं और चलने फिरने में असमर्थ थीं। मृतक हीरालाल 28 साल से बढ़ई का काम करते थे, पर जनवरी 2024 से वे काम पर नहीं गए थे। उन्हें महीने का 25 हजार रुपए वेतन मिलता था।

एक साल पहले उनकी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। एफएसएल की टीम ने मौके का निरीक्षण करने के बाद साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का जरूर लग रहा है, लेकिन इन पांचों ने एक साथ ऐसा कदम कैसे उठाया? या फिर इनकी मौत के पीछे कोई दूसरी वजह है, इसकी जांच की जा रही है।

पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए कश्मीर को खाली करे : जयशंकर

और उनके निर्यात को आतंकवाद के संदर्भ में ही मापा जा सकता है। आज हम देख रहे हैं कि दूसरों के खिलाफ जिन्होंने बुरा करने कोशिश की, वह बुराई उसके समाज को ही निगल रही है। इसके लिए पाकिस्तान दुनिया को दोष नहीं दे सकता है, यह तो उसके कर्मों का फल है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर विचित्र दावे सुनने को मिले। इसलिए आज वह भारत की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति पर काम रहा है, लेकिन यह नीति कभी सफल नहीं होगी। इसके परिणाम उसे निश्चित रूप से भुगतने होंगे। जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान बीच हल किया जाने वाला मुद्दा अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र कश्मीर को खाली करना है। साथ ही पाकिस्तान के आतंकवाद के प्रति लंबे समय से चले आ रहे लगाव को त्यागना होगा। जयशंकर ने वैश्विक समुदाय से अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आग्रह करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यवस्था के सहमत सिद्धांतों और साझा उद्देश्यों का प्रमाण है। इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय कानून और प्रतिबद्धताओं का सम्मान सबसे अहम है।

उदयनिधि को उपमुख्यमंत्री बनाया गया, सेंथिल बालाजी की कैबिनेट में वापसी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

इसके अलावा डेयरी विकास विभाग संभाल रहे एम थंगराज सहित तीन मंत्रियों को कैबिनेट से हटा दिया गया है। बालाजी के अलावा गोवी चेझियान, आर राजेंद्रन और एसएम नासर को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बालाजी ने ईडी द्वारा कथित नौकरी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने के कई महीने बाद इस्तीफा दे दिया था।

तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने शनिवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की कैबिनेट फेरबदल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी, जिस के तहत उनके बेटे उदयनिधि को उपमुख्यमंत्री का पद दिया गया तथा वी सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद में फिर से शामिल किया गया है। सेंथिल को धनशोधन मामले में उच्चतम न्यायालय से दो दिन पहले ही जमानत मिली थी। इसके अलावा डेयरी विकास विभाग संभाल रहे एम थंगराज सहित तीन मंत्रियों को कैबिनेट से हटा दिया गया है।

बालाजी के अलावा गोवी चेझियान, आर राजेंद्रन और एसएम नासर को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बालाजी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित नौकरी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने के कई महीने बाद इस साल फरवरी में इस्तीफा दे दिया था। राजभवन की एक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री स्टालिन ने तमिलनाडु के राज्यपाल से सिफारिश की कि युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री थिरु उदयनिधि स्टालिन को उनके मौजूदा विभागों के अलावा योजना और विकास विभाग आवंटित किया जाए और उन्हें उपमुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जाए।

इसमें कहा गया है कि राज्यपाल ने सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। मनोनीत मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को राजभवन में अपराह्न साढ़े तीन बजे होगा। वहीं राज्यपाल ने दुग्ध एवं डेयरी विकास मंत्री टी मनो थंगराज, अल्पसंख्यक कल्याण एवं अनिवासी तमिल कल्याण मंत्री केएस मस्थान और पर्यटन मंत्री के रामचंद्रन को मंत्रिपरिषद से हटाने की मुख्यमंत्री की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार को सत्ता संभाले तीन साल हो गए हैं। तीन साल के बाद मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव किए गए हैं।

कठुआ में पुलिसकर्मी शहीद, कुलगाम में चार जवान घायल

बजे शुरू हुई, जब सुरक्षा बलों ने एक घर में आतंकवादियों के एक समूह की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। शुरू में गोलीबारी कुछ देर तक चली लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी शुरू हो गई।

गोलीबारी में एक पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद हो गया और सहायक उपनिरीक्षक घायल हो गया। इससे पहले एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने कोग गांव में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकवादियों से आमना-सामना होने के बाद दोनों ओर से कई चक्र गोलियां चलाई गईं। अतिरिक्त बल भेजकर इलाके की कड़ी घेराबंदी कर दी गई है।

कल से फिर काम बंद कर देंगे कनिष्ठ चिकित्सक

सरकारी अस्पतालों में आंशिक रूप से अपनी ड्यूटी पर फिर से शामिल हुए थे। वहीं, इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद कोलकाता के पास कालेज आफ मेडिसिन और सागर दत्ता अस्पताल में चिकित्सकों और नर्सों पर हुए हमले के सिलसिले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोग 30 वर्षीय महिला मरीज के परिवार के सदस्य हैं, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बैरकपुर के पुलिस आयुक्त आलोक राजोरिया ने कहा कि अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है। इस बीच स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम ने विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ दिन में अस्पताल का दौरा किया और राजोरिया और अस्पताल के अन्य अधिकारियों के साथ-साथ कनिष्ठ चिकित्सकों के साथ बैठक की, जिन्होंने इस घटना के बाद काम बंद कर दिया था।

DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

MARUTI SECURITIES LIMITED

("MSL"/"TARGET COMPANY"/"TC") (Corporate Identification No. L67120TG1994PLC018087)

Registered Office: 66, Parkview Enclave, Mano Vikas Nagar, Secunderabad, Hyderabad – 500009, Telangana, India;

Phone No.: +91-8106873435; Email id: contact@marutisecurities.com; Website: www.marutisecurities.com

CASH OFFER FOR ACQUISITION OF EQUITY SHARES FROM SHAREHOLDERS

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UPTO 13,00,078 (THIRTEEN LACS AND SEVENTY EIGHT) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") CONSTITUTING 26.00% OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF MSL, FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF MSL BY MR. RAMA SWAMY REDDY PEDINEKALUVA (ACQUIRER-1) AND MR. NARSING BALWANTH SINGH (ACQUIRER-2) (ACQUIRER-1 AND ACQUIRER-2 HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "ACQUIRERS") PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH REGULATION 3 (1) AND REGULATION 4 READ WITH OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS")

This detailed public statement ("DPS") is being issued by M/s. Navigant Corporate Advisors Limited, the Manager to the Offer ("Manager"), for and on behalf of the Acquirers, in compliance with Regulation 13 (4) and other applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations, 2011"), pursuant to the Public Announcement (PA) filed on September 23, 2024 with the BSE Limited, Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and Target Company, in terms of Regulation 3 (1), Regulation 4 read with regulation 15(1) and regulation 13 (1) of the SEBI (SAST) Regulations.

Definitions:

"Equity Shares" means the fully paid-up equity shares of the Target Company of face value of Rs.10/- (Rupees Ten Only) Each.

"Offer" or "Open Offer" means the open offer for acquisition up to 13,00,078 (Thirteen Lacs and Seventy Eight) Equity Shares, representing 26.00% of the Fully Paid-up Equity Share Capital.

"Offer Price" means Rs. 8.50/- (Rupees Eight and Paisa Fifty Only) Per Share.

"Public Shareholders" means Shareholders of Target Company other than Parties to the Agreement.

"SPA" or "Agreement" has the meaning described to such term in Part II (Background of the Offer).

"Voting Share Capital" means total voting equity capital of the Target Company on a fully diluted basis expected as of tenth (10th) working day from the closure of the tendering period of the Offer.

I. ACQUIRERS, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER:

(A) INFORMATION ABOUT ACQUIRERS:

Acquirer-1: Mr. Rama Swamy Reddy Pedinekaluva

1. **Mr. Rama Swamy Reddy Pedinekaluva** S/o Mr. **Rama Chandra Reddy Pedinekaluva**, is 43 years old is Resident Indian currently residing at Flat No. 301, Happy Nest Plot Number 37 & 38, Raghavendra Shelters, KMR Estates, Kondapur, K. V. Ranareddy, Telangana – 500084; Tel. No. +91-9000928886; Email: reddy.ramaswamy@gmail.com; He holds the degree of Bachelor of Commerce ("B.com") from Sri Vankateswara University. He has not changed / altered his name at any point of time.
2. Acquirer-1 carries a valid passport of Republic of India and also holds a Permanent Account Number (PAN) ARAPP6333N. Acquirer-1 is having experience of 20 years of experience in the field of Accounting, Finance and Taxation.
3. Acquirer-1 does not belong to any group.
4. CA Harsha Manoj Vudathaneni (Membership No. **243301**), Partner of D V H and Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 018018S) having their office located at Plot No#2, Sri Ram Nagar Hills Colony, Beside Birla Open Minds International School, Mansoorabad, Hyderabad - 500074; Tel: +91-9550579625 / +91-9000514882; Email: audit@dvh.co.in; vide certificate dated August 21, 2024 has certified that Net Worth of Acquirer-1 is Rs. 720.93 Lacs as on April 02, 2024. **(UDIN: 24243301BKFHHK6699)**
5. Acquirer-1 does not hold any shares of Target Company as on the date of the PA and DPS, however he has agreed to buy 29,70,500 Equity Shares by way of Share Purchase Agreement ("SPA").
6. As on the date of this DPS, Acquirer-1 does not have any interest in Target Company, save and except the proposed shareholding to be acquired in the Target Company pursuant to SPA / Agreement.
7. Acquirer-1 hereby confirms and declares that he is not declared as 'Fraudulent Borrower' by the lending banks or financial institution or consortium, in terms of RBI master circular dated July 01, 2016.

Acquirer -2: Mr. Narsing Balwanth Singh:

1. Mr. Narsing Balwanth Singh S/o Mr. Narsing Lal, is 56 years old is Resident Indian currently residing at 8-3-318/11/11-P Flat no. 402, Sri Durga Usha Nilayam, Engineers colony, Jayaprakash Nagar, Yellareddyguda, Hyderabad, Telangana - 500073; Tel. No. +91-8885528749; Email: balwanth@gmail.com. He holds the degree of Bachelor of Arts ("B.A.") from Osmani University. He has not changed / altered his name at any point of time.
2. Acquirer-2 carries a valid passport of Republic of India and also holds a Permanent Account Number (PAN) AXKPS2306N. Acquirer-2 is having experience of 30 years of experience in the field of Media & Entertainment.
3. Acquirer-2 does not belong to any group.
4. CA Harsha Manoj Vudathaneni (Membership No. **243301**), Partner of D V H and Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 018018S) having their office located at Plot No#2, Sri Ram Nagar Hills Colony, Beside Birla Open Minds International School, Mansoorabad, Hyderabad - 500074; Tel: +91-9550579625 / +91-9000514882; Email: audit@dvh.co.in; vide certificate dated August 27, 2024 has certified that Net Worth of Acquirer-2 is Rs. 125.26 Lacs as on August 27, 2024. **(UDIN: 24243301BKFHHL1152)**
5. Acquirer-2 does not hold any shares of Target Company as on the date of the PA and DPS, however he has agreed to buy 10,000 Equity Shares by way of Share Purchase Agreement ("SPA").
6. As on the date of this DPS, Acquirer-2 does not have any interest in Target Company, save and except the proposed shareholding to be acquired in the Target Company pursuant to SPA / Agreement.
7. Acquirer-2 hereby confirms and declares that he is not declared as 'Fraudulent Borrower' by the lending banks or financial institution or consortium, in terms of RBI master circular dated July 01, 2016.

(B) UNDERTAKING / CONFIRMATION BY THE ACQUIRERS:

1. The Acquirers undertakes that if they acquires any Equity Shares of the Target Company during the Offer Period, they will inform the Stock Exchange and the Target Company within 24 hours of such acquisitions and they will not acquire any Equity Shares of the Target Company during the period between three working days prior to the commencement of the Tendering Period ("TP") and until the closure of the TP in accordance with Regulation 18(6) of the Regulations.
2. The Acquirers has not been prohibited by SEBI from dealing in securities in terms of directions issued under section 11B of the SEBI Act, as amended or under any other regulations made under the SEBI Act.
3. The Acquirers has undertaken that they will not sell the Equity Shares of the Target Company, if any held by him during the Offer Period in terms of Regulation 25(4) of the Takeover Regulations.

(C) DETAILS OF SELLING SHAREHOLDERS (THE SELLERS):

1. The details of Sellers have been set out as under:

Name of Sellers	Address of Sellers	Part of the Promoter / Promoter Group (Yes / No)	Details of shares / voting rights held by the Selling Shareholders			
			Pre- Transaction		Post Transaction	
			Number	%	Number	%
Varadarajan Kumbakonam (Seller-1)	Plot No. 66, Park View Enclave, Manovikas Nagar, Turumalagiri, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500009	Yes	2,13,700	4.27%	Nil	Nil
Chitra Kumbakonam (Seller-2)	Plot No. 66, Park View Enclave, Manovikas Nagar, Turumalagiri, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500009	Yes	20,100	0.40%	Nil	Nil
Enes Global Softek Private Limited (Seller-3)	66/2, Park View Enclave, Manovikas Nagar, Secunderabad, Telangana, India	Yes	7,08,300	14.17%	Nil	Nil
Orange Infotek (P) Limited (Seller-4)	Plot No.66/3, Parkview Enclave, Manovikas Nagar, Secunderabad, Telangana, India, 500009	Yes	6,82,400	13.65%	Nil	Nil
Orbit Global Softsol (P) Limited (Seller-5)	66/1, Park View Enclave, Manovikas Nagar, Secunderabad, Telangana, India	Yes	6,56,000	13.12%	Nil	Nil
Alpha Software Services Pvt Ltd (Seller-6)	66/4, Park View, Enclave Mano Vikas Nagar, Secunderabad, Telangana, India, 500009	Yes	7,00,000	14.00%	Nil	Nil
Total			**29,80,500**	**59.61%**	**Nil**	**Nil**

2. The Sellers have confirmed that they are not been prohibited by SEBI from dealing in securities in terms of directions issued under section 11B of the SEBI Act, as amended or under any other regulations made under the SEBI Act.

(D) INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY:

1. Maruti Securities Limited ("MSL" / "Target Company") was incorporated on August 09, 1994 under the Companies Act, 1956 in the name and style of "Maruti Securities Limited" and registered with the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad. The corporate identification number (CIN) of the Target Company is L67120TG1994PLC018087. The Registered office of MSL is presently situated at Plot No 66, Parkview Enclave, Manovikas Nagar, Secunderabad, Telangana, 500009; Phone No.: +91-8106873435; Email id: contact@marutisecurities.com; Website: www.marutisecurities.com.
2. The Authorized Capital of MSL is Rs. 4025.00 Lacs divided into 2,02,50,000 Equity Shares of Face Value of Rs. 10/- each and 20,00,000 Redeemable Preference Shares of face value of Rs. 100 each. The Issued, Subscribed and Paid-up capital of MSL is Rs. 500.03 Lacs divided into 50,00,300 Equity Shares of Face Value of Rs. 10/- each and 20,00,000 Redeemable Preference Shares of face value of Rs. 100 each. MSL has established its connectivity with both the National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited. The ISIN of MSL is INE368C01019.
3. The company was primarily engaged into the business of investment, Underwrite, sub underwrite to invest in and acquire and hold, sell, buy or otherwise deal in shares, debentures stocks, bonds, units and other securities. As on date, The Company is not carrying on any business, there is no operational revenue in the Company operations.
4. Target Company was registered as Non-Banking Financial Company vide certificate of registration issued by Reserve Bank of India, However RBI vide letter dated May 10, 2024 has cancelled the registration of Target Company.
5. As on date, the Target Company does not have any partly paid-up equity shares. There are no outstanding warrants or options or similar instruments, convertible into Equity Shares at a later stage. No shares are subject to any lock in obligations.
6. The entire present and paid-up Equity Shares of the Target Company is currently listed on BSE Limited.
7. The shares of the Target Company are listed at BSE Limited ("BSE") having scrip code and id is 531319 and MARUTISE respectively. The Equity Shares of Target Company are infrequently traded on BSE in terms of Regulation 2 (1) (j) of the Takeover Regulations.
8. The Company has complied with the requirements of the Listing Agreement with BSE and as on date no penal action has been initiated by the BSE.
9. Financial Information of MSL for the period ended June 30, 2024 and financial years ended March 31, 2024, March 31, 2023 and March 31, 2022 are as under:

(Rs. in Lacs)

Particulars	Period ended 30.06.2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)
Total Revenue	-	0.01	0.08	0.06
Net Income i.e. Profit/(loss) after tax	(5.77)	(23.51)	(64.49)	(17.42)
EPS	(0.12)	(0.47)	(1.29)	(0.34)
Net worth /Shareholders' Funds	(3,472.11)	(3,466.34)	(3,442.83)	(3,378.33)

10. As on the date of PA and DPS, the composition of Board of Directors of Target Company is as follows:

Name	Designation	DIN	Date of appointment in Target Company
Mr. Bade Srinivas	Managing Director	00102911	31/12/2004
Mr. Vamshikrishna Sripathi	Non-Executive - Independent Director	06959997	25/08/2014
Mrs. Kavitha Bade	Non-Executive - Independent Director	06943821	25/08/2014

(E) DETAILS OF THE OFFER:

1. The Acquirers has made the Offer in accordance with the Regulation 3(1) and 4 of the Takeover Regulations vide the PA dated September 23, 2024 to all the public shareholders of the Target Company for the acquisition of up to 13,00,078 (Thirteen Lacs Seventy Eight) Equity Shares ("Open Offer Shares") of the face value of Rs. 10/- each representing 26.00% of the Fully Paid-up Equity Share Capital of the Target Company at the "Offer Price" of Rs. 8.50/- (Rupees Eight and Paisa Fifty only) per Equity Share payable in "Cash" and subject to the terms and conditions set out in the DPS and the Letter of Offer ("LOF").
2. The Offer is being made to all the Shareholders of the Target Company except the Acquirers, the Sellers and existing promoter. The Equity Shares of the Target Company under the Offer will be acquired by Acquirers as fully paid-up, free from any lien, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.
3. The Offer is neither conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of the Takeover Regulations nor it is a competing offer in terms of Regulation 20 of the Takeover Regulations. This Offer is not pursuant to any global acquisition resulting in an indirect acquisition of equity shares of the Target Company. Also, there is no differential pricing in this Offer as all the Equity Shares of the Target Company are fully paid-up.
4. The Offer (assuming full acceptance to the Offer Size) will result in the minimum public shareholding (MPS) to fall below 25% of Emerging Equity & Voting Share Capital of the Target Company in terms of Regulation 38 of the Listing Regulations read with Rule 19A (1) of the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957 ("SCRR"). If the MPS falls below 25% of the Emerging Equity & Voting Share Capital, the Acquirers will comply with the provisions of Regulation 7(4) of the Takeover Regulations to maintain the MPS in accordance with the SCRR and the Listing Regulations.
5. To the best of knowledge and belief of the Acquirers, as of the date of this DPS, there are no statutory approvals required for this Offer. However, if any statutory approval that become applicable prior to completion of this Offer, this Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals that may become applicable at a later date.
6. To the extent required and to optimize the value of all the shareholders, the Acquirers may subject to applicable shareholders' consent, enter into any compromise or arrangement, reconstruction, restructuring, merger, amalgamation, rationalizing and/or streamlining of various operations, assets, liabilities, investments, businesses or otherwise of the Target Company. Notwithstanding, the Board of Directors of the Target Company will take appropriate decisions in these matters in line with the requirements of the business and opportunities from time to time. The Acquirers intends to seek a reconstitution of the Board of Directors of the Target Company after successful completion of the Offer. However, no firm decision has been made in this regard by the Acquirers.
7. In terms of Regulation 25(2) of the Takeover Regulations, the Acquirers does not currently have any intention to alienate, restructure, dispose of or otherwise encumber any assets of Target Company in the succeeding two years from the completion of this Offer, except in the ordinary course of business and other than as already agreed, disclosed and / or publicly announced by Target Company. Notwithstanding anything contained herein and except with the prior approval of the shareholders of Target Company through a special resolution, passed by way of postal ballot, the Acquirers undertakes that he will not restructure, sell, lease, dispose of or otherwise encumber any substantial assets of Target Company other than in the ordinary course of business and other than as already agreed, disclosed and / or publicly announced by Target Company.
8. The Manager to the Offer, Navigant Corporate Advisors Limited, does not hold any equity shares in the Target Company as on the date of DPS. The Manager to the Offer further declares and undertakes that they will not deal on their own account in the equity shares of the Target Company during the Offer Period.

II. BACKGROUND TO THE OFFER:

1. This Offer is being made pursuant to the execution of an Agreement dated September 23, 2024 to purchase 29,80,500 equity shares constituting 59.61% of the fully paid up and voting equity share capital of the Target Company from Varadarajan Kumbakonam ("Seller-1"), Chitra Kumbakunam ("Seller-2"), Enes Global Softek Private Limited ("Seller-3"), Orange Infotek (P) Limited ("Seller-4"), Orbit Global Softsol (P) Limited ("Seller-5") and Alpha Software Services Pvt Ltd ("Seller-6") (Seller-1, Seller-2, Seller-3, Seller-4, Seller-5 and Seller-6 hereinafter collectively referred to as the "Sellers") at a consideration of Rs. 6/- per Equity Share. ("SPA")
2. This Open Offer is a "Mandatory Offer" under the Regulation 3(1) and 4 of the Takeover Regulations being made by the Acquirers for acquisition of 26.00% of the present issued, subscribed and paid -up capital of Target Company. After the completion of this open offer and pursuant to acquisition of shares under Share Purchase Agreement, the Acquirers shall become largest equity shareholder and by virtue of this it shall be in a position to exercise effective control over management and affairs of the company.
3. The Acquirers intend to control over the Target Company & make changes in the Board of Directors of the Target Company subsequent to the completion of this Open Offer in accordance hereof.
4. The Acquirers propose to continue existing business of the Target Company and may diversify its business activities in future with prior approval of Shareholders. The main purpose of this acquisition is to acquire complete management control of the Target Company.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS:

The Current and proposed shareholding of the Acquirers in Target Company and the details of his acquisition is as follows:

Sr. No.	Particulars	Acquirer-1		Acquirer-2	
		No. of Shares	%	No. of Shares	%
(i)	Shareholding as on PA date	Nil	Nil	Nil	Nil
(ii)	Shares agreed to be acquired under SPA	29,70,500	59.41%	10,000	0.20%
(iii)	Shares acquired between the PA date and the DPS date	Nil	Nil	Nil	Nil
(iv)	Shares to be acquired in the Open Offer (assuming full acceptances)	13,00,078	26.00%	Nil	Nil
(v)	Post Offer shareholding [assuming full acceptance] (As on 10th working day after closing of tendering period)	42,70,578	85.41%	10,000	0.20%

IV. OFFER PRICE:

1. The Equity Shares of the Target Company are listed on BSE Limited, Mumbai (BSE). The shares are placed under Group "XT" having a Scrip Code of "531319" & Scrip Id: "MARUTISE" on the BSE.
2. The equity shares of the Target Company are infrequently traded within the meaning of explanation provided in Regulation 2(j) of the SEBI (SAST) Regulations on BSE.

The annualized trading turnover of the equity shares of the Target Company on BSE during Twelve calendar months prior to the month of PA date (September, 2023 – August, 2024) is as given below:

Name of the Stock Exchange	Total number of equity shares traded during the preceding 12 months prior to the month of PA	Total Number Equity Shares listed	Annualized Trading Turnover (as % of total Listed Equity Shares)
BSE	59,018	50,00,300	1.18%

Source: www.bseindia.com

3. The Offer Price of Rs. 8.50/- (Rupees Eight and Paisa Fifty only) is justified in terms of Regulation 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations on the basis of the following:

SR. NO.	PARTICULARS	PRICE (IN RS. PER SHARE)
(a)	Highest of Negotiated price per Equity Share of SPA	Rs. 6.00
(b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisitions by the Acquirers during 52 weeks immediately preceding the date of PA.	N.A.
(c)	Highest price paid or payable for acquisitions by the Acquirers during 26 weeks immediately preceding the date of PA.	N.A.
(d)	the volume-weighted average market price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period. (In case of frequently traded shares only)	Not Applicable as Equity Shares are Infrequently Traded
(e)	Where the Equity Shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies	Rs. 8.18*

*The Fair Value of the Equity Share of the Target Company is Rs. 8.18/- (Rupees Eight and Paisa Eighteen Only) as certified by Bhavesh M Rathod, Registered Valuer - SFA, (ICAI Membership No. 119158), Chartered Accountants having their office address at 515, 5th Floor, Dimple Arcade, Behind Sai Dham Temple, Thakur Complex, Kandivali East, Mumbai - 400101 and registered address 12D, White Spring, A wing, Rivali Park Complex, Western Express Highway, Borivali East, Mumbai 400066; Tel. No: +91 9769113490; Email: bhavesh@cabr.in vide valuation certificate dated September 23, 2024. (UDIN: 24119158BKAFOK5315) in accordance with Regulation 8 (16) of the SEBI (SAST) Regulations.

4. There has been no corporate action requiring the price parameters to be adjusted.
5. In the event of any further acquisition of Equity Shares of the Target Company by Acquirers during the offer period, whether by subscription or purchase, at a price higher than offer price, then offer price will be revised upwards to be equal to or more than the highest price paid for such acquisition in terms of Regulation 8 (8) of the SEBI (SAST) Regulations. However, it shall not be acquiring any equity shares of Target Company after the third working day prior to commencement of tendering period and until the expiry of tendering period.
6. If the Acquirers acquires any Equity Shares of the Target Company during the period of twenty-six weeks after the closure of Tendering Period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirers shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all shareholders whose Equity Shares have been accepted in this Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another open offer under the Takeover Regulations, or pursuant to SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchange, not being negotiated acquisition of Equity Shares of the Target Company in any form.
7. As on date of this DPS, there is no revision in the Offer Price or Offer Size. In case of any revision in the Offer Price or Offer Size, the Acquirers will comply with all the provisions of the Regulation 18(5) of the Takeover Regulations which are required to be fulfilled for the said revision in the Offer Price or Offer Size.
8. If there is any revision in the Offer Price on account of future purchases / competing offers, it will be done only upto one working day prior to the date of commencement of the Tendering Period in accordance with Regulation 18(4) of the Takeover Regulations and would be notified to the shareholders by way of another public announcement in the same newspapers where the DPS has appeared.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS:

1. Assuming full acceptance under the offer, the maximum consideration payable by the Acquirers under the offer would be Rs. 1,10,50,663/- (Rupees One Crore Ten Lacs Fifty Thousand Six Hundred Sixty Three Only) ("maximum consideration") i.e. consideration payable for acquisition of up to 13,00,078 equity shares of the target Company at offer price of Rs. 8.50/- (Rupees Eight and Paisa Fifty only) per Equity Share.
2. The Acquirers has adequate resources to meet the financial requirements of the Open Offer. No funds are being borrowed from any bank or financial institution for the purpose of this Open Offer by the Acquirers.
3. The Acquirers, the Manager to the Offer and ICICI Bank Limited, a banking corporation incorporated under the laws of India, have entered into an escrow agreement for the purpose of the Offer (the "Escrow Agreement") in accordance with regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Pursuant to the Escrow Agreement, the Acquirers on September 23, 2024 have deposited cash of an amount of Rs. 111.00 Lacs in an escrow account opened with ICICI Bank Limited, which is in excess to 100% of the Offer Consideration.
4. The Acquirers has duly empowered Navigant Corporate Advisors Limited, the Manager to the Open Offer, to realize the value of the Escrow Account in terms of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
5. CA Harsha Manoj Vudathaneni (Membership No. 243301), Partner of D V H and Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 018018S) has certified that the Acquirers has sufficient resources to make the fund requirement for fulfilling all the obligations under the Offer.
6. Based on the above and in the light of the escrow arrangement, the Manager to the Open Offer is satisfied that the firm arrangements have been put in place by the Acquirers to fulfill their obligations through verifiable means in relation to the Offer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS REQUIRED FOR THE OFFER:

1. To the best of knowledge and belief of the Acquirers, as of the date of this DPS, there are no statutory approvals required for this Offer. However, if any statutory approval that become applicable prior to completion of this Offer, this Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals that may become applicable at a later date.
2. Non-resident equity shareholders who wish to tender their equity shares in the Target Company in this Offer will be required to submit all the applicable Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI") approvals that they would have obtained for acquiring, the equity shares of the Target Company. In the event such RBI approvals are not submitted, the Acquirers reserves the sole right to reject the equity shares tendered in the Offer.
3. The Acquirers, in terms of regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, will have a right not to proceed with the Offer in the event the statutory approvals indicated above are refused. In the event of withdrawal, a PA will be made within 2 working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has appeared.
4. In case of delay in receipt of any statutory approval, the SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not due to any willful default or neglect of the Acquirers or failure of the Acquirers to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirers agreeing to pay interest to the shareholders as directed by the SEBI, in terms of regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if delay occurs on account of willful default by the Acquirers in obtaining the requisite approvals, regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable to forfeiture.
5. No approval is required from any bank or financial institutions for this Offer.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF THE ACTIVITIES PERTAINING TO THE OFFER:

Activity	Date	Day
Public Announcement	23.09.2024	Monday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	30.09.2024	Monday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	30.09.2024	Monday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	08.10.2024	Tuesday
Last date for a Competing offer	22.10.2024	Tuesday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	29.10.2024	Tuesday
Identified date*	31.10.2024	Thursday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	08.11.2024	Friday
Last date for revising the Offer Price	13.11.2024	Wednesday
Comments from Committee of Independent Directors of Target Company	13.11.2024	Wednesday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company	14.11.2024	Thursday
Date of Opening of the Offer	18.11.2024	Monday
Date of Closure of the Offer	29.11.2024	Friday
Post Offer Advertisement	06.12.2024	Friday
Payment of consideration for the acquired shares	13.12.2024	Friday
Final report from Merchant Banker	20.12.2024	Friday

*Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirers, Sellers and Promoters) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON RECEIPT OF LETTER OF OFFER:

1. All owners of Equity Shares (except the Acquirers, Sellers and Promoters) whether holding Equity Shares in dematerialized form or physical form, registered or unregistered, are eligible to participate in the Offer any time before closure of the tendering period.
2. There shall be no discrimination in the acceptance of locked-in and non-locked-in shares in the Offer. The residual lock-in period shall continue in the hands of the Acquirers. The shares to be acquired under the Offer must be free from all liens, charges and encumbrances and will be acquired together with the rights attached thereto.
3. Persons who have acquired the Equity Shares of the Target Company but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date or unregistered owners or those who have acquired the Equity Shares of the Target Company after the Identified Date or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.
4. The Open Offer will be implemented by the Acquirers through the Stock Exchange Mechanism made available by the Stock Exchange in the form of a separate window ("Acquisition Window") as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI Circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated 13th April, 2015 issued by SEBI and as amended by SEBI Circular CFD/DCR/2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 and as per further amendment vide SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR-III/ CIR/P/2021/615 dated 13th August, 2021.
5. BSE Limited shall be the designated Stock Exchange for the purpose of tendering shares in the Open Offer.
6. The Acquirers has appointed Allwin Securities Limited, Stock Broker for the open offer through whom the purchases and settlement of the Offer Shares tendered under the Open Offer shall be made. The contact details of the buying broker are as mentioned below:

ALLWIN SECURITIES LIMITED

B-205/206, Ramji House,30, Jambulwadi, Kalbadevi Road,Mumbai-400 002

Tel: +91-22-4344 6444, **E-mail:** allwinsec@gmail.com, **Website:** www.allwinsecurities.com

SEBI Registration No.: INZ000239635

7. All the shareholders who desire to tender their equity shares under the Open Offer will have to intimate their respective stock brokers ("Selling Brokers") within the normal trading hours of the Secondary Market, during the Tendering period.
8. A separate Acquisition Window will be provided by the stock exchange to facilitate placing of sell orders. All the shareholders who desire to tender their equity shares under the Open Offer will have to intimate their respective stock brokers ("Selling Brokers") within the normal trading hours of the Secondary Market, during the Tendering period. The Selling broker can enter orders for dematerialized as well as physical Equity shares.
9. The Letter of Offer along with a form of acceptance cum acknowledgement would also be available at the SEBI website, www.sebi.gov.in, and shareholders can also apply by downloading such forms from the said website.
10. No indemnity is needed from unregistered shareholders.

IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN THE OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER

X. OTHER INFORMATION:

1. The Acquirers and the Target Company have not been prohibited by SEBI from dealing in the securities under directions issued pursuant to Section 11B or under any other regulations made under the SEBI Act.
2. The Acquirers has appointed Navigant Corporate Advisors Limited as Manager to the Offer pursuant to regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations.
3. The Acquirers has appointed Aarthi Consultants Pvt. Ltd as Registrar to the Offer having office at 1-2-285, Domalguda, Hyderabad, Telangana,500029, Tel No.: +91-40-27638111/4445, Website: www.aarthiconsultants.com, E-mail Id: info@aarthiconsultants.com; SEBI Registration No.: INR000000379; Contact Person: G. Jagan Mohan.
4. This Detailed Pubic Statement would also be available at SEBI's website, www.sebi.gov.in.
5. This Detailed Pubic Statement is being issued on behalf of the Acquirer by the Manager to the Offer i.e., M/s Navigant Corporate Advisors Limited.
6. The Acquirer accepts the full responsibility for the information contained in PA and DPS and also for the obligations of the Acquirer as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereof.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS

Navigant
Reinventing Business

NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED

804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.

Tel No. +91-22- 4120 4837 / 4973 5078

Email id: navigant@navigantcorp.com

Website: www.navigantcorp.com

SEBI Registration No: INM000012243

Contact Person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai

Date: September 27, 2024

ऐ भाई...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू की जनसभा में जुटे समर्थक।

दिल्ली से भेजे गए लोगों से रहें सावधान, करें खारिज : फारूक

जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले नैशनल कांफ्रेंस (नैकां) अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मतदाताओं से अपने सम्मान और गरिमा को प्राथमिकता देने एवं उन उम्मीदवारों को खारिज करने की अपील की, जिन्हें उन्होंने 'दिल्ली द्वारा भेजा गया' 'छिपा हुआ शैतान' बताया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का तीसरा और आखिरी चरण एक अक्तूबर को है। इस चरण में जम्मू क्षेत्र की 24 और कश्मीर घाटी की 16 सीटों के लिए मतदान होगा।

इस चुनाव में नैशनल कांफ्रेंस- कांग्रेस गठबंधन की संभावनाओं की चर्चा करते हुए अब्दुल्ला ने विश्वास व्यक्त किया कि यह 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत हासिल करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा इस केंद्रशासित प्रदेश में सत्ता नहीं हासिल करेगी। अंतिम चरण के चुनाव के वास्ते जोर-शोर से चल रहे चुनाव प्रचार अभियान के रविवार को समाप्त होने से पहले नेकां अध्यक्ष ने लोगों से वोट डालने के वक्त सोच समझकर निर्णय लेने की भावुक अपील की। उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए मतदान के महत्त्व पर बल दिया।

कठुआ में नहीं उतर सका प्रियंका का हेलिकाप्टर, सभाएं रद्द

कांग्रेस ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन पर कठुआ जिले के बिलावर निर्वाचन क्षेत्र में प्रियंका गांधी के हेलिकाप्टर को उतारने में मदद न करके पार्टी के प्रचार अभियान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी को दोपहर बाद जम्मू क्षेत्र के बिलवाड़ा और बिश्नाह निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करना था। वह बिलावर नहीं जा सकीं, क्योंकि उनका हेलिकाप्टर वहां उतर नहीं सका। बिलावर में उन्हें पूर्व मंत्री एवं पार्टी उम्मीदवार डा मनोहर लाल के लिए प्रचार करना था।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को हेलिकाप्टर में खराबी आने के कारण रैली स्थल पर नहीं पहुंच सके थे। राहुल गांधी को जम्मू क्षेत्र के छम्ब और रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करना था। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा, 'हम बिलावर में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए प्रियंका गांधी के हेलिकाप्टर को उतारने में मदद नहीं करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से सवाल करते हैं।'

रंगदारी के डर से व्यापारियों का हो रहा पलायन : हुड्डा

कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर हरियाणा की भाजपा सरकार पर निशाना साधाते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि फिरौती के डर से व्यापारी दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि युवा रोजगार की कमी के कारण अन्य राज्यों और दूसरे देशों की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा से प्रतिभाशाली युवाओं और व्यापारियों का लगातार पलायन बहुत चिंताजनक है। हुड्डा ने कैथल जिले के जाखोली में चुनावी रैली में कहा, 'भाजपा सरकार ने हरियाणा को पलायन राज्य बना दिया है, कंपनियां, युवा, व्यवसायी राज्य से पलायन कर रहे हैं। रंगदारी के डर से कंपनियां और व्यापारी हरियाणा से पलायन कर रहे हैं और रोजगार के अभाव में युवा अन्य राज्यों और देशों की ओर जा रहे हैं।'

हिसार की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तंज, मुख्यमंत्री की दौड़ में 'बापू और बेटा' भी

कांग्रेस 'अर्बन नक्सल' के चंगुल में

जनसत्ता ब्यूरो

हरियाणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हरियाणा के हिसार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस 'अर्बन नक्सलियों' के चंगुल में है और कांग्रेस में हर कोई हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी कर रहा है तथा 'बापू' (भूपेंद्र सिंह हुड्डा) और 'बेटा' (दीपेंद्र हुड्डा) भी दावेदार है।

मोदी ने कहा कि हरियाणा के लोग हर घाव सह सकते हैं, लेकिन देश के विरुद्ध कोई बात सहन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शहरी नक्सलियों के चंगुल में है। कांग्रेस के नेता विदेश जाते हैं तो वहां उन लोगों से मिलते हैं, जो भारत के खिलाफ बोलते हैं।

मोदी ने याद किया, जब हरियाणा में पार्टी संगठन के लिए काम किया था और कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि हरियाणा ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने कहा कि हर जगह से एक ही आवाज सुनाई दे रही है 'भरोसा दिल से, भाजपा फिर से।' हरियाणा में पांच अक्तूबर को मतदान होना है।

मोदी ने कहा कि मतदान का दिन नजदीक आने के साथ कांग्रेस नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हरियाणा में भी उन्हें मध्य प्रदेश जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में कांग्रेस ने झूठ का सहारा लिया, लेकिन उनके झूठ का गुब्बारा फूट गया और हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। कांग्रेस का यह हश्र इसलिए हो रहा है कि वह देश की धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। पड़ोस में हिमाचल प्रदेश में देखिए, उन्होंने क्या किया है। चुनाव के दौरान उन्होंने क्या-क्या झूठ बोला, आप कल्पना भी नहीं कर सकते और सत्ता में आने के बाद वे अपने किए वादों से भाग रहे हैं। लोग अब कांग्रेस से कह रहे हैं 'क्या हुआ तेरा वादा।' कांग्रेस लोगों से पूछ रही है 'तुम कौन।' उन्होंने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा, 'दिल्ली के शाही परिवार ने हिमाचल की जनता को अपने झूठ में फंसाया। आज हिमाचल के कर्मचारियों को वेतन और डीए (महंगाई भत्ता) देने के लिए उनके पास बजट नहीं है। जहां भी कांग्रेस है वहां स्थिरता नहीं आ सकती।

हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि जो पार्टी अपने नेताओं के बीच एकता नहीं ला सकती, वह राज्य में स्थिरता कैसे लाएगी। आप देख रहे हैं कि यहां (हरियाणा में) कांग्रेस में लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए आपस में ही मारामारी कर रहे हैं। बापू (भूपेंद्र हुड्डा) भी दावेदार है और बेटा (दीपेंद्र) भी दावेदार हैं। दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं और यह सब देखकर हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तन-मन-धन से दिल्ली के शाही परिवार की सेवा की और अब वे ही पूछ रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई। मोदी ने कहा कि यहां कांग्रेस का हर गुट हर सीट पर एक दूसरे को पटखनी देने में लगा हुआ है। इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलित उसे वोट नहीं देता, इसलिए वह पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आप खुद देखिए कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, दलित बेटियों के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ, लेकिन कांग्रेस चुप रही।

जम्मू की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

'जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला अस्थायी'

जम्मू में एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का फैसला 'अस्थायी' है और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करेगी। विपक्षी दलों कांग्रेस, नैशनल कांफ्रेंस (नैकां) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर निशाना साधते हुए उन्होंने इन पर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि यह भाजपा ही है जिसने भेदभाव को समाप्त किया है। एक अक्तूबर को विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार समाप्त होने से एक दिन पहले एमएएम स्टेडियम में मोदी ने कहा कि लोग शांति और बेहतर भविष्य की उम्मीद में हैं।

प्रचार अभियान

भिवानी जिले के तोशाम की एक जनसभा में कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी व अन्य नेता।

राजपूत बहुल बसोहली में रोचक हुआ मुकाबला, पूर्व सांसद पर टिकीं निगाहें

जनसत्ता ब्यूरो

जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में बसोहली विधानसभा क्षेत्र पर सभी की निगाहें हैं जहां तीन बार विधायक और दो बार सांसद रह चुके चौधरी लाल सिंह को चौथी बार अपने पारंपरिक गढ़ को फिर से हासिल करने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जिले में छह विधानसभा क्षेत्र हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच स्पष्ट लड़ाई नजर आती है।

अनूठी 'बसोहली पेंटिंग' के लिए प्रसिद्ध और रावी नदी के किनारे स्थित बसोहली ने सिंह और उनकी पत्नी कांता अंडोत्रा को नौ चुनावों में से चार बार जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भेजा है, जबकि यहां से कांग्रेस ने कुल मिलाकर सात बार जीत हासिल की है। पीडीपी के योगिंदर सिंह और बसपा के पंकज कुमार भी मैदान में हैं। असली लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में है।

यहां सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। लाल सिंह के लिए 20 साल बाद यह सीट कांग्रेस के खाते में वापस लाना कड़ी चुनौती है। लाल सिंह 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीन लोकसभा चुनाव केंद्रीय मंत्री डा जितेंद्र सिंह से हार चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने बसोहली खंड में 14,000 मतों की बढ़त हासिल की थी। सिंह ने 2014 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जीत हासिल की थी। यह सिंह के लिए एक कठिन मुकाबला है, खासकर राजपूत समुदाय के दो अन्य प्रतिद्वंद्वियों की मौजूदगी में।

राजपूतों की आबादी यहां 60 फीसद है। लाल सिंह 1996 में पहली बार बसोहली से विधायक चुने गए। वह 2002 में फिर से चुने गए और कांग्रेस-पीडीपी गठबंधन सरकार में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में उधमपुर सीट जीती।

तीन बार विधायक और दो बार सांसद रह चुके चौधरी लाल सिंह चौथी बार अपने पारंपरिक गढ़ से मैदान में हैं।

लाल सिंह

उम्मीदवारों से पहले के वादों का हिसाब मांग रहे मतदाता

जनसत्ता

नाराजगी

हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश स्तर पर अब तक जहां एक ओर केवल नौकरियों व दलित उत्पीड़न का मुद्दा छाया रहा, वहीं दूसरी ओर, हलका स्तर पर लोग अब प्रत्याशियों से हिसाब मांग रहे हैं। प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर अब तक अनेक ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां लोगों ने प्रत्याशियों से उनके पिछले कार्यकाल के दौरान वादों पर सार्वजनिक सभाओं के दौरान हिसाब मांगा और हिसाब नहीं देने पर प्रत्याशियों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा।

जिला जींद की नरवाना सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण बेदी चुनाव प्रचार के लिए गांव कर्मगढ़ गए थे। वहां लोगों ने भाजपा प्रत्याशी से कहा कि किसान आंदोलन में उनके समर्थन में उन्होंने कोई बात क्यों नहीं की। पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। गांव भिखेवाला में भी युवाओं ने बेदी को घेरकर नौकरियों पर जवाब मांगा। प्रत्याशी समर्थकों तथा ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की भी हुई।

नायब सरकार में राज्य मंत्री रहे नांगल चौधरी विधानसभा से प्रत्याशी अभय सिंह यादव का अहीर बाहुल्य कोरियावास गांव में विरोध हुआ। यहां कुछ युवाओं ने उनसे सवाल पूछे। युवक प्रदीप ने कहा कि आपने किया क्या है, फिर वोट क्यों दें। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भर्तियों को रोक कर बैठ गए, जिसके कारण युवा परेशान हैं।

फतेहाबाद के रतिया से भाजपा प्रत्याशी पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को गांव भूथन कलां में किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसानों ने दुग्गल पर सांसद होते हुए उनकी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। टोहाना विधानसभा के गांव चंद्रावल में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली की जनसभा में किसानों ने जमकर हंगामा हो चुका है। किसानों ने गांव की समस्याओं और पुरानी मांगों बबली से रपट मांगी। ग्रामीणों ने पुराने मांग पत्र भी दिखाए जो बबली को विकास एवं पंचायत मंत्री रहते हुए दिए गए थे।

अटेली विधानसभा में पड़ने वाले गांव स्याणा पूर्व विधायक सीता राम को घेरकर उनके गांव की गलियों के निर्माण नहीं होने पर सवाल पूछे गए। गांव चंद्रावल में तो बबली को अपनी घोषणाएं पूरी नहीं होने पर माफी तक मांगनी पड़ी। झज्जर में भाजपा के प्रत्याशी कप्तान बिरधाना जब विकास की बात कर रहे थे तो गांव लडायन में लोग उन्हें जनसभा से उठाकर ले गए और गांव उन गलियों में उतार दिया जहां बारिश का पानी जमा था।

विपक्षी दल कांग्रेस में भी कुछ ही ऐसे ही हालात बने हुए हैं। हिसार से कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास राड़ा का सैनी समाज और सैनी न्याय संघर्ष समिति द्वारा एक ट्रस्ट के मुद्दे पर विरोध किया जा रहा है। कालका से पूर्व कांग्रेस विधायक एवं वर्तमान प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का अवैध खनन व सड़क निर्माण नहीं होने पर ग्रामीणों ने विरोध किया और जवाब मांगा।

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव एवं कांग्रेस प्रत्याशी राम निवास घोड़ेला को जनसभा के दौरान उस समय विरोध का सामना करना पड़ा जब एक व्यक्ति मंच पर चढ़ गया और कहा कि हुड्डा सरकार में वादे के बावजूद उनके गांव से किसी भी युवक को नौकरी नहीं मिली है। जिस पर घोड़ला ने समूचे गांव से माफी मांगी।

जजपा के कोटे से मंत्री रहे अनूप धानक इस समय भाजपा की टिकट पर उकलाना से चुनाव लड़ रहे हैं। वह 2014 व 2019 में भी यहां से विधायक रह चुके हैं। गांव श्याम सुख में तो ग्रामीणों ने अनूप से दस साल का रपट कार्ड मांगा और नहीं देने पर उनकी हार को लेकर शर्त तक लगा डाली।

भाई-बहन की लड़ाई में दोस्ती निभाने उतरे सहवाग

तोशाम सीट पर बंसीलाल के परिवार के अनिरुद्ध और श्रुति आमने-सामने

जनसत्ता ब्यूरो

समीकरण

भिवानी जिले में तोशाम विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में सांसद किरण चौधरी की पुत्री श्रुति चौधरी मैदान में हैं, जबकि अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। श्रुति और अनिरुद्ध चचेरे भाई-बहन हैं। दोनों बंसीलाल परिवार से हैं। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रहे अनिरुद्ध चौधरी के पक्ष में टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने मतदान की अपील की है। इस कारण यहां की लड़ाई रोचक हो गई है।

हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेत्री रहीं किरण चौधरी कुछ माह पहले भाजपा में शामिल हो गईं थीं। बाद में पार्टी ने उन्हें राज्य सभा पहुंचा दिया। किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति को भिवानी जिले के तोशाम विधानसभा सीट से भाजपा का टिकट दिला दिया।

श्रुति के मुकाबले कांग्रेस ने उनके चचेरे भाई और हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रहे अनिरुद्ध चौधरी को मैदान में उतारा है। तोशाम सीट पर बंसीलाल परिवार के भाई-बहन के बीच की सियासी लड़ाई की चर्चा तो पहले से ही चल रही थी। इस बीच चर्चाओं ने नया मोड़ तब ले लिया जब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) के जरिए एक वीडियो साझा किया है। इसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी का समर्थन करते हुए एक 'स्टेटस' डाला है। सहवाग ने अनिरुद्ध सिंह के उस वीडियो को साझा किया है, जिसमें वे लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं।

कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी के जिस वीडियो को सहवाग ने साझा किया है, उसमें अनिरुद्ध चौधरी कहते हुए दिख रहे हैं कि 'मैं कोई काम करूंगा तो आपके प्यार के कारण करूंगा, आपके समर्थन के कारण करूंगा, आपके सहयोग के कारण करूंगा, आपके और मेरे बीच कोई भी तीसरा आदमी नहीं होगा।'

अनिरुद्ध चौधरी बीसीसीआइ के पूर्व कोषाध्यक्ष और हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रहे हैं। अनिरुद्ध के पिता रणबीर बीसीसीआइ में उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। वे विधायक भी रहे। अनिरुद्ध चौधरी अंडर-19 इंडिया क्रिकेट टीम के प्रबंधक रहे। इसके अलावा साल 2007 टी-20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया के प्रबंधक रहे। ऐसे में वीरेंद्र सहवाग के साथ उनका लंबा समय गुजरा है। अब इसी वजह से सहवाग भी उनके समर्थन में दिख रहे हैं।

अनिरुद्ध चौधरी अपने दादा के नाम और उनके जैसा काम करने के वादे पर वोट मांग रहे हैं। हालांकि वे अपनी बहन भाजपा उम्मीदवार श्रुति चौधरी और चाची किरण के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

श्रुति चौधरी

वीरेंद्र सहवाग

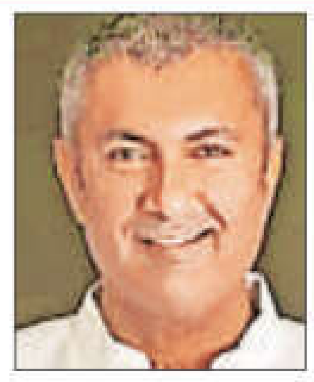

अनिरुद्ध चौधरी

अनिरुद्ध चौधरी के जिस वीडियो को सहवाग ने साझा किया है, उसमें वे कहते हुए दिख रहे हैं कि 'मैं कोई काम करूंगा तो आपके प्यार के कारण, आपके समर्थन व सहयोग के कारण।'

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., नानौता (सहारनपुर)

ई-निविदा सूचना

इस मिल समिति में पेराई सत्र 2024-25 में ड्रायर हाउस में चीनी के 50 कि0ग्रा0 पी0पी0 बैग्स/जूट बैग्स के कट्टों को भरना, सिलाई करना, वजन के पश्चात ड्रायर हाउस में बताये गये निर्देशित स्थान पर रखने से सम्बन्धित कार्यों के लिये ई-निविदायें **दिनांक 28.09.2024 से 04.10.2024 तक** आमंत्रित की गयी है। जो वेबसाइट etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

(जय प्रकाश)
पी0सी0एस0
प्रधान प्रबन्धक

भौतिक कब्जा नोटिस

HDB

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद गुजरात, पिन कोडरू 380009 शाखा कार्यालय रू ई-145, द्वितीय तल, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान-302001

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत ऋणीओं जैसा कि नीचे दिया गया है, को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान की तारीख से लेकर वास्तविक तक सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त ऋणी/सह-उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे है। एतद्द्वारा ऋणी/सह-उधारकर्ता और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 14 की धारा 13(4) के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरी ने सम्बंधित तिथियों भौतिक कब्जा कर लिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम तौर पर सार्वजनिक रूप से संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन संबंधित तिथि से भविष्य के ब्याज, लागत और शुल्क के साथ यहां निर्दिष्ट राशि के लिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधीन होगा। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों का विवरण, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, प्रतिभूतियों का विवरण, मांग नोटिस की तिथि, रुपये में दावा की गई राशि, कब्जे की तिथि विवरण नीचे दिया गया है।

1) उधारकर्ता /सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों का नाम और पता, 2) ऋण खाता संख्या, 3) ऋण राशि, 4) मांग नोटिस की तिथि 5) रुपये में दावा की गई राशि, 6) प्रतिभूतियों का विवरण, 7) कब्जे की तिथि

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नामः 1.सुश्री लक्ष्मी एंटरप्राइज 113 सुभाष नगर पाली, पाली एचओ- 306401 राजस्थान, 2. रुकमा देवी 64 सुभाष नगर पाली, पाली एचओ- 306401 राजस्थान 3. नर सिंह 64 सुभाष नगर पाली, पाली एचओ - 306401 राजस्थान 4. लक्ष्मी देवी 64 सुभाष नगर पाली, पाली एचओ- 306401 राजस्थान ,ऋण खाता संख्या 15863200 एवं 7020540, ऋण राशि: रु.398000/- (खाता 15863200 के लिए केवल तीन लाख अट्ठानवे हजार रुपये और खाता 7020540 के लिए रु. 2000000/-(केवल बीस लाख रुपये), डिमांड नोटिस की तिथि: 15.04.2023, दावा की गई राशि: 13.04.2023 तक 2373940/-रुपये (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ चालीस मात्र) और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। एनपीए तिथि-04.04.2023: प्रतिभूति का विवरण: सुभाष नगर, पाली राजस्थान में स्थित 250 वर्ग गज का पट्टा संख्या 3712 वाली संपत्ति का सभी टुकड़ा और अंश,श्रीमती रुकमा देवी के नाम पर पंजीकृत पुस्तक संख्या 1 खंड संख्या 29 पृष्ठ 33-34 में पंजीकृत दस्तावेज, दस्तावेज संख्या 1017 दिनांक 26-10-1974, संपत्ति की सीमा इस प्रकार है:- उत्तर -अन्य भूखंड, दक्षिण-सड़क, पूर्व-अन्य पर, पश्चिम-अन्य प्लॉट, भौतिक कब्जे की तिथि 26.09.2024

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया संपर्क करें: श्री विकास आनंद- 9711010384
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, शाखा कार्यालयः ई-145, द्वितीय तल, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान-302001

प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : जयपुर, दिनांकः 29.09.2024 हस्ता /- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड,

---

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

(सीआईएनः U65922HR2016PTC057984)
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट 809-815, 8वीं मंजिल, टॉवर-ए, ईएमएआर डिजिटल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-61, गुरुग्राम-122002 (हरियाणा), सीआईएनः U65922HR2016PTC057984

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) एवं गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है जिसका भौतिक कब्जा मैसर्स उम्मीद **हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी,सुरक्षित लेनदार द्वारा 26.09.2024** को कर लिया गया है, यूएचएफपीएल में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, कंपनी के बकाया की वसूली के **लिए दिनांक 04.11.2024** को कंपनी के बकाया की वसूली के लिए **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"** को आधार पर बिक्री की जायेगी।

ज्ञात भार के साथ, यदि कोई हो-अचल संपत्ति का विवरणः
रतन विहार, गांव पबिशदपुर, परगना-लोनी, तहसील और जिला-गाजियाबाद में स्थित आवासीय संपत्ति संख्या 37-ए वाली संपत्ति का वह टुकड़ा और अंश, जिसकी माप 50 वर्ग गज एवं खसरा संख्या 279 में शामिल है। **सीमाएंः पूर्व-**20 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिम-** अन्य का प्लॉट, **उत्तर-** 10 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण-** अन्य का प्लॉट।

उधारकर्ता/ओं और गारंटर (ओं) का नाम और पता	1.नीलामी की तिथि और समय 2.ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	1.आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की ईएमडी 3.बोली वृद्धि
1. रामवीर पुत्र चंदर पाल (उधारकर्ता) निवासीः-563 पूजा कॉलोनी, उस्मान प्रधान गली के पास, लोनी गाजियाबाद - 201102 2. मीनू पत्नी रामवीर (सह-उधारकर्ता) निवासीः- 563 पूजा कॉलोनी, उस्मान प्रधान गली के पास, लोनी गाजियाबाद - 201102 इसके अलावाः-1367 पूजा कॉलोनी लोनी गाजियाबाद - 201102 लैन. नं. LXLAX02818&190003139 , ऋण अनुबंध दिनांकः 30-11-2018 ऋण राशि रु.6,18,604/-, कुल बकाया राशि 25-09-2024 तक रु.6,78,811/. 26-सितंबर-2024 से अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क,	1) नीलामी की तिथिः 04.11.2024 दोपहर 12:00 बजे से अप. 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 29.10.2024 को शाम 7:00 बजे तक (आईएसटी) 3) निरीक्षण की तिथिः 25.10.2024 : को पूर्वाह्न 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच (आईएसटी)	1.आरक्षित मूल्यः रू.15,50,000/- 2.धरोहर जमा राशिः रूपये 155000/- बोली वृद्धि - रू.15,000/- और ऐसे गुणांकों में।

स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा प्राधिकृत अधिकारी ,श्री गौरव त्रिपाठी ,मोबाइल-9650055701
दिनांकः 29.09.2024 उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड,

सार्वजनिक सूचना
(दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016की धारा 102 के तहत)
वीरेंद्र कुमार चावला के लेनदारों के ध्यानार्थ
(मैसर्स जेएमएल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर)

	वीरेंद्र कुमार चावला के व्यक्तिगत गारंटर का विवरण	
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री वीरेंद्र कुमार चावला
2.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम और सीआईएन	मेसर्स जेएमएल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड [सीआईएनः- U15490UP2002PTC026613]
3.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	पता-ए-19, अंबाला कैंट, ट्रिब्यून कॉलोनी, अंबाला, अंबाला जीपीओ, हरियाणा, 133001
4.	आईबीसी, 2016 के तहत व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में दिवालियापन प्रक्रिया प्रारंभ तिथि	24.09.2024
5.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	18.10.2024
	संकल्प पेशेवर का विवरण	
6.	संकल्प पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री हरीश तनेजा IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229 एएफए वैधः 14.12.2024 तक
7.	बोर्ड के साथ पंजीकृत संकल्प पेशेवर का पता और ई-मेल	पताः ए 1-228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेलः harishtaneja78@gmail.com
8.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	पताः ए 1-228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेलः pirp.jml@gmail.com

झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा आईबीसी की धारा 95 के तहत व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दायर सीपी (आईबी) संख्या 19/एएलडी/2022 में अपने आदेश दिनांक 24.09.2024 के तहत आईबीसी की धारा 100 के तहत श्री वीरेंद्र कुमार चावला की दिवालियापन स्वीकार कर लिया है।
तदनुसार, श्री वीरेंद्र कुमार चावला के लेनदारों को इसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र बी में प्रमाण के साथ अपने दावे 18.10.2024 को या उससे पहले उपरोक्त क्रम संख्या 7 में पताः ए 1-228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेलः **pirp.jml@gmail.com** पर संकल्प पेशेवर को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
लेनदार अपने दावों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या हाथों-हाथ या पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत (पंजीकृत) कर सकते हैं।

हस्ता./-
श्री हरीश तनेजा, संकल्प पेशेवर
ईमेलः pirp.jml@gmail.com
पताः ए 1-228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
दिनांकः 27.09.2024 IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229
स्थानः नई दिल्ली एएफए वैधः 14.12.2024 तक

सार्वजनिक सूचना
(दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016की धारा 102 के तहत)
श्री राजिंदर कुमार चावला के लेनदारों के ध्यानार्थ
(मैसर्स जेएमएल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर)

	श्री राजिंदर कुमार चावला के व्यक्तिगत गारंटर का विवरण	
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री राजिंदर कुमार चावला
2.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम और सीआईएन	मेसर्स जेएमएल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड [सीआईएनः- U15490UP2002PTC026613]
3.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	पता- ए-20, ट्रिब्यून कॉलोनी, वार्ड-18, अंबाला कैंट, अंबाला, हरियाणा, 133001
4.	आईबीसी, 2016 के तहत व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में दिवालियापन प्रक्रिया प्रारंभ तिथि	24.09.2024
5.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	18.10.2024
	संकल्प पेशेवर का विवरण	
6.	संकल्प पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री हरीश तनेजा IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229 एएफए वैधः 14.12.2024 तक
7.	बोर्ड के साथ पंजीकृत संकल्प पेशेवर का पता और ई-मेल	पताः ए 1-228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेलः harishtaneja78@gmail.com
8.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	पताः ए 1-228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेलः pirp.jml@gmail.com

झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा आईबीसी की धारा 95 के तहत व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दायर सीपी (आईबी) संख्या 21/एएलडी/2022 में अपने आदेश दिनांक 24.09.2024 के तहत आईबीसी की धारा 100 के तहत श्री राजिंदर कुमार चावला की दिवालियापन स्वीकार कर लिया है।
तदनुसार, श्री राजिंदर कुमार चावला के लेनदारों को इसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र बी में प्रमाण के साथ अपने दावे 18.10.2024 को या उससे पहले उपरोक्त क्रम संख्या 7 में पताः ए 1-228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ईमेलः **pirp.jml@gmail.com** पर संकल्प पेशेवर को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
लेनदार अपने दावों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या हाथों-हाथ या पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत (पंजीकृत) कर सकते हैं।

हस्ता./-
श्री हरीश तनेजा, संकल्प पेशेवर
ईमेलः pirp.jml@gmail.com
पताः ए 1-228, बेसमेंट, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
दिनांकः 27.09.2024 IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229
स्थानः नई दिल्ली एएफए वैधः 14.12.2024 तक

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड — माँग सूचना

IndiaShelter Home Loans

पंजीकृत कार्यालय : 6वां तल, प्लॉट-15, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालय: बी-3/10, डीके टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना। [illegible]

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर/सह-उधारकर्ता/विधिक प्रतिनिधि के नाम, ऋण खाता सं.	एनपीए तिथि / माँग सूचना	राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) (अचल संपत्ति(यों)) का विवरण
1.	श्री/श्रीमती सुषमा पांडे पत्नी दिनेश कुमार पांडे / श्री/श्रीमती दिनेश पांडे के विधिक उत्तराधिकारी / श्री/श्रीमती कपिल देव सिंह पुत्र हरि प्रसाद सिंह / श्री/श्रीमती रितेश पांडे पुत्र दिनेश पांडे / ऋण खाता संख्या / ए.पी. संख्या : LA11CLLONS000005049577/AP-10109392	10 सितंबर 2024 / 25 सितंबर 2024	माँग सूचना राशि रु. 8,93,626/- (रुपये आठ लाख तिरानवे हजार छः सौ छब्बीस मात्र) 24 सितंबर 2024 को देय है साथ ही 25 सितंबर 2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	प्लॉट नं.-5, गाटा नं.-614 के समस्त भाग तथा अंश, जो [illegible] लखनऊ उत्तर प्रदेश-226021 में स्थित है, सीमा :- पूर्व- 22 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम- खाली प्लॉट, उत्तर- लाटो सिंह का मकान, दक्षिण- रेणु सिंह का मकान।
2.	श्री/श्रीमती राम निवास के विधिक उत्तराधिकारी / श्री/श्रीमती सुरेंद्र कुमार ऋण खाता संख्या / ए.पी. संख्या LA11VLLONS000005115886/AP-10259543	10 अप्रैल-2024 / 25 सितंबर-2024	माँग सूचना राशि रु. 2,43,044/- (रुपये दो लाख तैंतालिस हजार चौवालीस मात्र) 24 सितंबर 2024 को देय है साथ ही 25 सितंबर 2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो मोहल्ला - कोरियान, कस्बा और पोस्ट - मीरानपुर कटरा, तहसील - तिलहर, जिला - शाहजहांपुर, (यू.पी.) उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमा :- पूर्व- मंगली का घर, पश्चिम- राजेंद्र का घर और रास्ता, उत्तर- गली, दक्षिण- श्री राम का घर।

स्थान : लखनऊ, दिनाँक : 29-09-2024 (प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजीकृत कार्यालय : भूखंड-15, 6ठवाँ तल, सेक्टर-44, इंस्टिट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002,
शाखा कार्यालय : भूखण्ड सं. 5, सी-5, प्रथम तल, मीरा नगर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान - 312001

सार्वजनिक सूचना - अचल संपत्ति के विक्रयार्थ नीलामी

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएसएफसी) (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति/यों के विक्रयार्थ सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति / यां, जिनका अधिग्रहण आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणदाता) द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 18-10-2024 (नीलामी की तिथि) को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर किया जायेगा। यह विक्रय, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं एवं गारंटरों की ओर बकाया देयराशियों की वसूली के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज राशि से युक्त मोहरबंद लिफाफा, आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी के पास 17-10-2024 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा / निगमित कार्यालय के पते : भूखंड-15, 6ठवाँ तल, सेक्टर-44, इंस्टिट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालय : भूखण्ड सं. 5, सी-5, प्रथम तल, मीरा नगर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान - 312001 के पास प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये।

ऋण खाता सं.	उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों)/विधिक उत्तराधिकारी (रियों)/विधिक प्रतिनिधि के नाम	माँग सूचना की तिथि तिथि के अनुसार राशि	अधिग्रहण का प्रकार (रचनात्मक / भौतिक के अंतर्गत)	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
HL31RNLONS000005075036 / AP-10174630	श्रीमती लक्ष्मी कंवर और श्री रतन सिंह हाड़ा	12-अप्रैल-24, रु. 8,86,926/- (रुपये आठ लाख छियासी हजार नौ सौ छब्बीस मात्र) 10.04.2024 के अनुसार 11-अप्रैल-2024 से पूर्ण भुगतान तक लागू भावी ब्याज के साथ	भौतिक अधिग्रहण	रु. 6,33,420/- (रुपये छह लाख तैंतीस हजार चार सौ बीस मात्र)	रु. 63,342/- (रुपये तिरेसठ हजार तीन सौ बयालीस मात्र)
संपत्ति का विवरण : पट्टा संख्या 15, अरजी संख्या 636 के समस्त भाग तथा अंश, जो ग्राम इरा जी पी बोलो का सनवता, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान 312901 में स्थित है, अधिमापनः- 1110 वर्ग फुट। सीमा : पूर्व- सड़क, पश्चिम- दुले सिंह / रतन सिंह की भूमि, उत्तर- नरेंद्र सिंह / गिरधारी सिंह का मकान, दक्षिण- स्वामित्व वाली अपनी भूमि।					
HL31CHLONS000005003285/ AP-0957290	श्रीमती रेखा देवी और श्री शांति लाल जटिया	10-मई-21 रु. 5,15,368.17/- (रुपये पाँच लाख पंद्रह हजार तीन सौ अड़सठ और सत्रह पैसे मात्र) 31.05.2021 के अनुसार 01-जून-2021 से पूर्ण भुगतान होने तक लागू भावी ब्याज के साथ।	भौतिक अधिग्रहण	रु. 3,51,900/- (रुपये तीन लाख इक्यावन हजार नौ सौ मात्र)	रु. 35,190/- (रुपये पैंतीस हजार एक सौ नब्बे मात्र)
संपत्ति का विवरण : पट्टा संख्या 35 के समस्त भाग तथा अंश, जो गांव और जी.पी. कुवालिया, पी.एस. गंगराड़, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित (यहां इसमें इसके बाद उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित) है, जिसका क्षेत्रफल 1062 वर्ग फुट है। सीमा :- पूर्व- सड़क, पश्चिम- शिव लाल तेली की संपत्ति, उत्तर- सोहन लाल बैरवा की संपत्ति, दक्षिण- बाल किशन बैरवा की संपत्ति।					

नियम एवं शर्तें :

(1) निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र तथा विक्रय के नियम एवं शर्तें, शाखा/निगमित कार्यालय : भूखंड-15, 6ठवां तल, सेक्टर-44, इंस्टिट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, शाखा कार्यालय : भूखण्ड सं. 5, सी-5, प्रथम तल, मीरा नगर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान - 312001 के पास किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य उपलब्ध होंगे।
(2) अचल संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।
(3) उपरोक्त संपत्ति/यों के क्रयार्थ जमा/प्रस्तुत की गई समस्त बोलियों/निविदाओं के साथ उपर्युक्तानुसार धरोहर राशि "इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में आहरित धराज के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। नीलामी के उपरांत असफल बोलीदाओं को धराज राशि वापस कर दी जायेगी।
(4) सर्वोच्च बोलीदाता को तब ही सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, जब वह बोलीदान हेतु विधिक रूप में सदैव अर्हक पाया जाता है और इसके अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेकाधीन होगा कि वे उस स्थिति में सर्वोच्च बोली को अस्वीकार/स्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त है कि वह बोलीदान करने के लिए अनुचित लग रहा है।
(5) प्रस्तावित बोलीदातागण संपत्ति का अवलोकन पूर्व नियुक्ति के साथ 16-10-2024 को 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच कर सकते हैं।
(6) एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो चुके व्यक्ति को ऐसी घोषणा के बाद तत्काल, क्रय राशि/सर्वोच्च बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलित होगी, और यह राशि प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी, और यह राशि जमा करने में चूक होने पर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा।
(7) यदि उपरोक्तानुसार आंशिक राशि जमा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष रकम का भुगतान क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति के विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15वें दिवस को अथवा इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अथवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15वें दिवस के उपरांत आनेवाले प्रथम कार्यालय दिवस पर करना होगा।
(8) ऊपर वर्णित अवधि के अंदर किसी भुगतान में चूक होने की स्थिति में संपत्ति को निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में धराज सहित अन्य जमा राशियों को इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता क्रेता संपत्ति से संबंधित समस्त दावों से वंचित हो जाएगा।
(9) उपरोक्त विक्रय, आईएसएफसी के अंतिम अनुमोदन के अधीन होगा। इच्छुक पक्षकारों से विनती है कि वे संबंधित विभागों/कार्यालयों की संवैधानिक एवं अन्य प्रदेयताओं जैसे विक्रय/सपंत्ति कर, विद्युत बकायों, और सोसाइटी के बकायों का सत्यापन/अभिपुष्टि कर लें। कंपनी संपत्ति पर बकाया किसी भी देयक के भुगतान का उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करती।
(10) सर्वोच्च घोषित बोली राशि पर 1 प्रतिशत का टीडीएस लागू होगा जिसका सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना है। सर्वोच्च बोलीदाता को भुगतान को कंपनी के पैन के अंतर्गत जमा करने की आवश्यकता है और चालॉन की प्रति कंपनी के पास जमा/प्रस्तुत करनी होगी।
(11) विक्रय, पूर्णतः इस विज्ञापन में तथा निर्धारित निविदा प्रपत्र में सम्मिलित नियमों एवं शर्तों के अधीन है।
(12) सफल बोलीदाता/क्रेता को विधि-व्यवस्था के अनुरूप प्रयोज्यानुसार विक्रय प्रमाणपत्र को पंजीकृत कराने के लिये समस्त स्टांप शुल्कों, पंजीकरण शुल्कों एवं आकस्मिक व्ययों का भुगतान वहन करना होगा।
(13) प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताये बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा निविदा को स्थगित/निरस्त/समाप्त करने तथा कोई पूर्व सूचना दिये बिना ही इस विक्रय के किसी भी नियम व शर्त को संशोधित करने का भी पूर्णाधिकार है।
(14) इच्छुक बोलीदातागण श्री अभिषेक सिंह, मोबाइल नम्बर +91-98282 82111 और श्री मनीष गोस्वामी, मोबाइल नम्बर +91-77376 59853 पर कार्यालय समय के दौरान (10.00 बजे से 6.00 बजे) संपर्क साध सकते हैं।

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु 15 दिवसीय विक्रय सूचना

एतद्द्वारा उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों को सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत माँग सूचना में अंकितानुसार बकाया राशि का, तिथि के अनुसार नियत ब्याज एवं व्ययों के साथ, भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर, संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी तथा शेष बकाया देयराशियों, यदि कोई शेष बचती है, की वसूली आप से ब्याज व लागत सहित की जायेगी।

(प्राधिकृत अधिकारी)
दिनाँक : 29-09-2024, स्थान : राजस्थान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

MGF मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एमजीएफ हाउस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
फोनः 23272216-18, 23276872 ई-मेलः mgfltd@hotmail.com
वेबसाइटः http://www.mgfltd.com
सीआईएन नंबरः L74899DL1930PLC000208
जीएसटी नंबरः 07AAACT2356D2ZN

94वें वार्षिक आम बैठक के ई-वोटिंग परिणाम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, स्टॉक एक्सचेंजों में प्रवेश किया गया, कंपनी ने 12 अगस्त 2024 के नोटिस में बताए गए सभी 8 प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) की प्रक्रिया का संचालन किया था। गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए। कंपनी ने सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली ई-वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए "कट-ऑफ" तारीख यानी 19 सितंबर, 2024 को कंपनी के सभी सदस्यों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा की पेशकश की थी। बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को शाम 5 बजे समाप्त हो गया। कंपनी ने एजीएम के दौरान अपने सदस्यों को वोटिंग की सुविधा भी प्रदान की थी, जो एजीएम से पहले अपना वोट नहीं डाल सकते थे। मेसर्स अंजलि यादव एंड एसोसिएट्स (एफसीएस नंबर 6628, सीपी नंबर 7257) की प्रोपराइटर सुश्री अंजलि यादव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन और ई-वोटिंग परिणामों के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है, उनकी 27 सितंबर, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार है: -

संकल्प का विवरण	मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या	कुल वैध मत	पक्ष में वोट: शेयरों की संख्या :	पक्ष में वोट: %	विरोध में वोट: शेयरों की संख्या :	विरोध में वोट: %
साधारण व्यवसाय — साधारण संकल्प संख्या 1(ए) और (बी): 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, साथ ही निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट भी।	239	239	23675475	100.00	91	0.00
साधारण संकल्प संख्या 2: श्री अरुण मित्तर (DIN:00022941) कार्यकारी निदेशक के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो एसोसिएशन के लेखों के खंड 60 (ई) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने पर, पुनः नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं।	239	239	23675475	100.00	91	0.00
साधारण संकल्प संख्या 3: 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स जगदीश चंद एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकृत संख्या 000129एन) को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए।	239	239	23675475	100.00	91	0.00
विशेष व्यवसाय — साधारण संकल्प संख्या 4: कंपनी और राम प्रकाश एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बीच संबंधित पार्टी लेनदेन (सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन सहित) को मंजूरी देने के लिए।	226	226	1608459	99.99	91	0.00
साधारण संकल्प संख्या 5: कंपनी और इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के बीच संबंधित पक्ष लेनदेन (सामग्री संबंधित पक्ष लेनदेन सहित) को मंजूरी देने के लिए।	226	226	1608459	99.99	91	0.00
साधारण संकल्प संख्या 6: कंपनी और बाहुबली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच संबंधित पार्टी लेनदेन (सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन सहित) को मंजूरी देने के लिए।	226	226	1608459	99.99	91	0.00
साधारण संकल्प संख्या 7: कंपनी और जयभारत क्रेडिट लिमिटेड के बीच संबंधित पक्ष लेनदेन (सामग्री संबंधित पक्ष लेनदेन सहित) को मंजूरी देने के लिए।	226	226	1608459	99.99	91	0.00
विशेष संकल्प संख्या 8: बोनाफाइड और चैरिटेबल फंड आदि में कंपनी का योगदान।	239	239	23675475	100.00	91	0.00

वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को सुबह 11.30 बजे नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के अध्यक्ष ने जांचकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त परिणाम घोषित करते हुए कहा कि 12 अगस्त, 2024 के नोटिस में निर्धारित 1 से 8 तक के प्रस्तावों को शेयरधारकों द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित कर दिया गया है। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए गए हैं और कंपनी की वेबसाइट **www.mgfltd.com और बीएसई और एनएसई** की वेबसाइटों पर पोस्ट किए गए हैं।

मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड के लिए
(एम.के. मदन)
वीपी एवं सीएस एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस-2951

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 सितंबर, 2024

भौतिक कब्जा सूचना

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051
कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई- 400059
शाखा कार्यालयः द्वितीय तल, एससीओ-319, सेक्टर -29, गुरुग्राम, हरियाणा -122001

मानसी सिन्हा के खिलाफ दिनांक 17-05-2024 को सरफेसी कार्यवाही शुरू होने के बाद दिनांक 25-09-2024 के [illegible] के आधार पर प्रतिभूत संपत्ति आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के खाली और भौतिक कब्जे में है। कृपया किसी भी पार्टी के साथ उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी तरह का वित्तीय या विधिक लेनदेन न करें।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम/ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण/कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना की राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	मानसी सिन्हा (कर्जदार), राजेश सिन्हा (सह-कर्जदार), LHGU100001546945	प्रथम तल, फ्लैट नं सी, ब्लॉक-एफ, राजेंद्र पार्क, जिसमें खेवट नं. 2027/ 2779,2055/2807, खसरा नं. 95,96 शामिल है, जो राजेंद्र पार्क, तहसील जिला, गुड़गांव, हरियाणा- 122001 नामक आवासीय कॉलोनी में स्थित है, जिसका कवर्ड एरिया 600 वर्ग फुट है। इसकी सीमा इस प्रकार है- उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः सड़क, पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः अन्य की संपत्ति/ कब्जे की तिथि- 25-09-2024	17-05-2024 रु. 7,23,515/-	गुरुग्राम (सेक्टर 29)-बी
2.	मानसी सिन्हा (कर्जदार), राजेश सिन्हा (सह-कर्जदार), LHGU100001546791	प्रथम तल, फ्लैट नंबर सी, ब्लॉक-एफ, राजेंद्र पार्क, जिसमें खेवट नंबर 2027/ 2779,2055/2807, खसरा नंबर 95,96 शामिल हैं, जो राजेंद्र पार्क तहसील जिला, गुड़गांव, हरियाणा- 122001 नामक आवासीय कॉलोनी में स्थित है, जिसका कवर्ड एरिया 600 वर्ग फुट है। सीमाएं- उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः सड़क, पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः अन्य संपत्ति/ कब्जे की तिथि- 25-09-2024	17-05-2024 रु. 1,13,581.58/-	गुरुग्राम (सेक्टर 29)-बी
3.	मानशी सिन्हा (कर्जदार), राजेश सिन्हा (सह-कर्जदार), LHGU100001546763	पहली मंजिल, फ्लैट नंबर सी, ब्लॉक-एफ, राजेंद्र पार्क, जिसमें खेवट नंबर 2027/2779,2055/2807, खसरा नंबर 95, 96 शामिल हैं, राजेंद्र पार्क तहसील जिला, गुड़गांव, हरियाणा- 122001 नामक आवासीय कॉलोनी में स्थित है, जिसका कवर्ड एरिया 1 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः सड़क, पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः अन्य संपत्ति/ कब्जे की तिथि- 25-09-2024	17-05-2024 रु. 21,71,276.7/-	गुरुग्राम (सेक्टर 29)-बी

तिथि : 29 सितम्बर, 2024 स्थान : गुरुग्राम अधिकृत प्राधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

भौतिक कब्जा सूचना

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051
कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई- 400059
शाखा कार्यालयः 307/1,1 मंजिल, बिश्नोई टॉवर, मंगल पांडे नगर, एपेक्स टॉवर के सामने, मेरठ-240002

जबकि
अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान के लिए निम्नलिखित कर्जदारों को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं।
कर्जदारों द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण कर्जदारों एवं जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से कर्जदारों और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और अचल सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम/ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण/कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना की राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	नीना (कर्जदार), राकेश कुमार (सह-कर्जदार), LHMRT00001356592	0 मकान खसरा नं.621 एकता नगर गांव डौरली दौराला 0 मेरठ-250001. (संदर्भ लैन नं. LHMRT00001356592) सीमा- उत्तरः 15 फीट और सुभाष चंद ठाकुर का मकान, दक्षिणः 30 फीट और धर्मपाल का मकान, पूर्वः 15 फीट और अनुराधा का मकान.पश्चिमः 15 फीट और रास्ता जे कब्जे की तारीख- 25-सितंबर-24	12-12-2022 रु. 11,23,576/-	मेरठ-बी
2.	नीना (कर्जदार), राकेश कुमार (सह-कर्जदार), LHMRT00001356931.	0 मकान खसरा नं.621 एकता नगर गांव डौरली दौराला 0 मेरठ-250001. (संदर्भ लैन नं. LHMRT00001356592) सीमा- उत्तरः 15 फीट और सुभाष चंद ठाकुर का मकान, दक्षिणः 30 फीट और धर्मपाल का मकान, पूर्वः 15 फीट और अनुराधा का मकान.पश्चिमः 15 फीट और रास्ता जे कब्जे की तारीख- 25-सितंबर-24	12-12-2022 रु. 48,379/-	मेरठ-बी

उपर्युक्त कर्जदारों/गारंटरों को एतद्वारा राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के तहत गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेचा जाएगा।
तिथि : 29 सितम्बर, 2024 स्थान : मेरठ अधिकृत प्राधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

---

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली-110001, दूरभाष सं: 011 23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा कार्यालय : एससीओ नं 391, सेक्टर-29, अर्बन एस्टेट, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, गुरुग्राम-122001
शाखा कार्यालय- 8वीं मंजिल डीसीएम बिल्डिंग 16, बाराखंबा रोड, सी पी नई दिल्ली - 110001

तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (यहां इसमें इसके बाद "पीएनबीएचएफएल" के रूप में संदर्भित) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 [illegible]

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता का नाम एवं पता	गारंटर का नाम एवं पता	बंधककृत संपत्ति (यों)	माँग सूचना की तिथि	माँग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	04.09.24	रु. 49,39,473.29 [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	04.09.24	रु. 17,01,239.62 [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	04.09.24	रु. 1,45,17,772.74 [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27.09.24	रु. 22,63,355.79/- [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	09.09.24	रु. 2,06,90,224.15 [illegible]

स्थान : दिल्ली, गुरुग्राम / दिनांक : 29/09/2024 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय ग्राम पंचायत-याकुतगंज विकास खण्ड-बढ़पुर (फर्रुखाबाद)

पत्रांकः / 15वां वित्त/राज्य वित्त/मनरेगा / स्वच्छ भारत मिशन / टेण्डर प्रकाशन / 2024-25 दिनॉक-27/09/2024

निर्माण सामग्री आपूर्ति अल्प कालीन निविदा सूचना

राज्य वित्त/15वाँ वित्त / स्व0 भा0मि0 / मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत याकुतगंज विकास खण्ड बढ़पुर जनपद फर्रुखाबाद द्वारा निर्माण सामग्री कार्यस्थल पर आपूर्ति हेतु दिनांक 05/10/2024 को अपरान्ह 3:00 बजे तक सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 05/10/2024 को 4:00 बजे अपरान्ह ग्राम पंचायत कार्यालय याकुतगंज में प्रधान एवं अभियंता एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 28/09/2024 से 05/10/2024 अपरान्ह 2:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत याकुतगंज में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से रू0 100-00 अदा करके प्राप्त की जा सकती है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्थल	प्राक्कलन लागत (रुपये में)	धरोहर धनराशि 2प्रतिशत (रुपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये में)	सामग्री आपूर्ति की अवधि
1	2	5	6	7	8	9
1	रामसिया के घर से मदनलाल के घर तक इन्टरलॉकिंग	याकुतगंज	352139	2%	100	1 माह
2	सर्वेश कटियार के घर से रामतीर्थ के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	याकुतगंज	215394	2%	100	1 माह
3	टिंकू दिवाकर के घर से संजू कटियार के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	याकुतगंज	353630	2%	100	1 माह
4	वर्मी कम्पोस्ट निर्माण कार्य	याकुतगंज	143824	2%	100	1 माह
5	विमलेश दिवाकर के घर से पप्पू खां के घर तक नाली व इन्टरलॉकिंग कार्य	याकुतगंज	228659	2%	100	1 माह
6	पंचायत घर में मरम्मत कार्य	याकुतगंज	232629	2%	100	1 माह
7	16 कचरा पात्र निर्माण कार्य	याकुतगंज	155698	2%	100	1 माह
8	मुर्गी फार्म से लेकर मुन्नू की बगिया तक सी.सी कार्य	याकुतगंज	504040	2%	100	1 माह
9	सामुदायिक विकास केंन्द्र में रंगाई पुताई एवं वाल पेनल का कार्य	याकुतगंज	249335	2%	100	1 माह
10	पुलिया से लेकर उच्च विद्यालय तक इन्टरलॉकिंग कार्य	याकुतगंज	350747	2%	100	1 माह
11	गौशाला के चारों तरफ बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य	याकुतगंज	345883	2%	100	1 माह
12	बरगद चौराहे से तालाब अटक नाला निर्माण कार्य	याकुतगंज	321689	2%	100	1 माह
13	गौशाला में टीनशेड व नांद बनाने का कार्य	याकुतगंज	216409	2%	100	1 माह
14	आर.आर.सी सेन्टर में इन्टरलॉकिंग कार्यालय	याकुतगंज	466329	2%	100	1 माह

नियम एवं शर्तें-ग्राम पंचायत कार्यालय में अवकाश को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।

हस्ता/-
सचिव

हस्ता/-
माधुरी देवी
प्रधान

खबर कोना

देश में इस साल आए 47.8 लाख विदेशी सैलानी

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

देश में इस साल जनवरी-जून के दौरान लगभग 47.8 लाख विदेशी पर्यटक आए। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या अभी भी वैश्विक महामारी से पहले के स्तर से पीछे है। इस साल जून महीने में 7 लाख 6 हजार 45 विदेशी पर्यटक आए। जबकि साल 2023 के जून महीने में 6 लाख 48 हजार 8 पर्यटक आए थे। वहीं 2019 के जून महीने में 7,26,446 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ था। देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या 2023 के मुकाबले नौ फीसद अधिक है, लेकिन 2019 की तुलना में 2.8 फीसद कम है। पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल 43 लाख 80 हजार 239 पर्यटक आए थे। जबकि वैश्विक महामारी से पहले 2019 में 52 लाख 96 हजार 25 विदेशी पर्यटक आए थे। आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा 21.55 फीसद पर्यटक बांग्लादेश से आए। इसके बाद 17.56 फीसद पर्यटक अमेरिका से आए। वहीं 9.82 फीसद पर्यटक ब्रिटेन से आए और 4.5 फीसद पर्यटक कनाडा से आए।

देश का लौह अयस्क उत्पादन बढ़कर 11.6 करोड़ टन पर

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

देश में लौह अयस्क उत्पादन चालू वित्त वर्ष 2024-25 में (अप्रैल-अगस्त) के दौरान 7.4 फीसद से बढ़कर 11.6 करोड़ टन हो गया। केंद्रीय खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में यह 10.8 करोड़ टन था। अप्रैल-अगस्त की अवधि के दौरान मैंगनीज अयस्क का उत्पादन 15.4 फीसद बढ़कर 15 लाख टन हो गया, जबकि पिछले साल यह 13 लाख टन था। मूल्य के संदर्भ में लौह अयस्क कुल खनिज उत्पादन का लगभग 70 फीसद है। अलौह धातु क्षेत्र में, प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन (अप्रैल-अगस्त) के दौरान बढ़कर 17.49 लाख टन हो गया, जो एक साल पहले तक 17.26 लाख टन था।

सफेद चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को 490 डालर प्रति टन किया

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

सरकार ने शनिवार को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, लेकिन इस पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 490 डालर प्रति टन लगाने की घोषणा की। घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई, 2023 को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर पाबंदी लागू की गई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात नीति को संशोधित किया गया है। इसके तहत इसे निर्यात निषेध से मुक्त कर दिया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने गैर-बासमती सफेद उसना चावल के निर्यात पर सीमा शुल्क को भी समाप्त करने का फैसला किया है।

आज एक पेड़ लगाना बेहतर कल की उम्मीद जगाना है : ललन सिंह

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के महत्त्व और स्वच्छ और हरित राष्ट्र को बढ़ावा देने में समुदायों की अहम भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज एक पेड़ लगाना बेहतर कल की उम्मीद जगाना है। हम इस पहल को उन सभी माताओं को समर्पित करते हैं, जो हमारी देखभाल और पोषण करती हैं। हमारी सरकार ऐसे कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है जो पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करते हैं और हमारी पृथ्वी को स्वस्थ रखने में योगदान देते हैं। मंत्री ने असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य, तुगलकाबाद में 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत पौधारोपण किया। वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता के लिए प्रसिद्ध असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय राजधानी के हरित केंद्र के रूप में प्रतीकात्मक महत्त्व के कारण आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। देशी पेड़ लगाने की यह पहल, इस पारिस्थितिकी रूप से अहम क्षेत्र की जैव विविधता को समृद्ध करने में भी योगदान देती है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय, पुष्प विहार के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य देशी पेड़ों के महत्त्व और स्थायी पर्यावरणीय प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

यात्री ने दर्ज कराई शिकायत, एअरलाइन ने चिंता जताई

एअर इंडिया के विमान में परोसे गए भोजन में मिला तिलचट्टा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

यात्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली से न्यूयार्क जाने वाले विमान में परोसे गए आमलेट में तिलचट्टा मिला। जब हमें यह पता चला तब तक मेरा दो साल का बच्चा आधे से ज्यादा आमलेट खा चुका था। जिससे वह बीमार हो गया।

यात्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर उड़ान के दौरान परोसे गए खाद्य पदार्थों का एक छोटा वीडियो और तस्वीर भी साझा की। उसने पोस्ट में एअर इंडिया, विमानन नियामक डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू को टैग किया।

एअर इंडिया के एक यात्री ने राष्ट्रीय राजधानी से न्यूयार्क जाने वाले विमान में परोसे गए 'आमलेट' में तिलचट्टा मिलने की शिकायत की है। वहीं, एअर इंडिया ने कहा है कि उसने आगे की जांच के लिए खानपान सेवा प्रदाता के समक्ष यह मामला उठाया है।

एअर इंडिया के प्रवक्ता ने घटना पर चिंता जताते हुए एक बयान में कहा कि हम एक यात्री द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जानकारी से अवगत हैं, जिसमें 17 सितंबर 2024 को दिल्ली से जेएफके जाने वाली एआइ 101 उड़ान में उसे दिए गए भोजन में कोई विदेशी वस्तु मिलने की बात कही गई है। यात्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली से न्यूयार्क जाने वाले विमान में परोसे गए आमलेट में तिलचट्टा मिला। यात्री ने कहा कि जब हमें यह पता चला तब तक मेरा दो साल का बच्चा आधे से ज्यादा आमलेट खा चुका था। इसके परिणामस्वरूप वह बीमार हो गया। यात्री ने उड़ान के दौरान परोसे गए खाद्य पदार्थों का एक छोटा वीडियो और तस्वीर भी साझा की। उसने पोस्ट में एअर इंडिया, विमानन नियामक डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू को टैग किया।

एअर इंडिया के बयान में प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी उक्त मामले में यात्री को हुई परेशानी को लेकर चिंतित है और खानपान सेवा प्रदाता के समक्ष यह मामला उठाया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

प्रदर्शन व सड़क जाम करने पर 400 से अधिक पर मामला दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 28 सितंबर।

देहरादून में अंतरधार्मिक जोड़े को लेकर सांप्रदायिक तनाव।

देहरादून में रेलवे स्टेशन पर एक मुसलिम लड़की के एक हिंदू युवक के साथ रात में घूमते पाए जाने के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया और दोनों समुदायों के सदस्यों ने पथराव के साथ दोपहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया।

गुरुवार रात पथराव और उत्पात मचाने के आरोप में चार सौ से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जबकि स्टेशन के बाहर हुई तोड़फोड़ के सिलसिले में एक दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, युवक और लड़की उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले हैं और दोनों के बीच प्रेम संबंध हैं। लड़की कथित तौर पर घर से भागकर सेलाकुई इलाके में काम करने वाले व्यक्ति से मिलने आई थी। देहरादून पहुंचने पर लड़की ने उस व्यक्ति को फोन किया और वह रात में रेलवे स्टेशन पर उससे मिलने पहुंच गया। रेलवे पुलिस के कर्मचारियों ने उन्हें देर रात घूमते हुए देखा और पूछताछ की। पुलिस ने लड़की के माता-पिता से संपर्क किया तो पता चला कि उन्होंने बदायूं के एक थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि जैसे ही दोनों के रेलवे स्टेशन पर घूमने की खबर क्षेत्र में फैली, दोनों समुदायों के लोग स्टेशन के बाहर एकत्र हो गए और उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई।

उन्होंने बताया कि स्थिति जल्द ही बिगड़ गई और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े कुछ दोपहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, हालांकि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में कर ली। घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी ने कहा कि रेलवे स्टेशन के बाहर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

नोएडा में आवारा कुत्तों ने आठ माह में एक लाख लोगों को काटा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 28 सितंबर।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए तैयार की खास योजना। कुत्तों की भी होगी गणना, नस्ल के हिसाब से ब्योरा होगा दर्ज।

गौतमबुद्ध नगर में कुत्ते के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस साल जनवरी से अगस्त के बीच क्षेत्र में कुत्तों के काटने के करीब एक लाख मामले सामने आए हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक खास योजना तैयार की है, जिसके तहत क्षेत्र में अन्य जानवरों के साथ कुत्तों की भी गणना कराई जाएगी।

इसके बाद जिला प्रशासन स्तर पर आवारा कुत्तों की नसबंदी व टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। शनिवार को विश्व रैबीज दिवस के मौके पर इस योजना की औपचारिक जानकारी दी गई। जिला सर्विलांस अधिकारी डा टीकम सिंह ने बताया कि क्षेत्र में जनवरी से अगस्त तक एक लाख कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं से स्वास्थ्य विभाग भी परेशान है। अस्पतालों में रोजाना 250 से 350 लोग एंटी रैबीज का टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। विभाग ने जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत सरकारी संस्थानों में भी एंटी रैबीज खुराक लगाने की व्यवस्था कर दी है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा विपिन अग्रवाल ने बताया कि कुत्तों की गणना अक्तूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक पूरी होगी।

अंदाज — सिकंदराबाद में शनिवार को भारतीय कला महोत्सव के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।

राष्ट्रपति ने हैदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया

हैदराबाद, 28 सितंबर (भाषा)।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को यहां राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। आठ दिवसीय कला महोत्सव में पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा।

मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक विविधता, संगीत, कला और पारंपरिक पोशाक देश की विरासत हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव देशवासियों को क्षेत्र की परंपराओं और समुदायों से परिचित कराने का एक प्रयास है। मुर्मू ने विश्वास जाहिर किया कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम देश के पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों के बीच सेतु का काम करेगा।

पूर्वोत्तर के जीवन को डिजिटल क्रांति ने सरल बनाया : बिरला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

बिरला ने कहा देश में डिजिटल क्रांति ने सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी आमजन के जीवन को सरल बनाया है। स्थानीय दुकानदारों ने उन्हें बताया कि उनके व्यवसाय का 80 फीसद से अधिक भुगतान डिजिटल माध्यम से ही आता है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पूर्वोत्तर क्षेत्र संसदीय संघ जोन -3 के सम्मेलन के लिए मिजोरम प्रवास पर हैं। बिरला ने शनिवार को कहा देश में डिजिटल क्रांति ने सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी आमजन के जीवन को सरल बनाया है। स्थानीय दुकानदारों ने उन्हें बताया कि उनके व्यवसाय का 80 फीसद से अधिक भुगतान डिजिटल माध्यम से ही आता है। डिजिटल भुगतान माध्यमों के आने से व्यापार में भी इजाफा हुआ है।

फालकुन गांव जाते समय बिरला रास्ते में सफाई करते कुछ कार्यकर्ताओं को देख रुके। बिरला के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे गांधी जयंती पर आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के तहत अभियान चला रहे हैं। बिरला ने भी वहां रुककर श्रमदान दिया। उन्होंने कहा स्वच्छता आज पूरे देश में संकल्प बन चुका है। स्वच्छता के प्रति यहां लोगों में विशेष जागरूकता है, इससे सभी को प्रेरणा लेना चाहिए। अपने तीन दिवसीय प्रवास के आखिरी दिन वे आइजोल के पास एक छोटे से गांव फालकोन पहुंचे, यहां उन्होंने पंचायतराज से जुड़े प्रतिनिधियों से संवाद किया।

आइआइएम छात्र की आत्महत्या के मामले में पिता का आरोप

संस्थान का कोई व्यक्ति कर रहा था परेशान

अहमदाबाद, 28 सितंबर (भाषा)।

आइआइएम में एमबीए पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष की पढ़ाई करने वाला अक्षित हेमंत भुक्या को अपने छात्रावास के कमरे में वेंटिलेटर की धातु की ग्रिल से लटका हुआ पाया गया था। पुलिस ने छात्र का लैपटाप को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (आइआइएम) में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्र के पिता ने दावा किया कि संस्थान का कोई व्यक्ति उनके बेटे को एक निजी संगठन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को लेकर परेशान कर रहा था। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

आइआइएम में एमबीए पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष की पढ़ाई करने वाला अक्षित हेमंत भुक्या (24) गुरुवार को अपने छात्रावास के कमरे में वेंटिलेटर की धातु की ग्रिल से लटका हुआ पाया गया था। पुलिस उपायुक्त (प्रथम जोन) हिमांशु वर्मा ने बताया कि भुक्या के पिता ने दावा किया कि आइआइएम का कोई व्यक्ति एक निजी संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम के लिए 'आइआइएम लोगो' का उपयोग करने को लेकर उनके बेटे को परेशान कर रहा था। प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि छात्र ने इस कारण से यह कदम उठाया होगा लेकिन अगर मामले की जांच में कुछ सामने आता है तो पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी।

वस्त्रपुर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि 'आइआइएम प्रतीक चिह्न' के इस्तेमाल से जुड़ा मामला 20 सितंबर को सुलझा लिया गया था। निजी संस्थान ने प्रायोजन वापस ले लिया और अपने इंस्टाग्राम पेज पर "आइआइएम प्रतीक चिह्न" वाला वीडियो भी हटा दिया। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक आरएल पटेल ने बताया कि हमने उन विद्यार्थियों के बयान भी लिए हैं, जो इस कार्यक्रम में शामिल टीम का हिस्सा थे और उन्होंने इस बात से इनकार किया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आइआइएम छात्र का शव उसके पिता को सौंप दिया गया है। आइआइएम के नए परिसर में स्थित छात्रावास में हुई इस घटना से जुड़ा कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने छात्र के मोबाइल फोन और लैपटाप को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि इस घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस गठबंधन की सरकार सत्ता में आई तो

जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल कराएंगे

बिश्नाह, 28 सितंबर (भाषा)।

कांग्रेस महासचिव ने लगायाभाजपा पर देश के अन्य हिस्सों में 'भावनाएं भड़काने' के लिए केंद्र शासित प्रदेश का इस्तेमाल करने का आरोप।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर देश के अन्य हिस्सों में 'भावनाएं भड़काने' के लिए केंद्र शासित प्रदेश का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा प्रशासन एक 'कठपुतली' सरकार है जिसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास आपके और जम्मू कश्मीर के लिए एक दृष्टि है। हम आपका राज्य का दर्जा बहाल करना चाहते हैं। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है, तो हम तुरंत आपका राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम 'दरबार मूव' की परंपरा को भी फिर से शुरू करेंगे। 'दरबार मूव' का तात्पर्य जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दियों के मद्देनजर सचिवालय सहित सरकारी कार्यालयों को जम्मू और श्रीनगर के बीच अर्द्धवार्षिक स्थानांतरण से है। कांग्रेस नेता ने बिश्नाह में पार्टी उम्मीदवार नीरज कुंदन के लिए वोट मांगते हुए कहा कि हम आपके अधिकारों, आपकी जमीन और आपके रोजगार के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। राज्य का दर्जा के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर उनपर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि मुझे यह मजेदार लगा, जब गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यदि आप राज्य का दर्जा वापस चाहते हैं, तो आपको हमें (भाजपा को) वोट देना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने ही इसे छीना है। यह उस चोर की तरह है जो आपका टीवी चुरा लेता है और फिर कहता है कि यदि आप इसे वापस चाहते हैं, तो मुझे बताइए। प्रियंका ने कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है, तो हम तुरंत आपका राज्य का दर्जा बहाल कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह देश का शिखर है।

उत्तर प्रदेश : बांदा-महोबा रेलमार्ग की पटरी पर खंभा रखा गया

महोबा, 28 सितंबर (भाषा)।

ट्रेन चालक ने लगाई आपात ब्रेक, नाबालिग पकड़ा गया।

जिले के कबरई थाना क्षेत्र में शनिवार को रेल की पटरी पर कंक्रीट का खंभा रखने का मामला सामने आया है। खंभे को एक पैसेंजर ट्रेन के चालक ने देखा और आपात ब्रेक लगा दी। पुलिस ने जानकारी दी। इससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी।

रेल अधिकारियों की शिकायत के आधार पर महोबा में पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और एक लड़के को हिरासत में लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपक दुबे ने बताया कि कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांदा-महोबा रेल मार्ग पर 'फेंसिंग पिलर' रखने के आरोप में एक लड़के को हिरासत में लिया गया है। आगे की जांच जारी है। यह घटना दोपहर तब सामने आई जब एक पैसेंजर ट्रेन के चालक ने रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस को पटरी पर खंभा रखे जाने की सूचना दी। आरपीएफ के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक नाबालिग को हिरासत में लिया। नाबालिग ने पटरी पर खंभा रखने की बात कबूल की है। अधिकारी ने बताया कि खंभा पटरी से हटाए जाने के तुरंत बाद ही मार्ग पर रेल यातायात सुचारु हो गया। बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र में शनिवार को रेल इंजन पटरी पर रखे पत्थर से टकरा गया था।

सेवाभाव — सायन अस्पताल में 43 हजार माताओं ने किया दान

दूध बैंक ने पांच वर्षों में बचाई 10 हजार बच्चों की जान

मुंबई, 28 सितंबर (भाषा)।

वर्ष 1989 में हुई थी बैंक की शुरुआत अस्पताल के मुताबिक, दान किया गया मां का दूध समय पूर्व जन्मे कम वजनी और जोखिम वाले शिशुओं में मृत्यु दर में कमी लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिकित्सकों ने बताया कि दान किए जाने वाले दूध से कम वजन वाले व अपर्याप्त विकास वाले शिशुओं और प्रसवोत्तर जटिलताओं के कारण स्तनपान न करा पाने वाली महिलाओं के शिशुओं को मदद मिली है। दूध चिकित्सकों की सलाह पर ही दिया जाता है। यह दूध बैंक हर साल लगभग 2,000 से 2,500 नवजात शिशुओं की मदद करता है।

नगर निगम द्वारा संचालित सायन अस्पताल को पिछले पांच वर्षों में 43,000 से अधिक माताओं ने अपना दूध दान किया है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने यह जानकारी दी। सायन अस्पताल में एशिया का पहला 'ब्रेस्ट मिल्क' बैंक बनाया गया है।

अगस्त में राष्ट्रीय स्तनपान माह के दौरान नगर निगम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, स्तनपान कराने वाली 43,412 माताओं के दान से 10,523 नवजात शिशुओं को मदद मिली है। दान किया गया मां का दूध समय पूर्व जन्मे कम वजनी और जोखिम वाले शिशुओं में मृत्यु दर में कमी लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सायन अस्पताल के डीन मोहन जोशी ने बताया कि इस बैंक की शुरुआत 1989 में आर्मिडा फर्नांडिस ने की थी और इसे टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड से एक लाख रुपए का दान मिला था। उस समय अजीत केरकर इस कंपनी के अध्यक्ष थे। यह एशिया का पहला मां के दूध का बैंक है। उन्होंने बताया कि मां का दूध खास होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन और नवजात शिशु के विकास के लिए जरूरी विटामिन होते हैं।

मां के दूध बैंक में दान किए जाने वाले दूध से कम वजन वाले व अपर्याप्त विकास वाले शिशुओं और प्रसवोत्तर जटिलताओं के कारण स्तनपान न करा पाने वाली महिलाओं के शिशुओं को मदद मिली है। यह अस्पताल अब पश्चिमी भारत के चिकित्सा प्रतिष्ठानों को इसी तरह के दूध बैंक स्थापित करने में मदद कर रहा है।

नवजात विज्ञान विभाग की प्रमुख स्वाति मानेरकर ने बताया कि इस दूध बैंक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मां के दूध की कमी के कारण कोई भी शिशु अपनी जान न गंवाए। हम दाताओं से दूध लेते समय सभी सुरक्षा सावधानियां बरतते हैं।

हम स्तनपान कराने वाली माताओं से संपर्क करते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद अस्पताल को अपना दूध दे सकती हैं। मानेरकर ने बताया कि दूध चिकित्सकों की सलाह पर ही दिया जाता है। यह दूध बैंक हर साल लगभग 2,000 से 2,500 नवजात शिशुओं की मदद करता है।

'छोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा'

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग ने शनिवार को कहा कि वह कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए छोटी-मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए विभिन्न विभागों के लगभग 100 नियमों और कानूनों पर काम कर रहा है। यह कदम जन विश्वास विधेयक का दूसरा संस्करण लाने का हिस्सा है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, को पिछले साल लागू किया गया। इसका मकसद 42 केंद्रीय अधिनियमों में हल्के अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना था। इसके तहत 19 मंत्रालयों/विभागों में 183 आपराधिक प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। जन विश्वास विधेयक की समीक्षा करने वाली संसद की संयुक्त समिति ने इस पहल को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है।

इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः–ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, बाजपुर रोड, काशीपुर–244713, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड फोनः 05947–269500. फैक्सः 05947–275315, ई–मेलः compliance.officer@indiaglycols.com, सीआईएन : L24111UR1983PLC009097

एतदद्वारा जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी को नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/एमआई एसआरडी /डीओएस 3/सीआईआर/पी/2018/139 दिनांक 06 नवंबर, 2018 ("परिपत्र") के अनुसार शेयरों के भौतिक रूप में हस्तांतरण का अनुरोध प्राप्त हुआ हैः

फोलियो नं.	शेयर प्रमाणपत्र नं.	विशिष्ट संख्या	हस्तांतरक का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रस्तावित हस्तान्तरित व्यक्ति का नाम
142367	57329	5732171–5732270	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (खाता जीआईसी म्यूचुअल फंड)	100	धनी राम शर्मा

ऐसे शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में कोई भी अपनी आपत्ति कंपनी के पास प्लॉट नंबर 2–बी, सेक्टर–126, नोएडा–201304, उत्तर प्रदेश में दर्ज कराई जानी चाहिए या इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर compliance.officer@indiaglycols.com पर मेल की जानी चाहिए अन्यथा कंपनी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त शेयरों के हस्तांतरण के साथ आगे बढ़ेगी।

कृते इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड
हस्ता./–
अंकुर जैन
कंपनी सचिव

स्थानः नोएडा, उत्तर प्रदेश
दिनांकः 28.09.2024

सार्वजनिक नोटिस

यह सार्वजनिक नोटिस माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 10.07.2024 के आदेश के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स राहुल सेल्स लिमिटेड के सीआईआरपी मामले में आईबीसी, 2016 की धारा 19(2) के तहत आईए नंबर 1141/2024 में श्री राहुल आनंद और सुश्री रेणु आनंद के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है।

इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ के समक्ष उपर्युक्त मामले में अगली सुनवाई की तारीख 22.10.2024 है और नीचे उल्लिखित प्रतिवादी अर्थात, **श्री राहुल आनंद और सुश्री रेणु आनंद** निवासी 7बी, 7वीं मंजिल, आत्माराम हाउस, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001 हैं।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क किया जा सकता है।

हस्ता/–
हिते एवं कृते
श्री प्रेम चंद गोयल
(प्रस्ताव पेशेवर) मेसर्स राहुल सेल्स लिमिटेड के सीआईआरपी मामले में
निवासी मकान नंबर आई–एफ, म्यूनिसिपल हाउस के निकट,
मॉडल टाउन, पटियाला, पंजाब– 147001।
ईमेलः pcg47758@gmail.com, फोनः 98136–21782

नैनीताल बैंक

शाखा– एनएच–08, मुख्य चौराहे के पास, एलबीएस कॉलेज के पास, कोटपूतली जिला– जयपुर, राजस्थान– 303108, मो. नं. 7455802335 फोन 01421–248251

डिमांड नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के सम्बन्ध में निम्नलिखित ऋणियों एवं जमानतियों द्वारा नैनीताल बैंक की एनएच-08, मुख्य चौराहे के पास, एलबीएस कॉलेज के पास, कोटपूतली, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303108 शाखा से लिया गया ऋण अनर्जक आस्ति हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत बैंक द्वारा पंजीकृत/कोरियर डाक द्वारा प्रेषित डिमाण्ड नोटिस बैंक शाखा में वापस आ गए हैं। यदि ऋणी/जमानतियों द्वारा बैंक की उपरोक्त अवशेष राशि का भुगतान 60 दिन के अन्दर बैंक को नहीं किया जाता है तो बैंक उक्त में उल्लिखित भूमि–भवन का कब्जा सेक्शन 13(4) के अन्तर्गत लेने के लिए बाध्य होगा।

(1) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. राजेश कुमार यादव पुत्र रूप चंद (कर्जदार), निवासी वार्ड नं. 10, आदर्श नगर, सैनी सभा के पास, कोटपूतली, राजस्थान– 303108 2. कमलेश यादव पत्नी राजेश कुमार यादव (कर्जदार), निवासी वार्ड नं. 10, आदर्श नगर, सैनी सभा के पास, कोटपूतली, राजस्थान– 303108 3. सुधीर कुमार पुत्र फूल सिंह (जमानती), निवासी तेजा वाला कुवा के पास, मोहल्ला बुचाहेड़ा, कोटपूतली राजस्थान 303108 4. रूप चंद आर्य पुत्र रामकिशोर (जमानती), निवासी 248, शरण कॉलोनी, वार्ड नं. 6, कोटपूतली, राजस्थान– 303108

डिमान्ड नोटिस दिनांक 12.09.2024 को रु. 33,87,457.38 (रुपये तैंतीस लाख सत्तासी हजार चार सौ सत्तावन एवं पैसे अड़तीस मात्र दिनांक 05.09.2024 तक) दिनांक 06.09.2024 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे (घटायें वसूली, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खसरा सं. 524, बीएसएनएल कार्यालय के पास, आदर्श नगर कॉलोनी, मोहल्ला बुधाहेड़ा, कोटपुतली, राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल 261.33 वर्ग गज। सम्पत्ति उप निबंधक कोटपूतली, राजस्थान के कार्यालय में पुस्तक सं. 1, खण्ड सं. 251, पृष्ठ सं. 74, क्रमांक सं. 1845 एवं अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, खण्ड सं. 383, पृष्ठ सं. 147 से 153, दिनांक 11.09.2003 को राजेश कुमार यादव पुत्र रूप चंद यादव के नाम पर विधिवत पंजीकृत है। लीज डीड, दिनांक 11.09.2003 के अनुसार सीमायें– पूरब में 30 फीट रोड, पश्चिम में खाली क्षेत्र, उत्तर में कैलाश सैनी का मकान, दक्षिण में बाबूलाल कुमावत का मकान।

(2) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. श्री मिंटू राम जाट पुत्र राम सिंह जाट, (मृतक) (कर्जदार) अपने कानूनी प्रतिनिधियों एवं कानूनी वारिसों के माध्यम से– 1/ए– श्रीमती सपना चौधरी पत्नी मिंटू राम जाट, निवासी ग्राम खरकड़ी, वार्ड नं. 2, कमला नगर, डाकघर– रामसिंहपुरा, तहसील– कोटपूतली, कोटपूतली, राजस्थान– 303108 1/ब– कुमारी हिमांशी नाबालिग बेटी मिंटू राम जाट, माध्यम से उसकी माता एवं प्राकृतिक अभिभावक श्रीमती सपना चौधरी पत्नी मिंटू राम जाट, निवासी ग्राम – खरकड़ी, वार्ड नं. 2, कमला नगर, डाकघर– रामसिंहपुरा, तहसील– कोटपूतली, कोटपूतली, राजस्थान– 303108 1/स– मास्टर भानु प्रताप नाबालिग पुत्र मिंटू राम जाट, माध्यम से उसकी माता एवं प्राकृतिक अभिभावक श्रीमती सपना चौधरी पत्नी मिंटू राम जाट निवासी ग्राम– खरकड़ी, वार्ड नं. 2, कमला नगर, डाकघर रामसिंहपुरा, तहसील– कोटपूतली, कोटपूतली, राजस्थान– 303108 2. श्रीमती सपना चौधरी पत्नी मिंटू राम जाट (कर्जदार), निवासी ग्राम– खरकड़ी, वार्ड नं. 2, कमला नगर, डाकघर– रामसिंहपुरा, तहसील– कोटपूतली, कोटपूतली, राजस्थान– 303108 3. श्री राजेश यादव पुत्र रूप चंद यादव (जमानती), निवासी वार्ड नं. 10, आदर्श नगर, सैनी सभा के पास, तहसील – कोटपूतली, कोटपूतली, राजस्थान– 303108

डिमान्ड नोटिस दिनांक 12.09.2024 को रु. 20,58,977.34 (रुपये बीस लाख अट्ठावन हजार नौ सौ सतहत्तर एवं पैसे चौंतीस मात्र दिनांक 05.09.2024 तक) दिनांक 06.09.2024 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे (घटायें वसूली, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खसरा सं. 840/0.99 हेक्टेयर, कमला नगर, मोहल्ला बसाड़ी, कोटपूतली में स्थित है। क्षेत्रफल 165 वर्ग गज। सम्पत्ति उप निबंधक कोटपूतली, राजस्थान के कार्यालय में पुस्तक सं. 1, खण्ड सं. 547, पृष्ठ सं. 11, क्रमांक सं. 2013002746 एवं अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, खण्ड सं. 1566, पृष्ठ सं. 65 से 70, दिनांक 28.03.2013 को श्रीमती सपना चौधरी पत्नी श्री मिंटू राम जाट के नाम पर विधिवत पंजीकृत है। लीज डीड, दिनांक 28.03.2013 के अनुसार सीमायें– उत्तर में कैलाश आर्य का मकान, दक्षिण में राम सिंह का मकान, पूरब में साधु राम का मकान, पश्चिम में 15 फीट चौड़ी सड़क/रास्ता।

(3) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. मैसर्स यादगार प्रिंटिंग प्रेस द्वारा प्रोपराईटर यतिन लूथरा पुत्र राजेश लूथरा (प्रोपराईटरशिप फर्म/कर्जदार), दुकान – नगर पालिका पार्क के पास, वार्ड नं. 9, कोटपूतली, राजस्थान– 303108 2. श्री यतिन लूथरा पुत्र राजेश लूथरा (प्रोपराईटर/कर्जदार), निवासी वार्ड नं. 6, शक्ति विहार कॉलोनी, हंसा मैरिज होम के पास, कोटपूतली, राजस्थान – 303108 3. श्री राजेश कुमार लूथरा पुत्र बाल किशन लूथरा (जमानती), निवासी वार्ड नं. 6, शक्ति विहार कॉलोनी, हंसा मैरिज होम के पास, कोटपूतली, राजस्थान – 303108 4. श्री इंद्रजीत लूथरा पुत्र बाल किशन लूथरा (जमानती), निवासी वार्ड नं. 9, नगर पालिका पार्क के पास, कोटपूतली, राजस्थान – 303108

डिमान्ड नोटिस दिनांक 12.09.2024 को रु. 22,03,012.15 (रुपये बाईस लाख तीन हजार बारह एवं पैसे पंद्रह मात्र दिनांक 05.09.2024 तक) दिनांक 06.09.2024 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे (घटायें वसूली, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल सम्पत्ति (वाणिज्यिक संपत्ति)के सभी भाग व हिस्से जो कि प्लॉट सं. 64, पीठवाली, बसाड़ी, कोटपूतली, राजस्थान – 303108 में स्थित है। क्षेत्रफल 250 वर्ग फीट। सम्पत्ति उप निबंधक कोटपुतली के कार्यालय में पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 753, पृष्ठ सं. 137, क्रमांक सं. 201803061104752 एवं अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 2392, पृष्ठ सं. 315 से 324, दिनांक 30.08.2018 को राजेश कुमार लूथरा पुत्र बाल किशन लूथरा के नाम पर विधिवत पंजीकृत है। गिफ्ट डीड के अनुसार सीमायें– उत्तर में गली उसके बाद रोडवेज वर्कशॉप, दक्षिण में शंकर लाल लूथरा का प्लॉट सं. 63, पूरब में आम रास्ता, पश्चिम में बाबूलाल का मकान।

(4) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. मैसर्स श्याम क्लॉथ स्टोर द्वारा प्रोपराईटर दिनेश कुमार गोयल (प्रोपराईटर/कर्जदार), दुकान– पुरानी सब्जी मंडी, मुख्य बाजार कोटपूतली, कोटपूतली राजस्थान– 303108 2. दिनेश कुमार गोयल पुत्र जगदीश प्रसाद गोयल (प्रोपराईटर/कर्जदार) , निवासी वार्ड नं. 07, मोहल्ला बुचाहेड़ा, गढ़ कॉलोनी, कोटपूतली, राजस्थान– 303108 3. अंगूरी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद गोयल (जमानती), निवासी वार्ड नं. 07, पानी की टंकी, गढ़ कॉलोनी, कोटपूतली , राजस्थान– 303108 4. अशोक कुमार गोयल पुत्र जगदीश प्रसाद गोयल (जमानती), निवासी मकान नंबर 8 बी, गढ़ कॉलोनी, मोहल्ला बुचाहेड़ा, कोटपूतली, राजस्थान– 303108 5. जगदीश प्रसाद गोयल पुत्र प्रभु दयाल (जमानती), निवासी वार्ड नं. 07, गढ़ कॉलोनी, कोटपूतली, राजस्थान– 303108

डिमान्ड नोटिस दिनांक 12.09.2024 को रु. 14,53,641.76 (रुपये चौदह लाख तिरपन हजार छः सौ इकतालिस एवं पैसे छिहत्तर मात्र दिनांक 05.09.2024 तक) दिनांक 06.09.2024 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे (घटायें वसूली, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि आबादी भूमि के मधुकर कॉलोनी (गढ़), कोटपूतली में स्थित है। क्षेत्रफल 197.22 वर्ग गज। सम्पत्ति उप निबंधक कोटपुतली, राजस्थान के कार्यालय में पुस्तक सं. 1, खण्ड सं. 165, पृष्ठ सं. 144, क्रमांक सं. 917 एवं अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, खण्ड सं. 200, पृष्ठ सं. 82 से 85, दिनांक 22.06.1996 को अंगूरी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद गोयल के नाम पर विधिवत पंजीकृत है। सेल डीड, दिनांक 22.06.1996 के अनुसार सीमायें– पूरब में पंचायत समिति की भूमि, पश्चिम में 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर में सुभाष चंद शर्मा का मकान, दक्षिण में सूरजवती का मकान।

ऋणी एवं जमानतियों को सूचित किया जाता है कि बैंक की एनएच-08, मुख्य चौराहे के पास, एलबीएस कॉलेज के पास, कोटपूतली, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303108 में स्वयं उपस्थित हो 13(2) के अन्तर्गत प्रेषित डिमाण्ड नोटिस प्राप्त कर इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि के 60 दिन के भीतर अवशेष राशि का भुगतान सुनिश्चित करें ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

स्थान : कोटपूतली, राजस्थान दिनांक : 29.09.2024 प्राधिकृत अधिकारी

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

वाणी कॉमर्शियल्स लिमिटेड

खसरा नं. 19/4, कमरुद्दीन नगर, बटरफ्लाई सी. सैक. स्कूल के निकट, नजफगढ़ रोड, नांगलोई, दिल्ली–110041
CIN: L74899DL1988PLC106425
ई–मेल आईडीः info@vanicommercials.com
फोन नं.: +91–9560066230

ई–वोटिंग/कम्पनी की 37वीं एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग के परिणाम की घोषणा

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमों, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित की धारा 96,108 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015, समय–समय पर यथा संशोधित, के लागू होने वाले विनियमनों के अनुपालन में ई–वोटिंग/रिमोट ई–वोटिंग द्वारा स्वीकृति मांगी गई थी। 37वीं एजीएम की सूचना तिथि शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 में प्रस्तावित साधारण/विशेष प्रस्तावों पर मतदान करने के लिये सदस्यों को ई–वोटिंग के साथ–साथ रिमोट ई–वोटिंग सुविधाऐं उपलब्ध कराई गई थी।

बोर्ड ने ई–वोटिंग/रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया का संचालन करने के लिये सुश्री अनुराधा मलिक, कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था।

पर्यवेक्षक ने प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् गुरुवार, 26 सितम्बर, 2024 तक प्राप्त की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक मतों तथा साथ ही एजीएम में की गई ई–वोटिंग की जाँच–पड़ताल की तथा शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को सभा के अध्यक्ष के पास अपना रिपोर्ट जमा किया। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट तिथि शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 के आधार पर बोर्ड ने पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा की जो इस प्रकार हैः

क्रम सं.	प्रस्तावों का विवरण	प्रस्ताव के पक्ष में दी गई कुल वैध मतों का %
1.	साधारण प्रस्ताव : उस पर ऑडिटरों तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों का प्राप्ण, विचार तथा अनुमोदन करने	99.83%
2.	विशेष प्रस्तावः रोटेशन द्वारा सेवा निवृत्त होने वाले श्री विशाल अबरोल (DIN: 06938389) की जगह निदेशक की नियुक्ति करने जो रोटेशन द्वारा सेवा निवृत्त होने के लिये निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त होने के लिये पात्र रूप में स्वयं का प्रस्ताव करते हों।	99.83%
3.	विशेष प्रस्ताव : श्रीमती बीनल जेनिश शाह (DIN : 09371388), कम्पनी के पूर्णकालिक निदेशक जो रोटेशन द्वारा सेवा निवृत्त हो रहे हैं, की कम्पनी के गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनके पदनाम में परिवर्तन के लिये	99.83%
4.	विशेष प्रस्ताव : कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री शुभम अरोड़ा (DIN: 08457037) की नियुक्ति करने	100%
5.	विशेष प्रस्तावः कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री प्रणय कुमार तायल (DIN : 10649067) की नियुक्ति करने	99.83%
6.	विशेष प्रस्ताव : प्रवर्त्तक/प्रवर्त्तक समूह की श्रेणी से ''सार्वजनिक'' श्रेणी में वर्गीकरण के लिये प्रवर्त्तक/प्रवर्त्तक समूह से संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त अनुरोधों का अनुमोदन करने	99.80%

पर्यवेक्षक के उक्त रिपोर्ट के आधार पर कम्पनी की 37वीं सूचना तिथि 30 अगस्त, 2024 में वर्णित प्रस्तावों को गुरुवार, 26 सितम्बर, 2024 जो रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया तथा शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को आयोजित एजीएम में उपस्थित सदस्यों द्वारा की गई ई–वोटिंग के लिये निर्दिष्ट तिथि है, को सदस्यों द्वारा विधिवत रूप से पारित किया गया माना गया है।

ई–वोटिंग/रिमोट ई–वोटिंग के परिणामों की घोषणा शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को की गई। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं। वह कम्पनी की वेबसाईट **https://www.vanicommercials.com**, स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट की वेबसाईट https://www.skylinerta.com पर भी प्रकाशित है तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटः https://www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
वाणी कॉमर्शियल्स लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली हस्ता./–
तिथि : 27.9.2024 इशिता अगरवाल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं.: A65528

COURT NOTICE

(U/o 5 Rule 20 CPC)
In The Court Of Ms. Neelam Arora Principal Judge Family Court, Ludhiana

Sumit
Vs.
Ramesh Singh

CNR NO: PBLD01-015012-2022
Next Date: 14-10-2024

Publication Issued To: Ramesh Singh S/o Brijmohan R/o- C/o Sun Beam Light Weighting Solutions Pvt. Ltd. Unit IV plot no 730 *12-R, industrial area-B, ludhiana

In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent (s) should appear in person or through counsel on 14-10-2024 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana

Principal Judge Family Court Ludhiana

COURT NOTICE

(U/o 5 Rule 20 CPC)
In The Court Of Ms. Neelam Arora Principal Judge Family Court, Ludhiana

Muskan
Vs.
Sumit Arora

CNR NO: PBLD01-022391-2023
Next Date: 29-10-2024

Publication Issued To: Sumit Arora S/o Sh. Ajit Kumar Arora R/o Gandhi Nagar, Aneja Colony, Near Prajapila, Braham Kumari, Gandhi Road, Dhanbad, Jharkhand

In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent (s) should appear in person or through counsel on 29-10-2024 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana

Principal Judge Family Court Ludhiana

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans — **माँग सूचना**

पंजीकृत कार्यालय : 6ठवां तल, प्लॉट–15, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव, हरियाणा–122002,
शाखा कार्यालय : आहना टावर, प्रथम तल, जय कॉम्प्लेक्स के पास, रोड नं.–2, अलवर– 301001

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणकर्ता जिन्होंने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (आईएसएफसीएल) से ऋण प्राप्त किया और आईएसएफसीएल को अपने ऋण की इक्वेटेड मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में असफल रहे और यह कि नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उनके ऋण खाते को अनार्जनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। ऋणकर्ता(ओं) ने आईएसएफसीएल के पास अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूति प्रावधानित की है जिसके विवरण यहां इसमें नीचे उल्लिखित हैं। ऋण तथा ऋणकर्ता/ओं द्वारा आईएसएफसीएल को यथातिथि देय बकाया व भुगतानयोग्य राशियों का विवरण भी यहां नीचे उल्लिखित है। ऋणकर्ता(ओं) तथा साथ ही जनसामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईएसएफसीएल के अधिकृत प्राधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं) के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और निम्नलिखित विवरणों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना निर्गत की है। यदि निम्नलिखित ऋणकर्ता(गण) अपने नामों के सम्मुख अंकित बकाया देयताओं का प्रतिभुगतान सूचना की तिथि के 60 (साठ) दिनों के भीतर करने में असफल रहते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता संपत्ति का अधिग्रहण करने तथा उसकी बिक्री करने की शक्तियों सहित सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जनसामान्य को यहां इसमें नीचे वर्णित संपत्तियों के साथ संव्यवहार न करने का परामर्श दिया जाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि के नाम, ऋण खाता सं.	एनपीए तिथि / माँग सूचना	राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) (अचल संपत्तियों) का विवरण
1.	श्री/श्रीमती राजेश देवी / श्री/श्रीमती मामचंद यादव के विधिक उत्तराधिकारी / श्री/श्रीमती राहुल ऋण खाता संख्या : **LA11VLLONS000005063415/AP-10149748**	10–सितंबर–2024 / 25–सितंबर–2024	मांग सूचना राशि : रु. 6,53,480/– (रुपये छह लाख तिरेपन हजार चार सौ अस्सी मात्र) 24 सितंबर 2024 को देय, साथ ही 25 सितंबर 2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	बही सं. 41, पट्टा सं. 16, खस. सं. 571 के समस्त भाग तथा अंश, जो पंचायत समिति मुंडावर, जिला अलवर (राजस्थान) 301714 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग : 247 वर्ग गज है। सीमा :– पूर्व– आम रास्ता, पश्चिम– जौहरी सोनी का मकान, उत्तर– हुकुम नाई का मकान, दक्षिण– आम रास्ता।
2.	श्री/श्रीमती पुष्पा देवी / श्री/श्रीमती मोहन लाल के विधिक उत्तराधिकारी / श्री/श्रीमती उमा राम माली (गारंटर), ऋण खाता संख्या / ए.पी. संख्या : **CHL100003130/AP-0663507**	10–अप्रैल–2024 / 25–सितंबर–2024	मांग सूचना राशि : रु. 4,46,680/– (रुपये चार लाख छियालीस हजार छह सौ अस्सी मात्र) 24 सितंबर 2024 को देय, साथ में 25 सितंबर 2024 से ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	प्लॉट नं. 16 के समस्त भाग तथा अंश, जो खस. नं. 6522/1614 और 6525/6521 पर, आदर्श विद्या मंदिर के पीछे, पनियानाडा रोड, जालोर राजस्थान 343001 जालोर, में स्थित है, जिसका कुल भूमि अधिमापन 1650 वर्ग फीट है। सीमा :– पूर्व– अन्य भूमि, पश्चिम– सड़क 30', उत्तर– पी.एन.–15, दक्षिण– पी.एन.–17

स्थान : राजस्थान, दिनाँक : 29–09–2024 (प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सांकेतिक कब्जा सूचना

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई– 400051
कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई– 400059
शाखा कार्यालयः भूतल, एल्डेको हाउस/एल्डेको शॉपी, हाल–1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी** का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान के लिए निम्नलिखित कर्जदारों को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं।

कर्जदारों द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण कर्जदारों एवं जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से कर्जदारों और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और अचल सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम/ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण/कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना की राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	सरोज सिंह (कर्जदार), उमेश सिंह (सह-कर्जदार), **LHLUC00001539673.**	एनए भैसोरा परगना तहसील और लखनऊ 226010 खसरा नंबर 298 लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010 (**संदर्भ लैन नंबर LHLUC00001539673**)। **सीमाएं : उत्तरः** प्लॉट नंबर 35, **दक्षिणः** प्लॉट नंबर 37, **पूर्वः** प्लॉट नंबर 54 और 55 का हिस्सा, **पश्चिमः** 25 फीट मार्ग/ कब्जे की तारीख– 23-09-2024	17-05-2024 रु. 3,97,068/-	लखनऊ-बी
2.	मीना पांडे (कर्जदार), संजय कुमार पांडे (सह-कर्जदार), **LHLUC00001464474.**	कॉर्पोरेशन 485084c लकड़मंडी डालीगंज लखनऊ मिडिल क्लास एनए लखनऊ उत्तर प्रदेश– 226020 (**संदर्भ लैन नंबर LHLUC00001464474**) पर स्थित है। **सीमाएं : उत्तरः** अवधेश कुमार का घर, **दक्षिणः** 12 फीट चौड़ी सड़क, **पूर्वः** मोहम्मद राशिद की जमीन, **पश्चिमः** दिनेश बंसल की जमीन/ कब्जे की तारीख– 23-09-2024	17-05-2024 रु. 14,88,194/-	लखनऊ-बी
3.	मीना पांडे (कर्जदार), संजय कुमार पांडे (सह-कर्जदार), **LHLUC00001464475.**	निगम 485084c लकड़मंडी डालीगंज लखनऊ मिडिल क्लास में स्थित एनए लखनऊ उत्तर प्रदेश– 226020 (**संदर्भ लैन सं. LHLUC00001464475**) **सीमाएं : उत्तरः** अवधेश कुमार का मकान, **दक्षिणः** 12 फीट चौड़ी सड़क, **पूर्वः** मोहम्मद राशिद की जमीन, **पश्चिमः** दिनेश बंसल की जमीन/ कब्जे की तारीख– 23-09-2024	17-05-2024 रु. 59,146/-	लखनऊ-बी
4.	सरोज सिंह (कर्जदार), उमेश सिंह (सह-कर्जदार), **LHLUC00001539672.**	एनए भैसोरा परगना तहसील और लखनऊ– 226010 खसरा नंबर 298 लखनऊ उत्तर प्रदेश– 226010 (**संदर्भ लैन सं. LHLUC00001539672**), **सीमाएं : उत्तरः** प्लॉट नंबर 35, **दक्षिणः** प्लॉट नंबर 37, **पूर्वः** प्लॉट नंबर 54 और 55 का हिस्सा, **पश्चिमः** 25 फीट का रास्ता/ कब्जे की तिथि– 23-09-2024	17-05-2024 रु. 6,07,240.4/-	लखनऊ-बी
5.	सरोज सिंह (कर्जदार), उमेश सिंह (सह-कर्जदार), **LHLUC00001539674.**	एनए भैसोरा परगना तहसील और लखनऊ– 226010 खसरा नंबर 298 लखनऊ उत्तर प्रदेश– 226010 (**संदर्भ लैन नंबर LHLUC00001539674**)। **सीमाएं : उत्तरः** प्लॉट नंबर 35, **दक्षिणः** प्लॉट नंबर 37, **पूर्वः** प्लॉट नंबर 54 और 55 का हिस्सा, **पश्चिमः** 25 फीट का रास्ता/ कब्जे की तिथि– 23-09-2024	17-05-2024 रु. 22,450.52/-	लखनऊ-बी

उपर्युक्त कर्जदारों/गारंटरों को एतद्वारा राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के तहत गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेचा जाएगा।

तिथिः 19 सितम्बर, 2024, स्थानः लखनऊ अधिकृत प्राधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठा तल, जीरो वन आईटी पार्क, क्रम सं. 79/1, घोरपड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (**यहां के बाद 'कथित अधिनियम' के तौर पर संदर्भित**) के तहत उपरोक्त कारपोरेट/पंजीकृत कार्यालय के **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 17 नवंबर 2023 से पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** हो गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जीई मनी **हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड** कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर नोटिस में वर्णित अनुसार राशि अदा करने के लिये नीचे कर्जदारों को आमंत्रित करते हुए निम्न तिथि को मांग सूचना जारी की थी।

कर्जदारों द्वारा राशि की अदायगी में असफल होने पर, कर्जदारों तथा जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियम, 2002 के कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। कर्जदारों को विशेष तौर पर और जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन–देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देन राशि तथा उस पर ब्याज के लिए **गृहम हाऊसिंग फाईनेंस लिमिटेड** (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदारों के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूतित परिसम्पत्तियों को बचाने के लिए समय उपलब्ध है। कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कर्जदारों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा करने की तिथि	विधिक मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की राशि (रु.)
1.	मोहम्मद इरफान, मुस्कान इरफान	संपत्ति प्लॉट नंबर 168 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 107.48 वर्ग मीटर है, राहुल नगर कॉलोनी, मौजा बोदला, लोहामंडी वार्ड, आगरा में स्थित है। प्लॉट की **सीमाएंः पूर्वः** रास्ता 20 फीट चौड़ा, **पश्चिमः** – शरीफुद्दीन की संपत्ति, **उत्तरः**– प्लॉट नंबर 167, **दक्षिणः** रास्ता 20 फीट चौड़ा।	24/09/2024	09/07/2024	**ऋण सं. HF0094h21100392** रु. 10,96,905/- (रुपये दस लाख छियानबे हजार नौ सौ पांच मात्र) तिथि 09.07.2024 तक तथा वसूली तक 15% वार्षिक ब्याज
2.	हवलदार, रजिया बानो	गाटा संख्या– 82 का समस्त भाग, क्षेत्रफल (4357.8 वर्ग फीट): न्योदर परगना महादेवा तहसील तरबगंज जिलाः गोंडा पर स्थित। संपत्ति की **सीमाएं : पूर्वः** चक अखलाख अहमद, **पश्चिमः** चक सत्तार, **उत्तरः** चक राम लखन, **दक्षिणः** खड़ंजा मार्ग	24/09/2024	09/07/2024	**ऋण सं. LAP0603200000005015508** रु. 15,95,618/- (रुपये पन्द्रह लाख पिचानबे हजार छः सौ अठारह मात्र) तिथि 09.07.2024 तक तथा वसूली तक 17% वार्षिक ब्याज
3.	कमल प्रताप सिंह, अनीता कुमारी	संपत्ति माप 200 वर्ग फीट (1.8.6 वर्ग मीटर) का समस्त भाग, मौजा सुखमलपुर निजामाबाद मौसमा मोहल्ला नगला करन सिंह में गाटा संख्या 330 तहसील और जिला फिरोजाबाद के अंतर्गत स्थित, संपत्ति की सीमाएं **पूर्वः** – गली रास्ता 8 फीट और माप 5 फीट, **पश्चिमः** – प्लॉट पूरन देवी और माप 5 फीट, **उत्तरः** – क्रेता श्रीमती अनीता कुमारी का मकान और माप 40 फीट, **दक्षिणः** – मकान मनोज और अन्य और माप 40 फीट।	26/09/2024	09/07/2024	**ऋण सं. HF0398h21100053** रु. 5,14,292/- (रुपये पांच लाख चौदह हजार दो सौ बानबे मात्र) तिथि 09.07.2024 तक तथा वसूली तक 16.5% वार्षिक ब्याज

स्थान : उत्तर प्रदेश, तिथि : 29.09.2024 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS
NOTICE TO INVESTORS (THE "NOTICE")

NEO POLITAN PIZZA — ITALIAN PIZZERIA — We Make Fresh You Eat Fresh

NEOPOLITAN PIZZA AND FOODS LIMITED

(Formerly known as Neopolitan Pizza Limited)
Registered Office: 434 & 435, SWC Hub, Opp. Rajpath Complex, Vasna Bhayli Road, Vadodara – 391410, Gujarat, India
CIN: U24123GJ2011PLC063940, Telephone No.: +91 9574000428
Website: www.neopolitanpizza.in; Email-ID: csneo@neopolitanpizza.in

THIS CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED SEPTEMBER 24, 2024 AND THE PRE-ISSUE ADVERTISEMENT DATED SEPTEMBER 26, 2024, ("CORRIGENDUM") IS BEING ISSUED BY TURNAROUND CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED, ("LEAD MANAGER"), ON BEHALF OF NEOPOLITAN PIZZA AND FOODS LIMITED (FORMERLY KNOWN AS NEOPOLITAN PIZZA LIMITED) ("ISSUER"), IN RESPECT OF THE INITIAL PUBLIC OFFER OF 60,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF NEOPOLITAN PIZZA AND FOODS LIMITED (FORMERLY KNOWN AS NEOPOLITAN PIZZA LIMITED) (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 20/-PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS.10/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO RS. 1,200 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 3,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS.20/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO RS.60 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 57,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS.20/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO RS.1140 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 35.29% AND 33.53% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

PROMOTER: MR. MUKUND PUROHIT AND MRS. ARTI MUKUND PUROHIT

This Corrigendum should be read in continuation of, and in conjunction with the Prospectus dated September 24, 2024 and the Pre-Issue Advertisement dated September 26, 2024 published in all editions of Financial Express (English) including Gujarati edition and all editions of Jansatta (Hindi) and also the Application Forms, the Abridged Prospectus and General Information Document the Application Forms, the Abridged Prospectus and General Information Document (All documents collectively referred to as "IPO Correspondence").

This is with reference to the IPO Correspondence including the Prospectus dated September 24, 2024, filed with the Securities and Exchange Board of India on September 24, 2024 in relation to the Offer.

Attention of the investors is drawn to the following:

In the IPO Correspondence on page no. 66 of the Prospectus **"Expansion of our Retail Network by launching 25 new Quick Service Restaurants (QSR)"** it shall now stand replaced and to be read as **"Expansion of our Retail Network by launching 16 new Quick Service Restaurants (QSR)"**.

All capitalized terms used in this Corrigendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to such terms in the IPO Correspondence.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

SINCE THE ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS 2018, THE OFFER DOCUMENT HAS BEEN FILED WITH SEBI. HOWEVER, IN TERMS OF THE SEBI ICDR REGULATIONS 2018, SEBI SHALL NOT ISSUE ANY OBSERVATIONS ON THE OFFER DOCUMENT. HENCE, THERE IS NO SPECIFIC DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI. HOWEVER, INVESTORS MAY REFER TO THE ENTIRE "SEBI DISCLAIMER CLAUSE" ON PAGE 243 OF THE PROSPECTUS.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE LIMITED

IT IS TO BE DISTINCTLY UNDERSTOOD THAT THE PERMISSION GIVEN BY BSE LIMITED ("BSE") SHOULD NOT IN ANY WAY BE DEEMED OR CONSTRUED THAT THE CONTENTS OF THE PROSPECTUS OR THE PRICE AT WHICH THE EQUITY SHARES ARE OFFERED HAS BEEN CLEARED, SOLICITED OR APPROVED BY BSE, NOR DOES IT CERTIFY THE CORRECTNESS, ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE CONTENTS OF THE PROSPECTUS. THE INVESTORS ARE ADVISED TO REFER TO THE PROSPECTUS FOR THE FULL TEXT OF THE DISCLAIMER CLAUSE PERTAINING TO BSE.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

Turnaround Corporate Advisors Private Limited
614, Vishwadeep Building, Plot No. 4, District Centre, Janakpuri, New Delhi- 110058
Tel: +91-11-45510390
E-mail: Info@tcagroup.in
Investor Grievance Email: complaints@tcagroup.in
Website: www.tcagroup.in
Contact Person: Mr. Heemadri Mukerjea
SEBI Registration No.: MB/INM000012290

Date: September 28, 2024
Place: Vadodara

On behalf of the Board of Directors
For NEOPOLITAN PIZZA AND FOODS LIMITED
(Formerly known as Neopolitan Pizza Limited)
Sd/-
(MUKUND PUROHIT)
Managing Director
DIN: 02464280

Neopolitan Pizza and Foods Limited (Formerly known as Neopolitan Pizza Limited) is proposing, subject to market conditions and other considerations, a public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in and the website of the Lead Manager to the Issue at www.tcagroup.in and website of the BSE SME Limited at www.bsesme.com and website of Issuer Company at www.neopolitanpizza.in.

Investors should note that investment in Equity Shares involves high degree of risks. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" on page 21 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be offered or sold within the United States (as defined in Regulations under the Securities Act) or to, or for the account benefit of "U. S. Person" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act.

खबर कोना

यूक्रेन : चिकित्सा केंद्र पर रूसी हमले में आठ लोगों की मौत

कीव, 28 सितंबर (एपी)।

यूक्रेन के उत्तर-पूर्वी शहर सुमी में एक चिकित्सा केंद्र पर रूस ने शनिवार सुबह लगातार दो हमले किए जिसमें कम से कम आठ लोग मारे गए। यूक्रेन के आंतरिक मंत्री इगोर क्लिमेंको ने कहा कि पहले हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरीज और कर्मचारी जब बाहर निकल रहे थे तब रूस ने फिर से हमला किया। सुमी के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि हमले में शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। सुमी शहर के सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेक्सी ड्रोज्डेंको ने बताया कि हमले में ग्यारह अन्य लोग घायल हुए हैं।

ऐश्वर्या राय बच्चन अबू धाबी के यास आइलैंड में आईफा पुरस्कार के दौरान।

कृषक समुदायों को न्यूयार्क जलवायु सप्ताह से न्याय व कार्रवाई की उम्मीद

नई दिल्ली, 28 सितंबर(ब्यूरो)।

विश्व के नेता और अन्य हितधारक न्यूयार्क जलवायु सप्ताह में एकत्रित हुए हैं, ऐसे में भारत के कमजोर कृषक समुदाय जलवायु वित्त में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अहसास हो गया है कि जलवायु परिवर्तन का उनके जीवन पर असंगत प्रभाव पड़ रहा है, भले ही वे इसके लिए जिम्मेदार न हों। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार तक देश में सामान्य 857.5 मिमी वर्षा के मुकाबले 917.8 मिमी वर्षा हुई। इसके बावजूद पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी इलाकों, सिंधु-गंगा के मैदानों के बड़े हिस्से और पूर्वोत्तर भारत के लगभग आधे हिस्से में कम बारिश हुई है। केवल वर्षा की कमी ही नहीं, बल्कि अत्यधिक गर्मी की भी समस्या है। मुख्य रूप से पूर्वोत्तर में, जहां इस सप्ताह के प्रारंभ तक लू की स्थिति थी, जिससे कई किसानों की खरीफ फसल खतरे में पड़ गई है। एक ओर न्यूयार्क 22 से 29 सितंबर तक जलवायु सप्ताह का आयोजन कर रहा है, जो जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है।

सुनीता विलियम्स सहित दो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बचाव अभियान शुरू

केप कैनेवेरल, 28 सितंबर (एपी)।

स्पेसएक्स ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे दो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए शनिवार को एक बचाव अभियान शुरू किया है, जिसके तहत उन्हें धरती पर वापस लाने के लिए एक छोटा दल भेजा गया है, लेकिन यह अभियान अगले साल तक पूरा हो सकेगा। नासा के निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोरबुनोव को बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को वापस लाने का काम सौंपा गया था। चूंकि नासा अंतरिक्ष स्टेशन के कर्मचारियों को लगभग हर छह महीने में बदलता है, इस नई उड़ान में विलमोर और विलियम्स के लिए दो खाली सीटें हैं और यह फरवरी के अंत में वापस आएगी।

सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है भारत : भूटान

संयुक्त राष्ट्र, 28 सितंबर (भाषा)।

भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने कहा कि भारत महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति और 'ग्लोबल साउथ' में अपने नेतृत्व के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। तोबगे ने भूटान के सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) की श्रेणी से बाहर निकलने के लिए भारत की ओर से मिले 'समर्थन व मित्रता' को लेकर हार्दिक आभार जताया।

शेरिंग तोबगे

तोबगे ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र को आज की दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद का मौजूदा स्वरूप अतीत की निशानी है। हमें ऐसी परिषद की आवश्यकता है जिसमें वर्तमान भू-राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य और सामाजिक वास्तविकताएं झलकती हों। उन्होंने कहा कि भूटान लंबे समय से 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद में सुधार करने की पैरवी करता रहा है ताकि इसे अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावी बनाया जा सके। तोबगे ने कहा कि हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का भी समर्थन किया है।

उन्होंने कहा कि भारत महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति, जनसंख्या तथा ग्लोबल साउथ में नेतृत्व के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। तोबगे ने जापान को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया।

बांग्लादेश में राजनीतिक दल बनाने पर मंथन कर रहा हिंदू समुदाय

ढाका, 28 सितंबर (भाषा)।

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के नेता एक समर्पित राजनीतिक दल के गठन पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, जो अस्थिरता और भय के माहौल में उनकी सुरक्षा तथा उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सख्त जरूरत को दर्शाता है।

'बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल (बीएचबीसीओपी)' और अन्य संगठनों के हिंदू नेता अब पृथक राजनीतिक दल के गठन या आरक्षित संसदीय सीट की मांग की संभावना पर चर्चा करने में लगे हैं। 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश में हिंदू कुल जनसंख्या का करीब 22 फीसद थे लेकिन आज करीब आठ फीसद रह गए हैं।

बीएचबीसीओपी के प्रेसिडियम सदस्य काजल देबनाथ ने एजंसी से कहा कि फिलहाल तीन विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। पहला, 1954 से पृथक निर्वाचन प्रणाली पर लौटना दूसरा, हिंदुओं के लिए एक अलग राजनीतिक पार्टी का गठन और तीसरा, अल्पसंख्यकों के लिए संसद में सीट आरक्षित करना। देबनाथ ने बताया कि बीएचबीसीओपी द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के हिसाब से हिंदू समुदाय पर हमले की 2010 घटनाएं हुईं जिनमें हत्या, मारपीट, यौन हमला, मंदिरों पर हमला और संपत्ति नष्ट किया जाना शामिल है। वैसे, इन हमलों की संख्या पर बांग्लादेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। हिंदू समुदाय के नेता राजन कर्माकर ने कहा कि एक राजनीतिक दल बनाने के बारे में चर्चा एवं विचारों का आदान-प्रदान हमारी शीर्ष प्राथमिकता है।

'बिम्सटेक के साथ संबंध मजबूत करने को प्रतिबद्ध है भारत'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी 'पड़ोस प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के अनुरूप सात देशों के समूह 'बिम्सटेक' के साथ व्यापक भागीदारी की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर जयशंकर ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय सत्र के इतर न्यूयार्क में बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) की विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक की शुक्रवार को अध्यक्षता की। यह बैठक बिम्सटेक नेताओं के शिखर सम्मेलन की तैयारी करने के लिए की गई।

जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा में हमारे करीबी सहयोग का जायजा लिया। पूरे क्षेत्र में भौतिक, समुद्री और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण, कौशल विकास और परस्पर संपर्क में सुधार लाने के अवसर तलाश किए। विदेश मंत्री ने कहा कि बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र का विकास एक सामूहिक संकल्प है। पड़ोसी प्रथम, विजन सागर और एक्ट ईस्टी नीति की तर्ज पर बिम्सटेक के साथ व्यापक भागीदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। 'पड़ोस प्रथम' नीति के तहत भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप क्षेत्रीय भागीदारों के साथ समुद्री सहयोग विकसित किया है। भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति पहल का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है।

न्यूयार्क में 'बिम्सटेक' के अनौपचारिक विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते एस जयशंकर।

यूएई, सिंगापुर, उज्बेकिस्तान, डेनमार्क के अपने समकक्षों से की मुलाकात

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के इतर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सिंगापुर, उज्बेकिस्तान और डेनमार्क के अपने समकक्षों से मुलाकात की। नेताओं के बीच हुई वार्ता के दौरान भारत के इन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और मैत्रीपूर्ण संबंधों को विस्तार देने पर जोर दिया गया। उन्होंने शुक्रवार को सिंगापुर के अपने समकक्ष विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सिंगापुर की विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ लंबी बातचीत अच्छी रही। उन्होंने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से भी मुलाकात की। जयशंकर ने 'एक्स' पर लिखा कि आज न्यूयार्क में उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री सैदोव से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रसित मेरेडोव के साथ गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई।

श्रीलंका से भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित की जाए : राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से आग्रह किया कि वह गिरफ्तार भारतीय मछुआरों का विषय श्रीलंका के समक्ष उठाएं और उनकी रिहाई सुनिश्चित करें। राहुल गांधी ने 21 सितंबर को श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा 37 तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी और उनकी नौकाओं को जब्त करने के संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। कांग्रेस नेता के अनुसार, उन्हें मछुआरों की गिरफ्तारी के बारे में तमिलनाडु से सांसद आर सुधा ने सूचित किया है। पत्र में उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा छोटे और सीमांत भारतीय मछुआरों को पकड़े जाने और संपत्ति की अन्यायपूर्ण जब्ती और भारी जुर्माना लगाने की बार-बार होने वाली घटनाओं की कड़ी निंदा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले को श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ उठाएं और मछुआरों और उनकी नौकाओं की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करें।

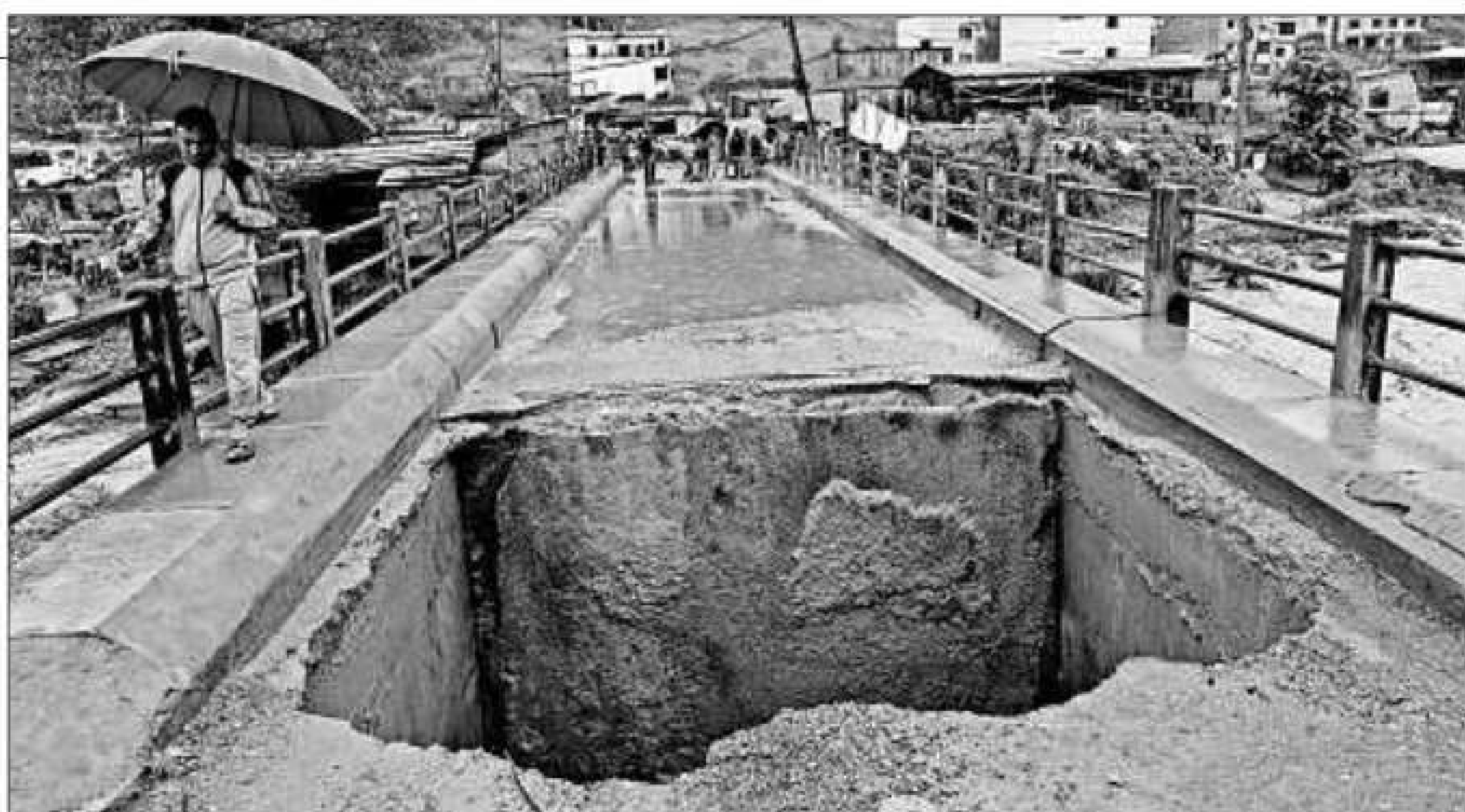

खतरनाक

काठमांडो में बाढ़ के कारण शनिवार को बागमती नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है।

बाइडेन ने हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत को न्यायोचित ठहराया

वाशिंगटन, 28 सितंबर (एपी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्ला की मौत को उसके चार दशक के आतंक के शासन से मुक्ति का एक तरीका बताया।

बाइडेन ने बताया कि नसरल्ला को निशाना उस संघर्ष के व्यापक परिप्रेक्ष्य में बनाया गया, जो सात अक्तूबर, 2023 को हमास द्वारा इजराइलियों के नरसंहार के साथ शुरू हुआ था। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि (उस हमले के) अगले दिन नसरल्ला ने हमास के साथ हाथ मिलाने और इजराइल के खिलाफ 'उत्तरी मोर्चा' खोलने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने यह भी कहा कि नसरल्ला के नेतृत्व में हिजबुल्लाह हजारों अमेरिकियों की मौत के लिए जिम्मेदार है।

राजनयिकों के परिवारों को लेबनान छोड़ने का आदेश

वाशिंगटन, 28 सितंबर (एपी)।

अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को अपने उन राजनयिकों के परिवारों को लेबनान छोड़ने का आदेश दिया है, जो बेरूत स्थित दूतावास द्वारा नियुक्त नहीं हैं।

इसने साथ ही दूतावास के गैर-जरूरी कर्मचारियों को भी वहां जाने की अनुमति दे दी। यह निर्णय लेबनान की राजधानी में अस्थिर सुरक्षा स्थिति के कारण लिया गया है। यह कदम इजराइली हमले में चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह नेता की मौत के बाद उठाया गया है।

व्यक्ति के लापता होने के 30 साल बाद घर से मिला कंकाल

हाथरस, 28 सितंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के एक गांव से 30 साल पहले लापता हुए एक व्यक्ति का शव हाल में ही उसके घर से बरामद किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कंकाल मिलने से मृतक के सबसे छोटे बेटे का यह दावा सही साबित हुआ कि उसके पिता की हत्या उसके दो बड़े भाइयों ने की थी, जिन्हें बाद में घर में दफना दिया गया था।

यह चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब मृतक के सबसे छोटे बेटे पंजाबी सिंह ने अपने दो बड़े भाइयों प्रदीप कुमार और मुकेश कुमार पर अपने पिता की हत्या करने तथा शव को पैतृक घर में दफनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने कंकाल को फारेंसिक जांच के लिए भेज दिया है तथा भाइयों, उनकी मां और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक, गिलौंडपुर गांव के निवासी पंजाबी सिंह ने अपने बचपन की एक घटना को याद करते हुए बताया कि लापता होने से एक रात पहले उनके भाइयों ने उनके पिता के साथ बहस की थी। पंजाबी सिंह ने शनिवार को कहा कि मैं जब छोटा था तो अपने पिता के साथ सोता था। मुझे अभी भी याद है कि एक रात मेरे दो बड़े भाई जो उस समय बीस साल के थे, एक दूसरे व्यक्ति के साथ मेरे पास आए और मुझे दूसरे कमरे में सोने के लिए कहा। इस घटना के समय नौ साल के पंजाबी सिंह ने याद करते हुए कहा कि मैं उस रात सो नहीं सका। इसलिए मैंने बाहर जाकर देखने का फैसला किया। तभी मैंने अपने भाइयों को एक कमरे में अपने पिता से लड़ते हुए सुना। मैं डर गया और एक कोने में छिप गया। अगले दिन, उसे घर के बरामदे में एक नया खोदा गया गड्ढा दिखा।

संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ ने सुप्रीम कोर्ट में 'बुलडोजर' मामले में हस्तक्षेप की मांग की

'दंडात्मक विध्वंस मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

बुलडोजर कार्रवाई मामले में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक प्रोफेसर बालकृष्णन राजगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट की सहायता के उद्देश्य से एक हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की है।

राजगोपाल ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिप्रेक्षय से उचित दिशा-निर्देश तैयार करने में न्यायालय की सहायता करने के लिए यह कदम उठाया है। उनका कहना है कि कथित रूप से दंडात्मक कारणों से किए गए विध्वंस मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर रूप हैं। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ विभिन्न राज्य सरकारों पर दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

संरा मानवाधिकार परिषद क ओर से नियुक्त विशेषज्ञ बालकृष्णन राजगोपाल ने कहा कि कथित मनमाने ढंग से किए गए विध्वंस अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विपरीत हैं।

दो सितंबर को पीठ ने चिंताओं को दूर करने के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देश निर्धारित करने का इरादा व्यक्त किया था। 17 सितंबर को अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित किया कि न्यायालय की अनुमति के बिना देश में कोई भी विध्वंस नहीं होना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण के संदर्भ में अदालत ने यह शर्त नहीं लगाई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ बालकृष्णन राजगोपाल ने कहा कि कथित मनमाने ढंग से किए गए विध्वंस अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विपरीत हैं। जिसमें पर्याप्त आवास का अधिकार भी शामिल है और ये असंगत हैं और इसलिए उचित प्रक्रिया का अभाव है।

उनका दावा है कि उन्हें यह सुनिश्चित करने में गहरी दिलचस्पी है कि भारत, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में, मानवाधिकारों का सम्मान करे और अधिकारों की उसकी व्याख्या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुरूप हो। कथित रूप से दंडात्मक कारणों से किए गए मनमाने ढंग से किए गए विध्वंस मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर रूप हैं।

दिव्यांगों को वित्तीय बाजार से जुड़ने में सक्षम बनाने की तैयारी | पहल | सेवाओं में भाग लेने के खुलेंगे नए अवसर

प्रमुख मौद्रिक शब्दों का हुआ सांकेतिक भाषा में अनुवाद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

दिव्यांगजनों तक पहुंच को बेहतर बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए म्यूचुअल फंड, आइपीओ, बांड और निवेशक जैसे प्रमुख मौद्रिक शब्दों का सांकेतिक भाषा में अनुवाद किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

दिव्यांग मामलों के सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि यह पहल एक बड़े सहयोग का हिस्सा है जिसका लक्ष्य वित्तीय प्रणालियों को श्रवण बाधित लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना है ताकि उन्हें वित्तीय बाजारों से पूरी तरह जुड़ने में सक्षम बनाया जा सके। इन संकेतों का अनुवाद किए जाने से बधिर समुदाय के लिए वित्तीय प्रणालियों और सेवाओं में भाग लेने के नए अवसर खुलेंगे।

दिव्यांग मामलों के सचिव के अनुसार, नए विकसित संकेतों में 'म्यूचुअल फंड', 'आइपीओ', 'बांड' और 'निवेशक' जैसे प्रमुख शब्द शामिल हैं। इन्हें वीडियो डेमो के जरिये देखा जा सकता है। इन संकेतों के अनुवाद से बधिर समुदाय के लिए वित्तीय प्रणालियों और सेवाओं में भाग लेने के नए अवसर खुलेंगे।

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ने विभिन्न वित्तीय और बैंकिंग शब्दों के लिए ये संकेत विकसित किए हैं। यह शब्दकोश एक समर्पित वेबसाइट और 'साइन लर्न' नाम के एक निशुल्क एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि नए विकसित संकेतों में 'म्यूचुअल फंड', 'आइपीओ', 'बांड' और 'निवेशक' जैसे प्रमुख शब्द शामिल हैं। इन्हें वीडियो डेमो के जरिये देखा जा सकता है। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ने विभिन्न वित्तीय और बैंकिंग शब्दों के लिए ये संकेत विकसित किए हैं। अब यह शब्दकोश एक समर्पित वेबसाइट और 'साइन लर्न' नाम के एक निःशुल्क एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध है। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के उप निदेशक (प्रशासन) संजय कुमार ने बताया कि वित्तीय शब्दों के अलावा, केंद्र ने अपने शब्दकोश का विस्तार करने के लिए अन्य संगठनों के साथ भी भागीदारी की है। उन्होंने बताया कि अकादमिक शब्दावली एनसीईआरटी के सहयोग से विकसित की गई है जबकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शब्दावली चंडीगढ़ स्थित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाई गई है। ये संसाधन 'साइन लर्न' मंच पर भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, सिप्ला, इंफोसिस और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन सहित विभिन्न संगठनों में जागरूकता सत्र भी आयोजित कर रहा है। सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अनुवादकों और प्रशिक्षकों के लिए अपने डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का विस्तार करके सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में योग्य पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी काम कर रहा है।

वर्ष 2024-25 सत्र के लिए 120 बधिर विद्यार्थियों और 90 श्रवण बाधित विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारकों के दिशा-निर्देशों में कोई नया बदलाव नहीं

न्यूयार्क, 28 सितंबर (भाषा)।

न्यूयार्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआइ) कार्डधारकों पर प्रतिबंध लगाए जाने की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि हाल ही में 'कोई नया बदलाव' नहीं किया गया है।

वाणिज्य दूतावास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि हमें ऐसी खबरें मिली हैं जिनमें गलत सूचना फैलाई जा रही है कि हाल के दिनों में ओसीआइ कार्डधारकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय के मित्रों को सूचित किया जाता है कि ओसीआइ कार्ड धारकों के लिए हाल के दिनों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि ओसीआइ कार्ड धारकों के अधिकारों के बारे में चार मार्च, 2021 की अधिसूचना के प्रावधान 'अब भी लागू हैं।'

www.readwhere.com

कांग्रेस ने चंडीगढ़ में जारी किया अपना घोषणापत्र

शहीदों के परिवारों को दो करोड़ रुपए देने का वादा

चंडीगढ़, 28 सितंबर (जनसत्ता)।

कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। पार्टी ने शहीद सैनिकों के परिवारों को दो करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने, रोजगार सृजन के लिए श्रम आधारित इकाइयों को बढ़ावा देने और प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन करने का वादा किया है। साथ ही किसानों के कल्याण के लिए राज्य में एक आयोग गठित करने का एलान भी किया है।

कांग्रेस ने सात 'गारंटी' की घोषणा पहले ही की थी। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी, जातिवार सर्वेक्षण, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 18 से 60 वर्ष आयु तक की प्रत्येक महिला को 2,000 रुपए मासिक, बुजुर्गों, दिव्यांगों व विधवाओं के लिए 6,000 रुपए मासिक पेंशन, दो लाख स्थायी सरकारी नौकरियों और 300 यूनिट मुफ्त बिजली व 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज शामिल है। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख उदयभान, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य नेता उपस्थित थे। कांग्रेस विधायक व राज्य घोषणापत्र समिति की प्रभारी गीता भुक्कल ने घोषणापत्र का विवरण साझा करते हुए कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के कल्याण के लिए एक किसान आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य के किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। छोटे किसानों को सबसिडी पर डीजल दिया जाएगा और इसके लिए 'किसान डीजल कार्ड' जारी किए जाएंगे। गीता भुक्कल ने कहा कि पार्टी के घोषणापत्र में तीन कृषि कानूनों (जो निरस्त किए जा चुके हैं) के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का एक स्मारक बनाए जाने और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले कुल 736 किसानों को 'शहीद' का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में हरियाणा अल्पसंख्यक आयोग के पुनर्गठन का वादा किया है। पार्टी ने सिख समुदाय के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव कराने का भी एलान किया है। घोषणापत्र में एलान किया गया है कि प्रदेश में दो लाख पक्की भर्तियां पूरे भर्ती विधान से होंगी और कौशल निगम के कर्मियों को भी वेतन बढ़ाकर समायोजित करने की नीति बनाई जाएगी। वहीं, सेवानिवृत्त होकर आने वाले अग्निवीर को हरियाणा में नौकरियों दी जाएंगी। युवाओं को नशे से बचाने के लिए नशा मुक्ति हरियाणा आयोग और विशेष कार्यबल बनाया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए फिर से 'पदक लाओ, पद पाओ' की नीति लागू होगी, नौकरियों में खेल कोटे को बहाल किया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए वजीफे की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस ने एलान किया है कि स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती जल्द करने के लिए अलग राज्य शिक्षक चयन आयोग बनाया जाएगा। किसान मॉडल स्कूलों का पुनरुत्थान और प्रत्येक खंड पर मॉडल स्कूल बनाया जाएगा।

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी, मेवात में स्टेट यूनिवर्सिटी, संत गुरु रविदास जी के नाम पर बड़ी यूनिवर्सिटी, प्रत्येक विधानसभा पर एक महिला कॉलेज और प्रत्येक ब्लाक पर एक आधुनिक आइटीआइ की स्थापना की जाएगी। जेबीटी के लिए डाइट संस्थानों को फिर शुरू किया जाएगा। पीजीटी का नाम लेक्चरर स्कूल कैडर होगा। पिछली बार कांग्रेस ने हरियाणा को शिक्षा हब बनाया था, इस बार एआइ व जैनेटिक्स आदि अनुसंधान संस्थान स्थापित कर 'नालेज हब' बनाया जाएगा। एससी-बीसी और बीपीएल विद्यार्थियों का वजीफा बढ़ाकर स्कूलों में ड्रापआउट रोका जाएगा। इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की प्रत्येक महिलाओं को दो हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की नौकरियों में 33 फीसद आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा।

पंचायत व स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण होगा। 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। स्कूल-कालेज आने के लिए पिंक मिनी बस व पिंक ई-रिक्शा की मुफ्त सुविधा होगी। शिक्षित महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 लाख का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। राजस्थान कांग्रेस की चिरंजीवी योजना की तर्ज पर हरियाणा में भी 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी।

इसके अलावा प्रत्येक जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले जाएंगे। चिकित्सकों के लिए सुपर स्पेशलिटी कैडर बनाकर भर्तियां होंगी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मेडिकल कालेजों की फीस कम होगी और बांड नीति पर पुनर्विचार के लिए समिति गठित होगी। 45 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक का हर वर्ष की मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। एसवाईएल का पानी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करवाने के लिए मजबूती से पैरवी की जाएगी। दादूपुर नलवी नहर परियोजना को फिर से शुरू किया जाएगा। यमुना का पानी राजस्थान को दिए जाने संबंधी समझौता निरस्त किया जाएगा। मेवात नहर परियोजना को पूरा किया जाएगा। चयनित युवाओं को बिना विलंब ज्वाइनिंग दी जाएगी और भाजपा द्वारा लटकाई गई भर्तियों को जल्दी पूरा किया जाएगा।

चंडीगढ़ में शनिवार को कांग्रेस का घोषणापत्र जारी करने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य नेता।

वाईएसआरसीपी ने किया मुख्यमंत्री नायडू के 'पाप' का 'प्रायश्चित'

अमरावती, 28 सितंबर (भाषा)।

वाईएसआरसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को 'क्षमायाचना' अनुष्ठान किया और कहा कि इसके जरिए उन्होंने तिरुपति लड्डुओं की पवित्रता पर सवाल उठाकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा किए गए 'पाप' का 'प्रायश्चित' किया।

नायडू ने हाल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के विधायक दल की एक बैठक में आरोप लगाया था कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने में घटिया सामग्री एवं पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। इन आरोपों से हिंदू भावनाएं आहत हुईं और देशभर में जनाक्रोश भड़क गया। इस जनाक्रोश के बाद वाईएसआरसीपी के प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि नायडू लड्डुओं के बारे में सरासर झूठ बोल रहे हैं।

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

एच2 पटेल नगर ||| गाजियाबाद
पटेल नगर – 201001
ghaziabad@indianbank.co.in

परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)]
अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक माँग सूचना दिनाँकित 15–07–2024 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता श्री अनुज कुमार शर्मा तथा गारंटर श्रीमती ऋतु शर्मा, गाजियाबाद शाखा के साथ, को सूचना में अंकित राशि **रु. 11,60,834.17/– (रुपये ग्यारह लाख साठ हजार आठ सौ चौंतीस तथा सत्रह पैसे मात्र),** का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ता राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 27–सितंबर–2024 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **रु. 11,60,834.17/–** की एक राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु **इंडियन बैंक** के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. 202 से समाविष्ट संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो पृष्ठदिशा में द्वितीय तल/भूखण्ड सं. 50, खसरा सं. 345, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सेक्टर 23 के समीप, संजय नगर, ग्राम रईसपुर परगना डासना जिला गाजियाबाद में स्थित है, क्षेत्रफल 54.346 वर्ग मीटर, तथा निम्नानुसार परिसीमित है :–

उत्तर : 20' चौड़ी सड़क **दक्षिण :** दीगर प्लॉट
पूर्व : दीगर प्लॉट **पश्चिम :** 40' चौड़ी सड़क

दिनाँक : 27/09/2024 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : गाजियाबाद **(इंडियन बैंक)**

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा

सीमा पार आतंकवाद के परिणाम अनिवार्य रूप से भुगतने होंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि दुनियाभर में आतंकवादी घटनाओं में उसका 'हाथ रहा' है और पड़ोसी देश को यह पता होना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के 'परिणाम अनिवार्य रूप से भुगतने पड़ेंगे।'

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की आम बहस में अपने संबोधन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा जम्मू–कश्मीर का मुद्दा उठाने जाने की प्रतिक्रिया में अपने 'जवाब देने के अधिकार' का शुक्रवार को इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने भारत के जवाब देने के अधिकार के तहत कहा, 'इस महासभा ने खेदजनक रूप से एक हास्यास्पद घटना देखी। आतंकवाद, मादक पदार्थ के कारोबार और अंतरराष्ट्रीय अपराध के लिए दुनियाभर में पहचाने जाने वाले एवं सेना द्वारा संचालित एक देश ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया।'

उन्होंने कहा कि जैसा कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के खिलाफ हथियार के तौर पर सीमा पार आतंकवाद का लंबे समय से इस्तेमाल करता रहा है। उन्होंने पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों द्वारा भारतीय संसद पर 2001 के हमले और मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों के संदर्भ में कहा, 'उसने हमारी संसद, हमारी वित्तीय राजधानी मुंबई, बाजार तथा तीर्थस्थलों पर हमला किया है।' मंगलानंदन ने कहा, 'सूची लंबी है। ऐसे देश का हिंसा के बारे में कहीं भी बोलना पूरी तरह पाखंड है।' शरीफ ने अपने संबोधन में अपेक्षा के मुताबिक कश्मीर मुद्दा उठाया और कहा था कि 'स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए' भारत को अनुच्छेद 370 को बहाल करना होगा और जम्मू–कश्मीर के मुद्दे के 'शांतिपूर्ण' समाधान के लिए बातचीत शुरू करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत ने आपसी 'सामरिक व्यवस्था' के उनके देश के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। 'सामरिक व्यवस्था के किसी प्रस्ताव' के संदर्भ में जवाब देते हुए भारत ने कहा कि 'आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। बल्कि पाकिस्तान को भी यह पता होना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के अनिवार्य रूप से परिणाम भुगतने पड़ेंगे।'

मंगलानंदन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाया कि यह वही देश है, जिसने लंबे समय तक अल–कायदा नेता ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में कई आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ है। भारतीय अधिकारी ने कहा, 'शायद इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उसके (पाकिस्तान के) प्रधानमंत्री इस प्रतिष्ठित सभागार में ऐसा बोलेंगे। फिर भी हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके शब्द हम सभी के लिए कितने अस्वीकार्य हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान सच्चाई का सामना और अधिक झूठ से करना चाहेगा। बार–बार झूठ बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। हमारा रुख स्पष्ट है और उसे दोहराने की जरूरत नहीं है।'

भारत ने जोर देकर कहा कि चुनावों में धांधली के इतिहास वाले देश के लिए एक लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्पों के बारे में बात करना बड़ा अजीब है। उन्होंने कहा, 'असल सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की नजर हमारे क्षेत्र पर है और वास्तव में, उसने भारत के अविभाज्य और अभिन्न अंग जम्मू–कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल किया है।'

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सर्कल सस्त्र कार्यालय : अलीगढ़, कार्यालय पता : साईं विहार, मदन पैलेस के सम्मुख, ग्राम तलाशपुर कलां, रामघाट मार्ग, अलीगढ़–202001, ईमेल : cs8183@pnb.co.in

अधिग्रहण सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकितानुसार तिथियों पर मांग सूचना/एं निर्गत की थी/थीं, जिनमें संबंधित ऋणकर्ता/ओं को प्रत्येक खाता के समक्ष अंकितानुसार बकाया राशि का, सूचना(ओं) की तिथि / उक्त सूचना(ओं) की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि ऋणकर्ता(गण) निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, यहां इसमें निम्नांकित तिथि पर, अधिग्रहण कर लिया है।
ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋणकर्ता/ओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति/यों का लेन–देन न करें तथा संपत्ति/यों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु पंजाब नैशनल बैंक के प्रभाराधीन होगा।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाता का नाम	बंधककृत संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / चिपकाई गई अधिग्रहण सूचना की तिथि	अधिग्रहण सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि
1.	जी टी रोड अलीगढ़	मैसर्स आर.एस. बिल्डिंग मैटीरियल अपने प्रोपराइटर श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री रोशन सिंह के माध्यम से, श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री रोशन सिंह और श्रीमती ललिता पत्नी धर्मवीर सिंह (गारंटर) / बंधककर्ता	1. श्रीमती ललिता पत्नी धर्मवीर सिंह के नाम पर संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो खाता संख्या 65, खसरा संख्या 125/1/2 के भाग पर, गांव– भकरौला, मथुरा आगरा बाईपास रोड, परगना और तहसील कोइल, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 202001 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1150.00 वर्ग मीटर है। सीमाएँ इस प्रकार हैं : पूर्व : श्री किशन लाल का खेत, पश्चिम : श्री मनुज शर्मा का खेत, उत्तर : नाला, दक्षिण : श्री वीरेंद्र सिंह का खेत। 2. बही ऋण और बैंक द्वारा वित्तपोषित वर्तमान और भविष्य की स्थायी परिसंपत्तियों सहित भण्डारण का दृष्टिबंधन।	22.07.2024 / 26.09.2024	रु. 57,93,007.88 (रुपये सत्तावन लाख तिरानबे हजार सात तथा अट्ठासी पैसे मात्र) + 01.07.2024 से प्रभावी भावी ब्याज + अन्य शुल्क

दिनाँक : 26–09–2024, स्थान : अलीगढ़ — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक– प्रतिभूत ऋणदाता

अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीकी की उस याचिका की सुनवाई 30 सितंबर को करेगा, जिसमें उन्होंने बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत देने से केरल हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई करेगी। अभिनेता ने अधिवक्ता रंजीता रोहतगी के माध्यम से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में 24 सितंबर को सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अपराध की उचित जांच के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना अपरिहार्य है।

शिवपुरी में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत

शिवपुरी, 28 सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में खेलते समय चार से आठ साल के तीन चचेरे भाइयों की शनिवार को डूबने से मौत हो गई।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीओपी) विजय यादव ने बताया कि चचेरे भाई नीरज (आठ), संजय (छह) और वीर (चार) दोस्तों के साथ पानी से भरे गड्ढे में खेल रहे थे, तभी वे डूबने लगे।

त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि–2024

आगामी त्यौहारों के सीजन में रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु पूर्वघोषित त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों के साथ–साथ निम्नलिखित अतिरिक्त त्यौहार विशेष रेलगाड़ियों का संचालन भी निम्न विवरण के अनुसार किया जाएगा:–

09013/09014 उधना-छपरा-उधना विशेष रेलगाड़ी (साप्ताहिक) — 18 फेरे

रेलगाड़ी सं. 09013 आगमन	रेलगाड़ी सं. 09013 प्रस्थान	↓ स्टेशन ↑	रेलगाड़ी सं. 09014 आगमन	रेलगाड़ी सं. 09014 प्रस्थान
---	07:00	उधना	08:15	---
13:25	13:35	वाराणसी	03:30	03:40
19:30	---	छपरा	---	22:30

चलने के दिन: 09013 उधना से दिनांक 05.10.2024 से 30.11.2024 प्रत्येक शनिवार एवं 09014 छपरा से दिनांक 06.10.2024 से 01.12.2024 प्रत्येक रविवार को;
स्थान: 2 टियर वाता., 3 टियर वाता, शयनयान एवं सामान्य
ठहराव: भरुच जं., वडोदरा जं., गोधरा जं., रतलाम जं., उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, सतना जं., मानिकपुर जं., प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, वाराणसी, औंड़िहार जं., गाजीपुर सिटी एवं बलिया स्टेशन।

09027/09028 बान्द्रा(टर्मि.)-मालदा टाउन-बान्द्रा(टर्मि.) विशेष रेलगाड़ी (साप्ताहिक) — 18 फेरे

रेलगाड़ी सं. 09027 आगमन	रेलगाड़ी सं. 09027 प्रस्थान	↓ स्टेशन ↑	रेलगाड़ी सं. 09028 आगमन	रेलगाड़ी सं. 09028 प्रस्थान
---	11:00	बान्द्रा (टर्मि.)	18:15	---
16:50	16:52	बाराबंकी	14:55	14:57
16:30	---	मालदा टाउन	---	17:30

चलने के दिन: 09027 बान्द्रा (टर्मि.) से दिनांक 02.10.2024 से 27.11.2024 प्रत्येक बुधवार एवं 09028 मालदा टाउन से दिनांक 05.10.2024 से 30.11.2024 प्रत्येक शनिवार को;
स्थान: 3 टियर वाता, शयनयान एवं सामान्य
ठहराव: बोरीवली, वापी, सूरत, भरुच जं., वडोदरा जं., गोधरा जं., रतलाम जं., कोटा जं., सवाई माधोपुर जं., गंगापुर सिटी, बयाना जं., आगरा फोर्ट, टूण्डला जं., इटावा जं., कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी जं., गोंडा जं., बस्ती, गोरखपुर जं., नरकटियागंज जं., बापूधाम मोतिहारी, मुजफ्फरपुर जं., समस्तीपुर जं., बरौनी जं., किऊल जं., अभयपुर, जमालपुर जं., सुल्तानगंज, भागलपुर जं., कहलगांव, साहिबगंज, बड़हरवा जं., एवं न्यू फरक्का जं. स्टेशन।

09031/09032 बान्द्रा(टर्मि.)-गोरखपुर-दहानू रोड विशेष रेलगाड़ी (साप्ताहिक) — 18 फेरे

रेलगाड़ी सं. 09031 आगमन	रेलगाड़ी सं. 09031 प्रस्थान	↓ स्टेशन ↑	रेलगाड़ी सं. 09032 आगमन	रेलगाड़ी सं. 09032 प्रस्थान
---	12:15	बान्द्रा (टर्मि.)	---	---
14:04	14:06	दहानू रोड	12:25	---
15:35	15:40	लखनऊ	08:45	08:50
21:00	---	गोरखपुर	---	04:00

चलने के दिन: 09031 बान्द्रा (टर्मि.) से दिनांक 03.10.2024 से 28.11.2024 प्रत्येक बृहस्पतिवार एवं 09032 गोरखपुर से दिनांक 05.10.2024 से 30.11.2024 प्रत्येक शनिवार को;
स्थान: 3 टियर वाता, शयनयान एवं सामान्य
ठहराव: बोरीवली, पालघर, दहानू रोड, वापी, वलसाड, उधना, भरुच जं., वडोदरा, गोधरा, रतलाम जं., उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी जं., गोंडा जं., मनकापुर जं., बस्ती एवं खलीलाबाद स्टेशन।

09421/09422 साबरमती-सीतामढ़ी जं.-साबरमती बीजी विशेष रेलगाड़ी (साप्ताहिक) — 18 फेरे

रेलगाड़ी सं. 09421 आगमन	रेलगाड़ी सं. 09421 प्रस्थान	↓ स्टेशन ↑	रेलगाड़ी सं. 09422 आगमन	रेलगाड़ी सं. 09422 प्रस्थान
---	19:45	साबरमती	06:00	---
18:15	18:30	लखनऊ	06:15	06:25
08:30	---	सीतामढ़ी	---	16:00

चलने के दिन: 09421 साबरमती से दिनांक 05.10.2024 से 30.11.2024 प्रत्येक शनिवार एवं 09422 सीतामढी से दिनांक 07.10.2024 से 02.12.2024 प्रत्येक सोमवार को; स्थान: 3 टियर वाता, शयनयान एवं सामान्य
ठहराव: महेसाना जं., पालनपुर जं., आबूरोड, फालना, मारवाड़ जं., ब्यावर, अजमेर जं., किशनगढ़, जयपुर जं., बांदीकुई जं., भरतपुर जं., अहमदाबाद जं., आगरा फोर्ट, टूण्डला जं., इटावा जं., कानपुर सेंट्रल, उन्नाव जं., लखनऊ, बाराबंकी जं., गोंडा जं., बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर जं., सिसवा बाजार, नरकटियागंज जं. एवं रक्सौल जं. स्टेशन

04006/04005 दिल्ली जं.-जयनगर-दिल्ली जं. आरक्षित विशेष रेलगाड़ी (सप्ताह में 2 दिन) — 30 फेरे

रेलगाड़ी सं. 04006 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04006 प्रस्थान	↓ स्टेशन ↑	रेलगाड़ी सं. 04005 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04005 प्रस्थान
---	23:05	दिल्ली जं.	01:30	---
23:45	---	जयनगर	---	01:30

चलने के दिन: 04006 दिल्ली जं. से दिनांक 08.10.2024 से 26.11.2024 प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार एवं 04005 जयनगर से दिनांक 10.10.2024 से 28.11.2024 प्रत्येक बृहस्पतिवार एवं रविवार को;
स्थान: प्रथम वाता., 2 टियर वाता., 3 टियर वाता, शयनयान एवं सामान्य
ठहराव: गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर जं., मुजफ्फरपुर जं., समस्तीपुर जं., दरभंगा जं. एवं मधुबनी स्टेशन।

04048/04047 आनन्द विहार(टर्मि.)-कटिहार जं.-आनन्द विहार (टर्मि.) आरक्षित विशेष रेलगाड़ी (सप्ताह में 2 दिन) — 30 फेरे

रेलगाड़ी सं. 04048 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04048 प्रस्थान	↓ स्टेशन ↑	रेलगाड़ी सं. 04047 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04047 प्रस्थान
---	15:20	आनन्द विहार(टर्मि.)	17:50	---
15:00	---	कटिहार जं.	---	18:00

चलने के दिन: 04048 दिल्ली जं. से दिनांक 08.10.2024 से 26.11.2024 प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार एवं 04047 कटिहार जं. से दिनांक 09.10.2024 से 27.11.2024 प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को;
स्थान: प्रथम वाता., 2 टियर वाता., 3 टियर वाता, शयनयान एवं सामान्य
ठहराव: गोविन्दपुरी, प्रयागराज जं., पं. दीनदयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, बरौनी जं., बेगूसराय, खगड़िया एवं मानसी स्टेशन।

04070/04069 नई दिल्ली-राजगीर-नई दिल्ली वातानुकूलित आरक्षित विशेष रेलगाड़ी (सप्ताह में 2 दिन) — 30 फेरे

रेलगाड़ी सं. 04070 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04070 प्रस्थान	↓ स्टेशन ↑	रेलगाड़ी सं. 04069 आगमन	रेलगाड़ी सं. 04069 प्रस्थान
---	00:20	नई दिल्ली	23:10	---
21:00	---	राजगीर	---	22:50

चलने के दिन: 04070 नई दिल्ली से एवं 04069 राजगीर से दिनांक 12.10.2024 से 30.11.2024 प्रत्येक शनिवार, मंगलवार को;
स्थान: प्रथम वाता., 2 टियर वाता., 3 टियर वाता.
ठहराव: गोविन्दपुरी, प्रयागराज जं., पं. दीनदयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, पटना जं., बख्तियारपुर जं. एवं बिहार शरीफ जं. स्टेशन।

रेलयात्रियों से अनुरोध है किसी भी जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES ऐप देखें

पर हमें फॉलो करें
उत्तर रेलवे
आपकी सुविधा–हमारा ध्येय
हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

मंडल सस्त्र केंद्र: पूर्वी दिल्ली, पॉकेट–ई, मयूर विहार फेज–II, दिल्ली–110091, ई–मेल: cs8075@pnb.co.in

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को 60 दिन का नोटिस

दिनांक: 25.09.2024

मेसर्स एमएनएस एंटरप्राइजेज, प्रोप. निहारिका स्वरूप चावला के माध्यम से, पता: 546–47 दूसरी मंजिल कटरा मिठन लाल सदर बाजार दिल्ली – 110006.
श्रीमती निहारिका स्वरूप चावला, पता: 94/5 ब्लॉक – एच, यूजीएफ, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110026 और: मकान नं. 9 दूसरी मंजिल रोड नं. 64 पश्चिम पंजाबी बाग पश्चिम दिल्ली – 110026
श्रीमती निहारिका स्वरूप चावला (गारंटर और बंधककर्ता), पता: 94/5 ब्लॉक – एच, यूजीएफ, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्ली –110026 और: मकान नं. – 9 दूसरी मंजिल, रोड नं. 64 पश्चिम पंजाबी बाग पश्चिम दिल्ली – 110026
श्रीमती डिंपल चावला (गारंटर और बंधककर्ता), पता: 94/5 ब्लॉक–एच, यूजीएफ, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110026 और: मकान नं. – 9 दूसरी मंजिल, रोड नं. 64 पश्चिम पंजाबी बाग पश्चिम दिल्ली – 110026
श्री शिव चावला (गारंटर), पता: 94/5 ब्लॉक–एच, यूजीएफ, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026 और: मकान नं. 9 दूसरी मंजिल, रोड नं. 64 पश्चिम पंजाबी बाग पश्चिम दिल्ली – 110026
वित्तीय आस्तियों का **प्रतिभूतिकरण** और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना
विषय : मेसर्स एमएनएस एंटरप्राइजेज (प्रोपराइटर – श्रीमती निहारिका स्वरूप चावला) द्वारा खाता सं. 0021108700000032 के माध्यम से प्राप्त ऋण सुविधाएं
आपने, मेसर्स एमएनएस एंटरप्राइजेज (प्रोपराईटर श्रीमती निहारिका स्वरूप चावला) ने निम्नलिखित ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है:

क्र.सं.	सुविधा	लिमिट	तिथि अनुसार लागू ब्याज दर	एनपीए की तिथि 08.08.2024 तक बकाया शेष (अर्थात मूल+ब्याज)	कुल बकाया तिथि 31.08.2024
1.	नकद ऋण 0021108700000032	रु. 1,65,00,000.00	14.40%	रु. 1,69,03,082.36	रु. 1,71,84,719.47 प्लस, ब्याज और शुल्क
			कुल	रु. **1,69,03,082.36** + ब्याज	रु. **1,71,84,719.47** + ब्याज + प्रभार

किश्त/ब्याज/मूल ऋण राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उपरोक्त खाते भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 08-08-2024 को अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं।
बैंक की कुल बकाया राशि **रू. 1,71,84,719.47 (रू. एक करोड़ इकहत्तर लाख चौरासी हजार सात सौ उन्नीस और पैसे सैंतालीस मात्र)** दिनांक 31.08.2024 तक और पूर्ण भुगतान किए जाने तक आगे ब्याज और प्रभारों सहित है (इसमें आगे "प्रतिभूत ऋण" कहा गया है)।
उक्त सुविधाओं के तहत बकाया राशि की प्रतिभूति हेतु आपने अन्य के साथ निम्न सम्पत्तियों/आस्तियों के संबंध में प्रतिभूति हित सृजित किया है :–

सुविधा	खाता संख्या	सीमा
नकद क्रेडिट सीमा	0021108700000032	1,65,00,000.00

निम्न प्रतिभूति:
प्राथमिक प्रतिभूति–
बैंक फाइनेंस द्वारा निर्मित संपूर्ण चालू और गैर–चालू संपत्तियों (वर्तमान और भविष्य) के साथ–साथ संपत्तियों जैसे स्टॉक, प्राप्य, तैयार माल आदि का दृष्टिबंधक।
कोलेटरल प्रतिभूति–
साम्यिक बंधक सम्पूर्ण ऊपरी भूतल बिना छत/टेरेस अधिकारों,, स्टिल्ट कार पार्किंग क्षेत्र में अविभाजित **25%** शेयर/अधिकार और सामान्य लिफ्ट का उपयोग करने का अधिकार, संपूर्ण निर्मित फ्रीहोल्ड संपत्ति संख्या – 94/5 का हिस्सा, भूमि क्षेत्र 139.75 वर्ग गज ब्लॉक एच, शिवाजी पार्क के रूप में स्वीकृत कॉलोनी पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110026 में स्थित जिसका नाम श्रीमती डिंपल चावला पत्नी स्वर्गीय श्री आनंद चावला और श्रीमती निहारिका स्वरूप चावला पत्नी श्री शिव चावला, चौहद्दी: उत्तर में – प्लॉट नं. एच–94/4, दक्षिण में – प्लॉट नं. एच–94/6, पूरब में – सर्विस लेन, पश्चिम में –रोड
हम एतद्द्वारा आपसे **रू. 1,71,84,719.47 (रू. एक करोड़ इकहत्तर लाख चौरासी हजार सात सौ उन्नीस और पैसे सैंतालीस मात्र)** और **पूर्ण भुगतान** किए जाने तक आगे संविदात्मक दर पर ब्याज इस सूचना की तिथि से 60 दिन (साठ दिन) के भीतर चुकाने की मांग करते हैं। इसमें असफल रहने पर, बैंक कानून के तहत उपलब्ध अन्य अधिकारों का उपयोग करने के अलावा वित्तीय आस्तियों का **प्रतिभूतिकरण** और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 13(4) के तहत उपलब्ध किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का आशय रखता है। आपके द्वारा प्रतिभूत ऋण नहीं चुकाए जाने की स्थिति में बैंक द्वारा प्रवर्तित किए जाने वाली प्रतिभूत आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है :
1. बैंक फाइनेंस द्वारा निर्मित संपूर्ण चालू और गैर–चालू संपत्तियों (वर्तमान और भविष्य) के साथ–साथ संपत्तियों जैसे स्टॉक, प्राप्य, तैयार माल आदि का दृष्टिबंधक।
2. साम्यिक बंधक सम्पूर्ण ऊपरी भूतल बिना छत/टेरेस अधिकारों,, स्टिल्ट कार पार्किंग क्षेत्र में अविभाजित **25%** शेयर/अधिकार और सामान्य लिफ्ट का उपयोग करने का अधिकार, संपूर्ण निर्मित फ्रीहोल्ड संपत्ति संख्या – 94/5 का हिस्सा, भूमि क्षेत्र 139.75 वर्ग गज ब्लॉक एच, शिवाजी पार्क के रूप में स्वीकृत कॉलोनी पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110026 में स्थित जिसका नाम श्रीमती डिंपल चावला पत्नी स्वर्गीय श्री आनंद चावला और श्रीमती निहारिका स्वरूप चावला पत्नी श्री शिव चावला, चौहद्दी: उत्तर में – प्लॉट नं. एच–94/4, दक्षिण में – प्लॉट नं. एच–94/6, पूरब में – सर्विस लेन, पश्चिम में –रोड
आपका ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।
कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, आप यह सूचना प्राप्त करने के पश्चात, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त किसी भी प्रतिभूत आस्ति का अंतरण उसकी बिक्री, पट्टा या अन्य प्रकार से नहीं कर सकते हैं (व्यवसाय की सामान्य विधि को छोड़कर)।
आपको यह भी सूचना दी जाती है कि इस कानूनी व्यादेश/प्रतिबंध का उल्लंघन उक्त अधिनियम के अधीन एक अपराध है। यदि किसी कारणवश, प्रतिभूत आस्तियां व्यवसाय की सामान्य विधि में बेची या पट्टे पर दी जाती हैं, तो बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि इस बैंक में जमा की जाएगी/बैंक को भेजी जाएगी। आपको इस राशि/आय का समुचित लेखा रखना होगा।
*हमारा अन्य प्रतिभूत आस्तियां प्रवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है।
कृपया इस सूचना के तहत इस मांग का पालन करें और सभी अरुचिकर स्थितियों से बचें। ऐसा नहीं करने पर, आगे आवश्यक कार्यवाही करने की बाध्यता होगी, जिसकी सभी लागतों और परिणामों के लिए आप पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।
*यह नोटिस बैंक द्वारा डीआरटी/कोर्ट के समक्ष कानूनी कार्रवाई करने के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जारी किया गया है, जैसा भी मामला हो।
*यह नोटिस डीआरटी/कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमे/मुकदमेबाजी में बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जारी किया गया है।
*यदि लागू न हो तो हटा दें।

कृते पंजाब नैशनल बैंक
(दीपक कुमार) मुख्य प्रबंधक
प्राधिकृत अधिकारी

खबर कोना

गुलवीर ने राष्ट्रीय रेकार्ड के साथ पांच हजार मीटर में स्वर्ण पदक जीता

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

भारत के गुलवीर सिंह ने शनिवार को जापान के निगाटा में विश्व एथलेटिक्स उपमहाद्वीपीय टूर के योगिबो एथलेटिक्स चैलेंज कप में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रेकार्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक जीता। पिछले साल हांगझाङ एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले गुलवीर ने विश्व एथलेटिक्स के इस 'ब्रांज लेवल मीट' में 13 मिनट 11.82 सेकंड के समय के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर अपने पिछले राष्ट्रीय कीर्तिमान में सुधार किया।

बोपन्ना-डोडिग की जोड़ी चीन ओपन के पहले दौर में हारी

बीजिंग, 28 सितंबर (भाषा)।

भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के उनके जोड़ीदार इवान डोडिग शनिवार को यहां चीन ओपन एटीपी 500 टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में फ्रांसिस्को सेरुंडोलो और निकोलस जैरी की जोड़ी के खिलाफ हार के साथ प्रतियोगिता से बाहर हो गए। भारत और क्रोएशिया की दूसरी वरीय जोड़ी को अर्जेन्टीना के सेरुंडोलो और चिली के जैरी की गैरवरीय जोड़ी के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एक घंटे और 31 मिनट में 5-7, 6-7 से हार का सामना करना पड़ा।

बेजिंग के नेशनल टेनिस सेंटर में चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दौरान डेनमार्क की क्लारा टासन को हराने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करतीं इटली की जैस्मीन पाओलिनी।

रिकेलटन व हेंडरिक्स के प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका जीता

अबुधाबी, 28 सितंबर (एपी)।

रियान रिकेलटन और रीजा हेंडरिक्स के शानदार प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को टी20 मैच में आठ विकेट से हरा दिया। रिकेलटन ने करिअर की सर्वश्रेष्ठ 75 रन की पारी खेली और हेंडरिक्स ने 16वां अर्धशतक जमाया। आयरलैंड के आठ विकेट पर 171 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 18वें ओवर में दो विकेट पर 178 रन बनाए। एक समय पर लग रहा था कि आयरलैंड 180 रन के पार जाएगा।

न्यूजीलैंड 88 रन पर ढेर, गंवा सकता है मुकाबला

गाल, 28 सितंबर (एपी)।

मेजबान श्रीलंका के खिलाफ शनिवार को यहां दूसरे टैस्ट में फालोआन के लिए मजबूर न्यूजीलैंड पर टैस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी हार का खतरा मंडरा रहा है। न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 22 रन से की और सुबह के सत्र में पहली पारी के बाकी बचे आठों विकेट गंवा दिए, जिससे टीम 88 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम 514 रन से पिछड़ी। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज टाम लैथम (0) का विकेट गंवाकर लंच तक एक विकेट पर तीन रन बनाए।

कानपुर : बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टैस्ट के दूसरे दिन शनिवार को बारिश के कारण कवर से ढकी गई पिच।

परेशानी

बारिश के कारण कानपुर टैस्ट के दूसरे दिन का खेल रद्द

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 28 सितंबर।

भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टैस्ट के दूसरे दिन का खेल लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बगैर रद्द कर दिया गया। सुबह हल्की बूंदाबांदी के बाद तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान पर दूसरे दिन खेल नहीं हो सका।

मैदानकर्मियों ने सुबह 11 बजकर 15 मिनट के आसपास बारिश रुकने पर तीन सुपर सोपर्स लगाए। रोशनी भी साफ नहीं थी लिहाजा सवा दो बजे आधिकारिक तौर पर खेल रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी बारिश की संभावना है लेकिन सोमवार और मंगलवार को आसमान साफ रहने की उम्मीद है। ऐसे में मैच ड्रा की ओर बढ़ता दिख रहा है। पहले दिन बांग्लादेश ने तीन विकेट पर 107 रन बनाए थे, जब बारिश के कारण 35 ओवर ही फेंके जा सके थे।

तेज गेंदबाज आकाश दीप ने बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन और शादमान इस्लाम को आउट किया था, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने कप्तान नजमुल हुसैन शंटो के विकेट लिए थे।

टैस्ट क्रिकेट

भारत दो मैचों की शृंखला में पहला टैस्ट 280 रन से जीतकर 1-0 से आगे है।

मैदानकर्मियों ने सुबह 11 बजकर 15 मिनट के आसपास बारिश रुकने पर तीन सुपर सोपर्स लगाए। रोशनी भी साफ नहीं थी लिहाजा सवा दो बजे आधिकारिक तौर पर खेल रद्द करना पड़ा।

नेपाल को हरा कर फाइनल में पहुंची भारत की अंडर-17 टीम

नई दिल्ली, 28 सितंबर (एजंसी)।

फुटबाल

भारत की अंडर-17 फुटबाल टीम ने शनिवार को भूटान के थिम्पू स्थित चांगलिमथांग स्टेडियम में खेले गए सेमी फाइनल मैच में नेपाल की अंडर 17 टीम को 4-2 से हरा दिया। इस जीत से सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम ने प्रवेश किया।

भारत की ओर से विशाल यादव ने दो गोल किए, जबकि ऋषि सिंह और हेमनेइचंग लुंकिम ने एक-एक गोल दागा। भारतीय टीम सोमवार को खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाले दूसरे सेमी फाइनल के विजेता से भिड़ेगी।

मैच के पहले हाफ में दोनों टीमें बहुत ज्यादा मौके नहीं बना पाईं। भारत को 12वें मिनट में एक मौका मिला, जब गेंद मोहम्मद अरबाश के पास आई। गोलकीपर को लाइन से बाहर देखकर अरबाश ने शाट मारा लेकिन गेंद सुरक्षित तरीके से ऊपर चली गई और गोल से बाहर चली गई। खेल के पहले हाफ तक दोनों टीमों की ओर से कोई गोल नहीं कर पाया। भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे हाफ में जबरदस्त खेल दिखाया।

61वें मिनट में विशाल यादव ने गोल कर भारतीय टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। इसके बाद विशाल ने सात मिनट बाद 68वें मिनट में एक और गोल किया और स्कोर 2-0 कर दिया।

मकाऊ ओपन के सेमी फाइनल में हारी त्रीशा-गायत्री की जोड़ी

मकाऊ, 28 सितंबर (भाषा)।

बैडमिंटन

त्रीशा जाली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी को शनिवार को यहां सेमी फाइनल में सीह पेई शैन और हुंग एन-जू की चीनी ताइपे की जोड़ी के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिससे मकाऊ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई।

तीसरी वरीय भारतीय जोड़ी को कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद चीनी ताइपे की दुनिया की 54वें नंबर की जोड़ी के खिलाफ तीन गेम में 17-21, 21-16, 10-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी। दुनिया की 23वें नंबर की जोड़ी त्रीशा और गायत्री की चीनी ताइपे की जोड़ी के खिलाफ इस साल यह तीसरी हार है। सीह और हुंग ने अच्छी शुरुआत करते हुए 8-5 की बढ़त बनाई और फिर लगातार पांच अंक के साथ 13-8 से आगे हो गई।

भारतीय जोड़ी ने वापसी करते हुए स्कोर 15-15 किया लेकिन चीनी ताइपे की जोड़ी ने इसके बाद बेहतर खेलते दिखाते हुए पहला गेम जीत लिया। त्रीशा और गायत्री ब्रेक तक 11-10 की मामूली बढ़त बनाए हुए थे। भारतीय जोड़ी ने इसके बाद बढ़त 17-12 की और फिर गेम जीतकर मुकाबले को तीसरे और निर्णायक गेम में खींच दिया। सीह और हुंग ने तीसरे और अंतिम गेम में शानदार शुरुआत करते हुए 14-2 की बड़ी बढ़त बनाई।

तेज गेंदबाज मयंक यादव भारतीय टीम में शामिल, वरुण की वापसी

सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम में हार्दिक पंड्या भी

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

भारत के सबसे तेज गेंदबाज मयंक यादव को शनिवार को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में लगभग पांच महीने के रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को टीम में वापस बुलाया गया है।

सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम में केवल एक और वरिष्ठ खिलाड़ी पूर्व टी20 कप्तान हार्दिक पंड्या शामिल हैं। हाल में आइपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को चुना गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 2021 में संयुक्त अरब अमीरात में निराशाजनक टी20 विश्व कप अभियान के तीन साल बाद टीम में वापस बुलाया गया है।

पंड्या और शिवम दुबे के बाद बैकअप हरफनमौला नितीश रेड्डी को भी मौका मिला है जो चोट के कारण हाल में जिम्बाब्वे दौरे से बाहर हो गए थे। रियान पराग, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली है, जिसमें संजू सैमसन के बाद दूसरे विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा हैं।

सबसे बड़ी हैरानी निश्चित रूप से मयंक का शामिल किया जाना है, जिन्होंने अपने आइपीएल के चार में से तीन मैच के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए लगातार 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की जिससे वह लगातार 'प्लेयर आफ द मैच' रहे, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। आइपीएल के बीच में दिल्ली के 22 वर्षीय मयंक को पेट के निचले हिस्से में खिंचाव के कारण बाहर कर दिया गया था।

हाल में एनसीए में प्रतिदिन 14-15 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं। रणजी ट्राफी में लाल गेंद के प्रारूप में खेलने से पहले राष्ट्रीय चयन समिति और मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए बांग्लादेश शृंखला में यह देखने का सबसे अच्छा मौका है कि वह केवल चार ओवर गेंदबाजी करने के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे तालमेल बिठा रहे हैं।

टी20 क्रिकेट

मयंक यादव।

भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ ग्वालियर (6 अक्तूबर), नई दिल्ली (9 अक्तूबर) और हैदराबाद (12 अक्तूबर) में तीन टी20 मैच खेलेगी।

गौतम गंभीर की देखरेख में केकेआर के विजयी आइपीएल अभियान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चक्रवर्ती को हाल ही में जिम्बाब्वे और श्रीलंका दौरे पर 14 मैचों में 21 विकेट लेने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया गया था। हालांकि समझा जाता है कि गंभीर चक्रवर्ती को लेने के लिए बहुत उत्सुक थे।

टीम : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, रियान पराग, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मयंक यादव।

कार्यकारी परिषद के सदस्यों ने आइओसी को पत्र लिखकर उठाया सवाल

उषा पर तानाशाही से काम करने का आरोप

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) की अध्यक्ष पीटी उषा और कार्यकारी परिषद के विद्रोही सदस्यों के बीच विवाद ने एक और बदसूरत मोड़ ले लिया क्योंकि 12 सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के वरिष्ठ अधिकारी जेरोम पोइवे को पत्र लिखकर दिग्गज एथलीट पर तानाशाही से काम करने का आरोप लगाया।

गुरुवार को हुई आइओए की बैठक के दौरान तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें उषा ने रघुराम अय्यर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद से हटाने की उनकी अपील को सिरे से खारिज कर दिया। आइओसी में संस्थागत संबंध और शासन के प्रमुख पोइवे को लिखे पत्र में इन 12 सदस्यों ने कहा कि वे चाहते हैं कि राष्ट्रीय संस्था का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से हो। उषा ने अपनी ओर से पहले ही कहा है कि अय्यर की नियुक्ति पांच जनवरी को कार्यकारी परिषद बैठक में आइओए संविधान का सख्ती से पालन करते हुए की गई थी, जिसकी वीडियोग्राफी की गई थी जिससे इस फैसले से पीछे हटने का कोई कारण नहीं था।

कार्यकारी परिषद के सदस्यों ने पोइवे को लिखा कि वे आईओए के सीईओ के पद के लिए फिर से विज्ञापन देंगे।

उन्होंने लिखा, 'अगले दो महीनों के अंदर अध्यक्ष के साथ मिलकर एक उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त करने का लक्ष्य है। हम आइओए अध्यक्ष के आचरण से बहुत चिंतित हैं जिनका तानाशाही व्यवहार हमेशा खेदजनक रहा है।

12 सदस्यों ने किए हस्ताक्षर

वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय एच पटेल, उपाध्यक्ष राजलक्ष्मी देव और गगन नारंग, कोषाध्यक्ष सहदेव यादव, संयुक्त सचिव अलकनंदा अशोक और कल्याण चौबे, अन्य कार्यकारी परिषद सदस्य अमिताभ शर्मा, भूपेंद्र सिंह बाजवा, रोहित राजपाल, डोला बनर्जी, हरपाल सिंह और योगेश्वर दत्त ने पत्र पर हस्ताक्षर किए।

मुशीर की हालत स्थिर, नहीं खेलेंगे ईरानी और रणजी ट्राफी

लखनऊ, 28 सितंबर (भाषा)।

हादसा

भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान के छोटे भाई मुंबई के हरफनमौला मुशीर खान की लखनऊ के बाहरी इलाके में हुई सड़क दुर्घटना के बाद हालत अब स्थिर है लेकिन वह आगामी ईरानी कप से शुरू होने वाले क्रिकेट सत्र से लेकर लंबे समय तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे।

मुशीर (19 साल) के गर्दन में चोट लगी है, जिसके कारण उनके कम से कम तीन महीने तक क्रिकेट से बाहर रहने की संभावना है। इससे वह 11 अक्तूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्राफी 2024-25 सत्र की शुरुआत में मुंबई के मैचों से बाहर हो गए हैं। पता चला है कि मुशीर एक अक्तूबर से शुरू होने वाले ईरानी कप के लिए अपने गृहनगर आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे लेकिन उनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। मुशीर के साथ उनके पिता नौशाद खान भी थे, जिन्हें भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुई इस दुर्घटना में मामूली खरोंच आई हैं।

लखनऊ के मेदांता अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डाक्टर भोला सिंह ने एक बयान में कहा कि मुशीर खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बयान में कहा, 'पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हुई सड़क दुर्घटना में घायल हुए क्रिकेटर मुशीर खान को गर्दन में दर्द के कारण मेदांता अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया। उनका उपचार आर्थोपेडिक्स विभाग के निदेशक डाक्टर धर्मेंद्र सिंह की देखरेख में चल रहा है।'

उन्होंने कहा, 'उनकी हालत अब स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं।' मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने कहा कि मुशीर की हालत स्थिर है और वह पूरी तरह से होश में है।

वर्ष 2006 में एशियाई कप के फाइनल में पहुंची थी टीम | **फुटबाल** | मंगोलिया को 4-1 से बुधवार को हराया था

क्वालीफायर में भारत के सामने लाओस की चुनौती

वियनतियाने, 28 सितंबर (भाषा)।

ईरान के खिलाफ हार का सामना करने के बाद भारतीय फुटबाल टीम को एएफसी अंडर 20 एशियाई कप के मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए रविवार को क्वालीफायर मुकाबले में मेजबान लाओस से भिड़ेगी।

भारत एएफसी अंडर 20 एशियाई कप के फाइनल चरण में पिछली बार 2006 में पहुंचा था। इस टूर्नामेंट को पहले एएफसी युवा चैंपियनशिप और एएफसी अंडर 19 चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था, जिसकी भारत ने 2006 में मेजबानी की थी। भारत ग्रुप जी में ईरान के बाद दूसरे स्थान पर है।

प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष टीमों के अलावा दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में से पांच टीम मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करेंगी। मुख्य टूर्नामेंट का आयोजन अगले साल (2025) चीन में होगा।

भारतीय टीम शुक्रवार को मैच के ज्यादातर हिस्से में मजबूत प्रतिद्वंद्वी ईरान को गोल से दूर रखने के बाद 88वें मिनट में एक गोल गंवा बैठी। टीम ने इससे पहले बुधवार को मंगोलिया को 4-1 से हराया था। भारत को मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए हर हाल में इस मैच को जीतना होगा। ईरान के खिलाफ हार के बावजूद कोच रंजन चौधरी ने टीम के खिलाड़ियों की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, हमारे खिलाड़ियों ने एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक के खिलाफ जबरदस्त खेल खेला। उन्होंने सब कुछ सही ढंग से किया। उन्होंने सभी योजनाओं को पूर्णता के साथ क्रियान्वित किया लेकिन जब आप ईरान जैसी शीर्ष टीम के खिलाफ खेलते हैं एक छोटा सा मौका देना भी आपको भारी पड़ सकता है।

उन्होंने कहा, यह हमारे लिए अंत नहीं है। लाओस के खिलाफ हमें अपने ग्रुप चरण के अपने आखिरी मैच को जीतने के बारे में सोचना होगा। मेजबान लाओस ने भी अपने शुरुआती मैच में ईरान के हाथों मिली 0-8 की हार की निराशा से उबरते हुए मंगोलिया को 6-0 से शिकस्त दी थी।

भारत को मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए हर हाल में इस मैच को जीतना होगा। ईरान के खिलाफ हार के बावजूद कोच रंजन चौधरी ने टीम के खिलाड़ियों की प्रशंसा की।

लाओस ने शुरुआती मैच में ईरान के हाथों मिली हार की निराशा से उबरते हुए मंगोलिया को हराया था।

चौधरी ने कहा, हमारे खिलाड़ियों ने एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक के खिलाफ जबरदस्त खेल खेला। उन्होंने सभी योजनाओं को पूर्णता के साथ क्रियान्वित किया।

एआइटीए ने पदाधिकारियों का चुनाव किया, अदालत के निर्देश पर परिणाम रुका

नई दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा)।

अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआइटीए) ने शनिवार को नए पदाधिकारियों का निर्विरोध चयन किया, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार परिणाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई।

अदालत में महासंघ द्वारा खेल संहिता के उल्लंघन की याचिका पर सुनवाई जारी है। एआइटीए को अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में चुनाव करवाना था, लेकिन मतदान की जरूरत नहीं हुई क्योंकि निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक पद के लिए केवल एक नामांकन प्राप्त हुआ था। इस चुनाव में नए अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के अलावा आठ उपाध्यक्ष, चार संयुक्त सचिव और कार्यकारी परिषद के दस सदस्य चुने गए हैं।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 41, अंक 316

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,
बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com